सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन 2012 - 2013

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन एनेक्सी
चैन्नै–600006, तमिल नाडु
दूरभाषा : 91-44-28213785, 28216552
फैक्स : 044-28216552
ई–मेल : aquaauth@vsnl.net वेबसाइट : www.caa.gov.in

प्रकाशक
अध्यक्ष
तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संकलन तथा संपादन
आर. पाल राज
भास्करण मणिमारन
एस. मणि
जी. डी. चन्द्रपाल
डी. विन्सेंट

मुद्रक
नागराज एंड कंपनी

Published by

Chairman
Coastal Aquaculture Authority

Compilation & Editing

R. Paul Raj

Baskaran Manimaran

S. Mani

G. D. Chandrapal

D. Vincent

Printed by

Nagaraj & Co Private Limited

विषय वस्तु

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
I.	प्राधिकरण का संगठन, परिचालन लक्ष्य तथा उद्देश्य	1
1.	2011–12 की अवधि के दौरान प्राधिकरण का संगठन	1
2.	प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य	4
3.	प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य	4
4.	एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन	6
II.	लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन	7
1.	वार्षिक लक्ष्य	7
2.	निष्पादन का संक्षिप्त समीक्षा	8
III. क.	क्रियाकलाप व उपलब्धियां	
1.	प्राधिकरण की बैठक और प्राधिकरण द्वारा समितियों का गठन	10
2.	झींगा फार्मों का पंजीकरण	12
3.	पंजीकरणों का नवीनीकरण	17
4.	एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन	17
5.	जल फार्मों/हैचरियों का सर्वेक्षण	37
6.	एसपीएफ एल.वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के लिए निजी क्वारनटाइन को स्थापित करने के लिए स्थलों का निरीक्षण	38
7.	ईएमएस रोगों के लिए फार्मों की निगरानी	39
8.	जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला	40
9.	वेबसाइट का अद्यतन	41
10.	सीएए के मुख्यालय के लिए भवन	41
11.	सीएए द्वारा मनाया गया हिन्दी सप्ताह	42
12.	सीएए के बाह्य कार्यकलाप	42
III. ख.	2013–14 के दौरान किए जाने वाले संभावित कार्यकलाप	49
IV.	वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों और कार्यकलापों का सार	51
V.	प्राधिकरण का स्टाफ और मौजूदा संगठनात्मक संरचना	52
VI.	सेवानिवृत्त / प्रत्यावर्तन	53
VII.	सूचना का अधिकार अधिनियम	53
	वर्ष 2011–2012 के लिए वार्षिक लेखें और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट	
1.	तुलन पत्र	56
2.	आय एवं व्यय खाते	57
3.	प्राप्तियां और भुगतान खाते	58
4.	तुलन पत्र अनुसूची (1–11)	60
5.	आय एवं व्यय अनुसूची (12–23)	70
6.	लेखा नीति	77
7.	आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां	81
8.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	83

Sl. No.	Subject	Page No.
	Preface	91
I.	Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority	93
1.	Composition of the Authority during 2012–2013	93
2.	Aims and Objectives of the Authority	95
3.	Powers and Functions of the Authority	96
4.	Regulation of SPF *Litopenaeus vannamei* Culture In India	98
II.	Targets and Performance	99
1.	Annual Targets	99
2.	Brief Review of Actual Performance	100
III. A.	Activities and Achievements	102
1.	Meetings of the Authority and Committees Constituted by the Authority	102
2.	Registration of Shrimp Farms	104
3.	Renewal of Registrations	109
4.	SPF *L. vannamei* Farming	109
5.	Survey of Aquafarms / Hatcheries	129
6.	Inspection of Sites for Establishment of Private Quarantine for SPF *L. vannamei* Broodstock	130
7.	Monitoring of Farms for EMS Disease	131
8.	Water Quality Monitoring Laboratory	132
9.	Website Updation	133
10.	Building for the Headquartes of CAA	133
11.	Hindi Week observed by CAA	134
12.	Outreach Activities of CAA	134
III	B. Activities likely to be taken up during 2013-14	141
IV.	Finance	143
V.	Staff and Existing Organizational Structure of the Authority	144
VI.	Retirement / Repatriation	145
VII.	Right to Information Act	145
	Annexure: Annual Accounts and Separate Audit Report of the CAG for the year 2012-13	
1.	Balance Sheet	148
2.	Income and Expenditure Account	149
3.	Receipts and Payments	150
4.	Schedules Forming Part of Balance Sheet	152
5.	Schedules Forming Part of Income & Expenditure	162
6.	Accounting Policies	169
7.	Contingent Liabilities and Notes on Accounts	173
8.	Separate Audit Report	175

न्यायमूर्ति के. रविराजा पान्डियन
अध्यक्ष
Justice K. Raviraja Pandian
Chairperson

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार कृषि मत्रांलय
शास्त्री भवन अनेक्स दूसरी मंजिल
सं. 26, हडोस रोड़, चेन्नै–600 006.
तमिलनाडु, भारत.
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Agriculture
Shastri Bhavan Annexe, 2nd Floor,
No.26, Haddows Road, Chennai - 600 006.
Tamilnadu, INDIA.

9 दिसंबर 2013

प्राक्कथन

तटीय जलकृषि प्राधिकरण देश में तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विगत वर्षों में स्पष्ट रूप से प्रगति करता रहा है। तटीय जलकृषि में सामाजिक, आर्थिक और जैविक मसलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इस प्रकार, सतत् विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुकुलतम लाभ लेने हेतु समन्वित प्रबंधन और विनियमन महत्वपूर्ण है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में इस क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही अनेक समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया है, जैसा कि इस संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट से देखा जा सकता है। तटीय जलकृषि क्षेत्र के पणधारकों द्वारा जैव सुरक्षा और विनियमित विकास की संकल्पना को तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा उठाए गए विभिन्न विनियामक उपायों द्वारा हासिल किया जा रहा है। किसानों को तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इन पहलुओं की जानकारी दी जाती है और कार्यशालाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी तथा समीक्षाधीन अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में आयोजित समुद्री खाद्यान मेलों के माध्यम से भी उन्हें अवगत कराया जाता है। झींगा जलकृषि के अलावा, इस क्षेत्र को खारा जल प्रजातियों के फिनफिश पालन में भी विविधता की आवश्यकता है, जिससे हमारे व्यापक संसाधनों के समग्र उपयोग में मदद मिलेगी और आगे चलकर देश के तटीय क्षेत्रों में उत्पादन और आर्थिक विकास में सुधार होगा। तटीय जलकृषि गतिविधियों को विकसित और विनियमित करने में आवश्यक घटकों के रूप में बेहतर जलकृषि प्रणालियों को शुरू करने के अलावा, भविष्य में रोग निगरानी और प्रबंधनको भी सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

समुद्री खाद्यान व्यापार में बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए, जहां उपभोक्ता समुद्री खाद्यान संसाधनों का दोहन करने में अपनाई जा रही खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रणालियों के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं, हमें भविष्य में इन महत्वपूर्ण मसलों की ओर भी ध्यान देना होगा जिसमें तटीय जलकृषि प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी जिससे बेहतर भविष्य के लिए विभिन्न विनियामक उपायों के अनुपालन का सुनिश्चय किया जा सकेगा।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण केन्द्रीय कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, सचिव, पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग तथा संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) के मार्गदर्शन में मात्स्यिकी प्रभाग के स्टाफ के प्रति तथा तटीय जलकृषि में शामिल वैज्ञानिक बिरादरी के प्रति इस बात के लिए अपना आभार प्रकट करता है कि उन्होंने हमारी सभी विभिन्न कार्ययोजनाओं में अपना समर्थन और सहयोग दिया।

(न्यायमूर्ति के. रविराजा पांडियन)

I. प्राधिकरण की संरचना, प्रचालनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य

तटीय क्षेत्रों में तटीय जल कृषि से संबद्ध कार्यकलापों को विनियमित करने और इससे संबंधित अथवा इसके आनुषंगिक मामलों के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत तटीय जल कृषि प्राधिकरण को स्थापित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तटीय जल कृषि से तटीय पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे और उत्तरदायी जल कृषि की अवधारणा को बढ़ावा मिले। तटीय जल कृषि से अभिप्राय तटीय क्षेत्रों में झींगी, झीना, मछली के तालाबों, पेंस, बाड़ों अथवा अन्यथा या लवणीय या खारे पानी में अन्य जलीय जीवन में नियंत्रित परिस्थितियों के तहत कृषि करना है; परन्तु स्वच्छ जल की जल कृषि शामिल नहीं होती है। तटीय क्षेत्र से अभिप्राय समुद्रों, नदियों, संकरी खाड़ियों और अप्रवाही जल की हाई टाइड लाइन (एचटीएल) से दो किमी. की दूरी के भीतर की भूमि के क्षेत्र से है। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वहनीय विकास को प्रोत्साहित करना है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तरदायी तटीय जल कृषि की अवधारणा का अनुपालन किया जाए।

1. वर्ष 2012–2013 के दौरान प्राधिकरण की संरचना

क. 1 अप्रैल से 25 जून, 2012 तक प्राधिकरण की संरचना

(i) **अध्यक्ष**
(उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त/वर्तमान न्यायाधीश) ... रिक्त

(ii) **डॉ. ए. पोन्नय्या** ... सदस्य
निदेशक
केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए), चेन्नै
(तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ)

(iii) **श्री पी. मदेश्वरन** ... सदस्य
वैज्ञानिक 'एफ'
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार
(तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ)

(iv) **डॉ. डी. डी. बसु** ... सदस्य
वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली
(पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण के क्षेत्र में विशेषज्ञ)

(v) **श्री तरूण श्रीधर, आईएएस** ... सदस्य
संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)
पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग
(कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)

(vi) **सुश्री लीना नायर, आईएएस** ... सदस्य
अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि
(वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की प्रतिनिधि)

(vii) **श्री सत्यब्रत साहू, आईएएस** ... सदस्य
आयुक्त एवं सचिव
(मात्स्यिकी विभाग और पशु संसाधन विभाग), ओडीसा सरकार
(उडीसा राज्य के प्रतिनिधि)

(viii) **श्री ए. एस. डागर, डीएएनआईसीएस** ... सदस्य
सचिव (मात्स्यिकी, कृषि, मात्स्यिकी, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा
सेवा विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का केन्द्र शासित प्रदेश
(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केन्द्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि)

(ix) **श्री पी. के. मोहन्ती, आईएएस** ... सदस्य
अपर मुख्य सचिव (मात्स्यिकी)
श्री के. आर. ज्योथि लाल, आईएएस/सुश्री इशिता राय, आईएएस
डा. ए. जयंथीलाल, आईएएस
सचिव (मात्स्यिकी)
केरल सरकार
केरल सरकार के प्रतिनिधि

(x) **श्री पीताम्बर एम टंडेल** ... सदस्य
कारवार, कर्नाटक
कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधि

(xi) **डॉ. आर. पॉल राज** ... सदस्य सचिव
(केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य)

B. 26 जून, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक प्राधिकरण की संरचना

(i) **अध्यक्ष**
(उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त/वर्तमान न्यायाधीश) ... रिक्त

(ii) **डॉ. पी. रविचन्द्रन** ... सदस्य
प्रधान वैज्ञानिक,
केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, चेन्नै
(जल कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ)

(iii) **डॉ. आर. किरुभागरन** ... सदस्य
वैज्ञानिक 'एफ', राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै
(तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ)
(पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)

(iv) **डॉ. सुश्री मंजू रैना** ... सदस्य
निदेशक (सीपी प्रभाग)
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार
(पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण के क्षेत्र में विशेषज्ञ)

(v) **श्री तरूण श्रीधर, आईएएस** ... सदस्य
संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)
पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग
(कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)

(vi) **श्री डी. एस. धेसी/असित कुमार त्रिपाठी, आईएएस** ... सदस्य
संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार
(वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)

(vii) **डॉ. डी. एच. ब्रम्हभट्ट, आईएएस** ... सदस्य
सचिव (मात्स्यिकी)
गुजरात सरकार, (गुजरात राज्य के प्रतिनिधि)

(viii) **श्री के. प्रवीन कुमार, आईएएस** ... सदस्य
मात्स्यिकी आयुक्त,
आंध्र प्रदेश सरकार (आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)

(ix) **श्री सुदेश कुमार दास, आईएएस** ... सदस्य
अपर मुख्य सचिव, मात्स्यिकी, जल कृषि,
जलीय संसाधन और मत्स्य ग्रहण स्थल विभाग
(पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि)

(x) **श्री गगनदीप सिंह बेदी, आईएएस** ... सदस्य
सचिव (मात्स्यिकी), तमिलनाडु सरकार,
पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, चेन्नै
(तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि)

(xi) **डॉ. आर. पॉल राज** ... सदस्य सचिव
(केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य)

2. प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य

प्राधिकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा 'तटवर्ती क्षेत्रों के रूप में' अधिसूचित क्षेत्रों से तटीय जलकृषि गतिविधियों को तथा इससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करना है। प्राधिकरण को तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए विनियमन बनाने और फार्मों तथा हेचरियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने के लिए एल.वेन्नामई हेतु फर्मों तथा हैचरियों का निरीक्षण करने, जलकृषि फर्मों और हेचरियों का पंजीकरण करने, प्रदूषण फैलाने वाले तटवर्ती जलकृषि फार्मों को हटाने अथवा नष्ट करने तथा तटीय जलकृषि में सभी तटीय जलकृषि आगतों जैसे बीज, बीजवृद्धि उपकरण, तटीय जलकृषि में प्रयुक्त रसायनों आदि के लिए मानकों को तय करने की शक्ति दी गई है।

3. प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य

प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य सीएए अधिनियम, 2005 के चौथे अध्याय तथा इसके तहत बनाए गए नियम एवं 2008 में अधिसूचित तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिश्ट है। सीएए अन्य बातों के साथ–तटीय जलकृषि क्षेत्र के सुव्यवस्थित तथा सतत विकास के लिए विनियम बनाता है ताकि गतिविधि में संलग्न विभिन्न अंशधारकों के सामाजिक–आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा समाज स्वीकृत तटीय जलकृषि की ओर उन्मुख हुआ जा सके।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व देश में अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर बीज उत्पादन और एल.वेन्नामई के फार्मों में शामिल अथवा शामिल होने जा रहे सभी प्रकार के तटीय खारा और लवणीय जल जलकृषि फार्मों और हेचरियों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है। सभी पात्र जलकृषि फार्मों का पंजीकरण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कई उपाय आरंभ किए गए हैं । तटीय क्षेत्रों में जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपने फर्म का तटीय जलकृषि प्राधिकरण में पंजीकरण कराएं। पंजीकरण पांच वर्षों की अवधि के लिए किए जाते हैं जो आगे समय–समय पर नवीनीकृत किए जा सकते हैं । भविष्य में तटीय जलकृषि गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण प्रक्रियाओं को नए फार्मों के लिए तथा मरम्मत किए जाने वाले पुराने फार्मों के लिए जारी रखा जाएगा।

तटीय विनियम जोन के भीतर हाई टाइड लाइन और खाड़ियों में नदियों तथा पश्च जल से 200 मीटर के भीतर जलकृषि की अनुमति नहीं है। तथापि, यह शर्त तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के विधिकरण से पहले स्थापित मौजूदा फार्मों तथा सरकार अथवा सरकार के किसी भी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित गैर–वाणिज्यिक तथा प्रयोगात्मक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं है। यद्यपि ऐसे सभी फार्म तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत होने चाहिए। ऐसे प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति द्वारा तटीय जलकृषि करने पर उसे अधिनियम के अनुच्छेद 14 में यथा–निर्धारित कारावास का दंड जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना अदा करना पड़ेगा जिसे एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंड भुगतने पड़ेंगे।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की सभी मामलों में सहायता, संबंधित तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण में, राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है। 2 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र वाले फार्मों के मामले में, डीएलसी, संतुष्ट होने पर, पंजीकरण हेतु विचार करने के लिए सीएए को सीधे आवेदनों की सिफारिश करेंगे; और 2 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र से बड़े फार्मों के मामले में, डीएलसी मानकों के सत्यापन की पुष्टि करने के लिए फार्मों का निरीक्षण करेंगे और एसएलसी को आवेदनों की सिफारिश करेंगे, जो संतुष्ट होने पर, पंजीकरण के लिए सीएए को इनकी सिफारिश करेंगे।

सीएए के निम्नलिखित शक्ति एवं कार्य भी हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले तटवर्ती समुदाय की आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कृषि भूमि, लवण पटल जमीन, कच्छीय वन, नम जमीन, वन भूमि, गांव की आम प्रयोजन की भूमि तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों तथा मृग वनों को जलकृषि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए;
- समूचे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना तथा पारिस्थिकीय अनुकूल विकास हासिल करने के लिए उचित नीति तैयार करने हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह एवं समर्थन देना;
- सामान्य अवसंरचना लाइन, सामान्य जल अंतर्ग्रहण, निकासी नहर एवं सार्वजनिक बहिस्राव उपचार प्रणाली के निर्माण के लिए राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह एवं समर्थन देना;
- बीज, आहार, वृद्धि संवर्धकों तथा जल निकायों एवं पाले गए जीवों एवं अन्य जलजीव के रखरखाव के लिए प्रयुक्त रसायनों के लिए मानक निर्धारित करना;
- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अध्ययनों/योजनाओं को आरम्भ करना या अन्वेषणों को प्रायोजित करना और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन;
- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़ों एवं अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक–आर्थिक सूचना एकत्रित एवं वितरित करना;
- तटीय जलकृषि के सतत विकास एवं तटीय जलकृषि के क्रियाकलापों से संबंधित सामग्री तैयार करना;
- तटीय संसाधनों की सतत उपयोगिता तथा न्याय संगत एवं उचित हिस्सेदारी के संबंध में प्रचार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना;
- तकनीकी मैनुअल तैयार करने के लिए विभिन्न तकनीकी समितियां, उप–समितियां, कार्य दल आदि गठित करना;
- तटीय पर्यावरणीय पर होने वाले प्रभावों को कम से कम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए फार्म के मालिकों को निर्देश देना;

- सततता को सुनिश्चित करने के लिए; या पर्यावरणीय चिरस्थाईता को बनाए रखने के हित में एवं तटीय पर्यावरण के हित में आजीविका के संरक्षण के लिए मौसमी बंदी का आदेश देना;
- किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत सूचना देकर या पंजीकरण के प्रमाण–पत्र में उल्लिखित शर्तों या उन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करके प्राप्त किए गए पंजीकरण को रद्द करना;
- तटीय जलकृषि से संबंधित मसलों को निपटाना जिनमें ऐसे मसले भी शामिल हैं जिन्हें केन्द्र सरकार को संदर्भित किया जाना है।
- समय–समय पर दिशा–निर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को उचित सिफारिशें देना।

4. एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के तहत जारी 15.10.2008 की अधिसूचना द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण को एसपीएफ एल. वेन्नामई के ब्रूड स्टॉक के आयात के लिए अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के परामर्श से तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ता चुने जाते हैं। उक्त अधिसूचना में शामिल उक्त दिशा–निर्देश में संगरोध के लिए जैव सुरक्षा अपेक्षाएँ, आयात परमिट, प्रवेश के लिए बंदरगाह, पूर्व–संगरोध अपेक्षाएं, संक्रमणयुक्त प्रक्रिया इत्यादि का विवरण दिया गया है।

तटीय जलकृषि (संशोधन) नियम, 2009 से एल. वेन्नामई की शुरूवात करने के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियंत्रित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा–निर्देशों में वेन्नामई नस्ल के अनुप्रयोग के लिए मानक, तकनीकी आवश्यकताएं, एसपीएफ एल. वेन्नामई के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रक्रिया शामिल है और फार्मों के अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानक और विनयम विनिर्दिष्ट हैं।

हैचरी संचालकों और झींगा कृषकों के सुचारू प्रचालन के लिए, भारत सरकार ने वयस्क ब्रूडस्टाक पालन के लिए 10 ग्राम तक एन. वेन्नामई के एसपीएफ बच्चों के आयात, अनुमति प्राप्त हैचरियों से नोपली की बिक्री, पर्याप्त सूखा काल के बाद एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में पालन को बदलने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए मार्च, 2012 में अधिसूचना के तहत सीएए नियम, 2005 में और आगे संशोधन किया है। इस अधिसूचना से अप्राधिकृत बीज उत्पादन से निपटने की निरीक्षण प्रक्रिया और सीएए के टीम निरीक्षण द्वारा अप्राधिकृत स्टाक को नष्ट करने के जरिए एल. वेन्नामई पालन को भी सुदृढ़ किया गया।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण एल. वेन्नामई पालन आरंभ करने के लिए हैचरियों एवं फार्मों को अनुमति प्रदान करने में इस उद्यम के सतत विकास के लिए संपूर्ण प्रचालन के निरीक्षण और मानिटरिंग में सावधानीपूर्वक अनुपालन कर रहा है।

II. लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन

1. वार्षिक लक्ष्य

- क्रियान्वयन के लिए निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण की प्रत्येक दो महीनों में कम से कम एक बैठक आयोजित करना।
- तटीय जल कृषि फार्मों का पंजीकरण तथा उनका नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका न तो लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है और न ही परिणाम बताया जा सकता है। जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3000 तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत किए जाने की संभावना।
- वर्ष 2012–13 के लिए लगभग 2000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन का विस्तार जिसमें एक वर्ष में लगभग 20,000 मीट्रिक टन प्रत्याशित अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा।
- तकनीकी समिति की बैठक में ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की समीक्षा और चयन। यह चयन ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए समीक्षा कार्यशालाओं की सिफारिश के आधार पर किया जाए।
- ब्रूडस्टॉक के आयात और एसपीएफ बीज के उत्पादन के लिए पर्याप्त जल सुरक्षा सुविधाओं के साथ उत्तरव्यापी हैचरियों के स्वामियों की सूची तैयार करने से पहले आवेदन आमंत्रित करने के लिए सीएए द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।
- बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठकों की सिफारिशों के अनुसार तकनीकी समिति द्वारा एल. वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक की आवश्यकता हैचरी क्षमता और एल. वेन्नामई पालन के लिए पालन क्षेत्र का पता लगाया जाएगा।
- कृषकों से प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों को प्रक्रम में लाना, जो पी. मोनोडान, एसपीएफ, एल. वेन्नामई या किसी अन्य प्रजाति को अपने फार्म में अपेक्षित और उपयुक्त जैव सुरक्षा सुविधा और अपशिष्ट उपचार प्रणाली सृजित करते हुए पालन करना चाहते हैं और तत्पश्चात पंजीकरण तथा/या अनुमति प्रमाण–पत्र जारी करना।
- बीज उत्पादन और एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया बिना किसी विलंब के आरंभ की जाएगी।
- इस प्रयोजन के लिए अन्य सुविधाओं के साथ–साथ जैव सुरक्षा अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल द्वारा हैचरियों और फार्मों का निरीक्षण किया जाएगा।
- निरीक्षण दल द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर मंजूरी प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनी नियमित बैठक में विचार करना।

- हैचरियों और फार्मों की निगरानी सावधिक रूप से करना और अनुमोदन की शर्तों का उल्लंघन करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
- तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित जल गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ईटीएस से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता नमूना प्राप्त करना एवं परीक्षण करना।
- पालकों को हैचरियों के पंजीकरण, एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन और क्रेब फार्मिंग तथा प्रतिबंधित दवाओं के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण बातों के विषय में जागरूक बनाने के लिए जब कभी आवश्यक हो, तटवर्ती राज्यों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- सतत कृषि प्रक्रियाओं को दर्शाते हुए तटीय जलकृषि से संबंधित कार्यशाला और प्रदर्शिनियों में भाग लेना।
- पणधारियों को वितरित करने के लिए जलकृषि की अच्छी प्रणाली पर ब्रॉशर/हैंड आउट तैयार करना।

2. निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा

- अप्रैल 2012 और मार्च 2013 के बीच प्राधिकरण की चार बैठकें आयोजित की गई थीं । एसएलसी/डीएलसी से प्राप्त 2216 पंजीकरण के लिए आवेदन–पत्रों पर अनुमोदित करने के लिए विचार किया गया था। प्राधिकरण में 1835 आवेदनों को अनुमोदित किया और शेष को संशोधन के लिए डीएलसी/एसएलसी को वापस भेज दिया गया।
- सीएए द्वारा सभी 1835 फार्मों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया।
- निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अनुमोदन से 9 आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान 31 हैचरियों को अनुमति प्रदान की गई और पहले ही अनुमोदित 74 हैचरियों का अनुमति नवीनीकरण कर दिया गया।
- एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए फार्मों से प्राप्त आवेदनों की जांच और निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर 2514.51 हेक्टेयर कुल क्षेत्र (1746.18 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र) युक्त 334 फार्मों को इस वर्ष एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन की अनुमति जारी की गई ।
- इस वर्ष के दौरान अनुमोदित हैचरियों द्वारा लगभग 7,500 से 8,500 मिलियन (अनुमानित) पोस्ट–लार्वा एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पादन किया गया जिसकी आपूर्ति पंजीकृत झींगा किसानों को कर दी गई ।
- तकनीकी मूल्यांकन समिति 16 फरवरी, 2013 को मिले और अखिल भारतीय झींगा हैचरी संगठन के साथ ब्रूडस्टॉक और बीज उत्पादन के वार्षिक आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ब्रूडस्टॉक आयात के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर आपसी संपर्क बनाया।
- वर्ष 2012–13 के दौरान आयात के लिए सीएए द्वारा कुल 66,360 जोड़े ब्रूडस्टॉक को अनुमोदित किया गया था।

- एल. वेन्नामई के गैर–कानूनी बीज उत्पादन के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षण दल द्वारा गैर–अनुमोदित हैचरियों पर कुल 83 दौरे किए गए थे। दल ने 26 हैचरियों में एल. वेन्नामई को ब्रूडस्टॉक और लार्वाल चरण में पाया था तथा इन 26 हैचरियों में पाए गए गैर–कानूनी ब्रूडस्टॉक और लार्वाल को नष्ट कर दिया गया था।

- आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों में पांच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें इन राज्यों के 228 किसानों तथा राज्य मात्स्यिकी कर्मचारियों ने भाग लिया था। कार्यक्रम के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई को शुरू करने के लिए हैचरियों तथा फार्मों को विनियमित करने के लिए कृषि, लक्ष्य, उद्देश्य, सत्य तथा सीएए के कार्यों, एंटीबायोटिक अवशेष, उत्तरदायी जलकृषि तथा दिशा–निर्देशों से संबंधित सीएए अधिनियम, 2005 के मुख्य संदर्भों की व्याख्या की गई थी और मातृभाषा में हैंडआउट्स वितरित किए गए थे।

- तटीय क्षेत्रों की जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर एल. वेन्नामई जलकृषि के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में एल. वेन्नामई हैचरियों और फार्मों में सर्वेक्षण किया गया था। इसके साथ–साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 52 अनुमत हैचरियों और फार्मों में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान उत्पादन सुविधाओं की जांच की गई थी और अनुरक्षित अभिलेखों को भी सत्यापित किया गया था।

- आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनुमोदित हैचरी प्रचालकों के परिसंघ द्वारा प्रस्तावित स्थलों की अतिरिक्त संगरोध सुविधाओं को स्थापित करने के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सीआईबीए, एनएफडीबी, एक्यूएंडसीएफ, डीएएचडीएंडएफ तथा एआईएसएचए के सदस्यों के साथ सीएए द्वारा समन्वित समिति द्वारा निरीक्षण किया गया था।

- नेल्लौर और भीमावरम क्षेत्रों में औपचारिक रूप से चयनित फार्मों में सीआईबीए के वैज्ञानिकों के साथ सीएए द्वारा सर्वेक्षण किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ईएमएस (अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम) एएचपीएनएस (एक्यीट हेपाटोपैंक्रिएटिक निक्रोसिस सिंड्रोम) के कारण अर्ली मोर्टेलिटी होती है अथवा नहीं । यह पाया गया था कि वायरल संक्रमण के कारण इन क्षेत्रों में मोर्टेलिटी प्राथमिक रूप में थी और वहां विशेष ईएमएस/एएचपीएनएस का चिह्न नहीं था, जिसका वर्णन अन्य देशों में किया गया है।

- उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए एफएओ की आचार संहिता के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए भारत में एफएओ के प्रतिनिधि डॉ. पीटर के. केनमोरे और श्री जेम्स ए. हार्वे, राजदूत एफएओ, रोम के युनाइटेड किंगडम के स्थायी प्रतिनिधि के दिनांक 24–05–2012 को चेन्नै यात्रा के दौरान विभिन्न संगठनों के वैज्ञानिकों और अन्य पणधारियों को शामिल करते हुए सीएए द्वारा एक बैठक समन्वित की गई थी ।

III. क. क्रियाकलाप व उपलब्धियां

1. प्राधिकरण की बैठक और प्राधिकरण द्वारा समितियों का गठन

चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल 2012–मार्च 2013 के दौरान सीएए में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अन्य बैठकें के अलावा चार नियमित बैठकें की। बैठकों व उनमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त ब्यौरा सारणी –1 में दर्शाया गया है। पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे हैचरियों की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा, प्रतिबंधित एंटिबायोटिक्स का प्रयोग करने वाले फार्मों एवं हैचरियों के विरूद्ध दण्डात्मक उपाय, गैर अनुमोदित एल. वेन्नामई उत्पादन करने वाले फार्मों और हैचरियों के विरूद्ध कार्रवाई, जैव सुरक्षा और ईटीएस सुविधाओं आदि का पता लगाने के लिए 5 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र तक एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों के निरीक्षण के लिए जिला स्तरीय दल (डीएसटी) का गठन करना, फार्मों और हैचरियों से निकले गंदे जल रिसाव की निगरानी आदि पर विचार–विमर्श किया।

प्राधिकरण की बैठकें प्रगति पर हैं

तालिका 1 तटीय जलकृषि प्राधिकरण की बैठक (अप्रैल 2012 से मार्च 2013)

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
सैंतीसवीं बैठक	31 मई, 2013 चेन्नै	• 933 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया। • 16 हैचरियों द्वारा एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक आयात और बीज उत्पादन के लिए अनुमति दी गई । • एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए 105 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए–539.77 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई । • आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में एक हैचरी और तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में तीन हैचरियों द्वारा सीएए नामांकन के बिना एल. वेन्नामई बीज उत्पादन में उल्लंघन की सूचना देने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को लिखने और सीएए अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए संकल्प । • वित्त वर्ष 2012–13 के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक की वार्षिक आवश्यकता को हल करने का संकल्प किया गया और 2012–13 के लिए ब्रूडस्टॉक के आबंटन के लिए वर्ष 2011–12 हेतु सीएए द्वारा यथा अनुमोदित फार्मूला को जारी रखने का निर्णय लिया गया।
अड़तीसवीं बैठक	26 सितंबर, 2012 नई दिल्ली	• 205 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया। • एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और बीज उत्पादन के लिए 9 हेचरियों को अनुमति प्रदान की गई । • एसपीएफ एल. वेन्नामई संवर्धन (डब्ल्यूएसए – 560.04 हेक्टेयर) के लिए 131 झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान की गई । • 2011–12 के लिए सीएए का वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया । • सीएए द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण दल के अनुमोदन पर आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में सीबास के लिए एक फिनफिश हैचरी के पंजीकरण के लिए अनुमति प्रदान की गई । • झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 8 आवेदनों का अनुमोदन किया गया । • अपने फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता के संबंध में तटीय किसानों को याद दिलाने के लिए समाचार–पत्रों में एक और विज्ञापन जारी करने का संकल्प।

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
39वीं बैठक	04 दिसंबर, 2012 नई दिल्ली	• 441 झींगा फार्मों के पंजीकरण का अनुमोदित किया गया । • एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक और बीज उत्पादन के आयात के लिए 6 हैचरियों को अनुमति प्रदान की गई । • एसपीएफ एल. वेन्नामई के संवर्धन के लिए 57 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए–383.60 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई । • समापन में विचार करने से पूर्व अनाधिकृत कार्यकलापों (पंजीकृत तथा गैर–पंजीकृत दोनों) में शामिल फार्मों और हैचरियों को पहले कारण बताओं नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। • झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 4 आवेदन–पत्र अनुमोदित किए गए ।
40वीं बैठक	19 मार्च, 2013 चेन्नै	• 256 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदित किया गया। • 5 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण को अनुमोदित किया गया। • एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और बीज उत्पादन के लिए 13 हैचरियों को अनुमति प्रदान की गई । • एसपीएस एल. वेन्नामई के संवर्धन के लिए 41 (डब्ल्यूएसए–316.77) झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान की गई । • गैर कानूनी एल. वेन्नामई उत्पादन के लिए 7 हैचरियों को समापन आदेश जारी करने का और समापन आदेश को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को लिखित आदेश देने का निर्णय लिया गया । • पर्यावरणीय निगरानी कार्यक्रम में एक परामर्शदात्रा को शामिल करने का निर्णय लिया गया । • झींगा संवर्धन कार्यकलापों को पैडी क्षेत्रों में समायोजित करने के कारण आंध्र प्रदेश के, चिरालामण्डल, प्रकाशम जिले के विजयलक्ष्मीपुरम के ग्रामीणों की शिकायत निवारण के आधार पर 5 झींगा फार्मों के पंजीकरण को रद्द करने का निर्णय लिया गया ।

2. झींगा फार्मों का पंजीकरण

- राज्य और जिला स्तरीय समितियों, जिन्हें इसी कार्य के लिए गठित किया गया है, उनकी सिफारिशों पर झींगा फार्मों का पंजीकरण कार्य सीएए द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्राधिकरण ने हर दो महीने में एक बार नियमित रूप से हुई अपनी बैठक में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला स्तरीय समितियों और

राज्य स्तरीय समितियों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर विचार किया और मार्च, 2013 तक (सीएए के आरंभ होने से) सभी 12 समुद्रतटीय राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में झींगा किसानों को 26,118 पंजीकरण प्रमाण–पत्र अनुमोदित किए गए तथा जारी किए। सभी समुद्रतटीय राज्यों में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण–पत्र की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण सारिणी 2में दिया गया है और प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत राज्यवार और क्षेत्रवार फार्मों को दर्शाने वाला चार्ट भी चित्र 1 और चित्र 2 में दिया गया है ।

तालिका 2 : सीएए द्वारा 40वीं बैठक (दिसंबर 2005 – मार्च 2013) तक जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण–पत्रों का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.00 से अधिक	कुल
1	पश्चिम बंगाल	1,718	165	6	0	0	**1,889**
2	ओडीशा	4,347	419	27	10	0	**4,803**
3	आंध्र प्रदेश	14,544	1,018	113	51	9	**15,735**
4	तमिल नाडु	886	597	128	19	1	**1,631**
5	पुदुचेरी	5	1	0	0	0	**6**
6	केरल	576	164	15	3	0	**758**
7	कर्नाटक	255	41	2	2	0	**300**
8	गोवा	19	14	1	2	0	**36**
9	महाराष्ट्र	80	112	23	18	6	**239**
10	गुजरात	139	555	8	1	2	**705**
11	दमन एवं दीव	0	12	0	0	0	**12**
12	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	1	0	0	0	**4**
	कुल	**22,572**	**3,099**	**323**	**106**	**18**	**26,118**

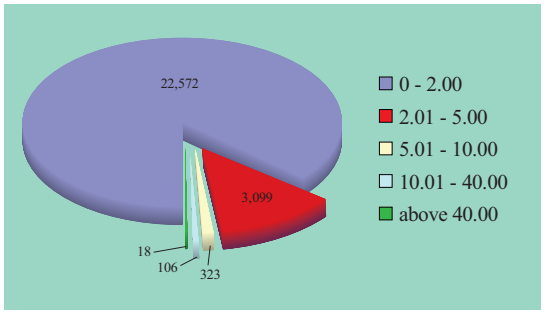

चित्र 1 सभी तटीय राज्यों में फार्मों (राज्यवार) का नामांकन दिसंबर, 2005 से मार्च, 2013 तक

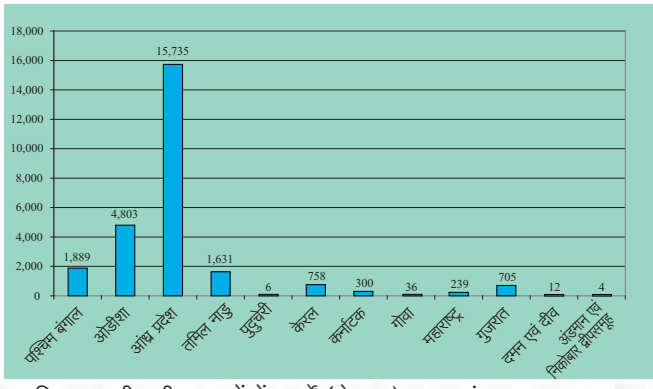

चित्र 2 सभी तटीय राज्यों में फार्मों (क्षेत्रवार) का नामांकन दिसंबर, 2005 से मार्च, 2013 तक

- वर्ष 2012–13 के दौरान प्राधिकरण में 1835 आवेदनों पर विचार किया और अनुमोदन किया। अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक पंजीकरण प्रमाण–पत्र किसानों को सीधे जारी किए गए थे और सुपुर्द न किए जाने के कारण वापस लौटे प्रमाण–पत्रों को किसानों को जारी किए जाने लिए राज्यों के एसएलसी के सदस्य संयोजकों को भेज दिया गया था।
- सभी 12 तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी किए नामांकन–पत्रों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण तालिका 3 में दिया गया है। प्राधिकरण के पास पंजीकृत फार्मों (राज्यवार और क्षेत्रवार) के ब्यौरे को दर्शाने वाली सारिणी आंकड़ों 3 और 4 में दी गई है।
- पंजीकृत फार्मों के ब्यौरे भी प्राधिकरण की वेबसाइट में अंत्य उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं जिसका नियमित तौर पर अद्यतन किया जा रहा है।

तालिका 3 : वर्तमान वर्ष (अप्रैल 2012 – मार्च 2013) के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्रों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 – 40.00	40.00 से अधिक	कुल
1	पश्चिम बंगाल	385	2	0	0	0	**387**
2	ओडीशा	498	48	0	0	0	**546**
3	आंध्र प्रदेश	622	23	9	3	0	**657**
4	तमिल नाडु	36	0	0	0	0	**36**
5	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	**0**
6	केरल	126	67	2	1	0	**196**
7	कर्नाटक	2	5	0	0	0	**7**
8	गोवा	0	0	0	0	0	**0**
9	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	**0**
10	गुजरात	0	6	0	0	0	**6**
11	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	**0**
12	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**1,669**	**151**	**11**	**4**	**0**	**1,835**

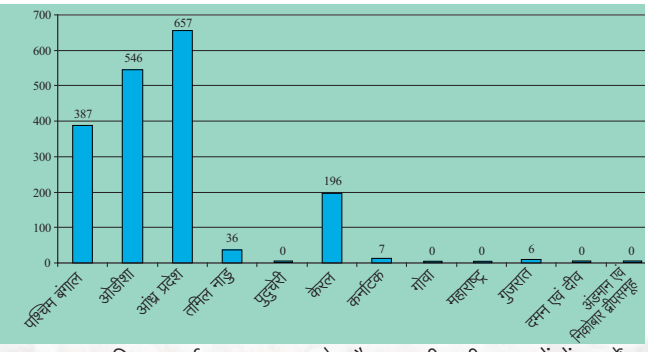

चित्र 3 वर्ष 2012–13 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों (राज्यवार) का नामांकन

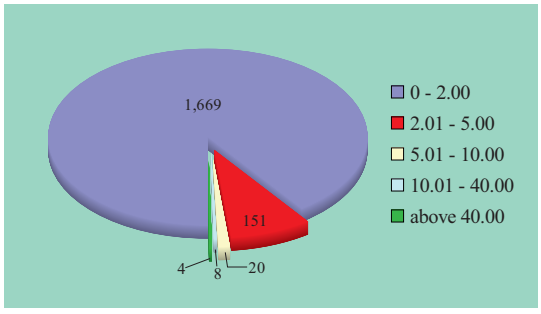

चित्र 4 सभी तटीय राज्यों में फार्मों (क्षेत्रवार) का नामांकन दिसंबर, 2005 से मार्च, 2013 तक

- 12 समुद्रतटीय राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में से वर्ष के दौरान केवल 7 राज्यों में प्राधिकरण के पास झींगा फार्मों का पंजीकरण किया गया, जिसके क्षेत्रवार ब्यौरे सारिणी में **आंकड़े 5 से 11** के रूप में नीचे दिए गए हैं ।

पश्चिम बंगाल

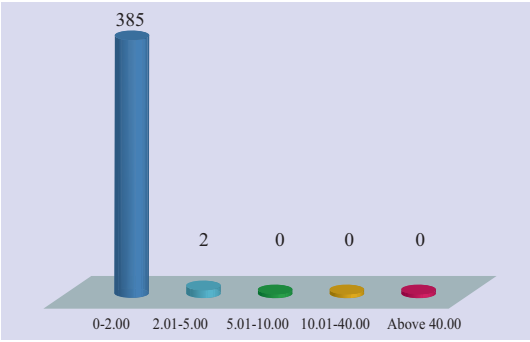

क्षेत्र (है.)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	385
2.01 - 5.00	2
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

ओडीशा

क्षेत्र (है.)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	498
2.01 - 5.00	48
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

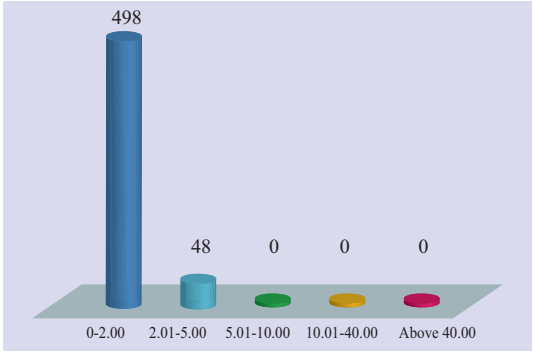

आंध्र प्रदेश

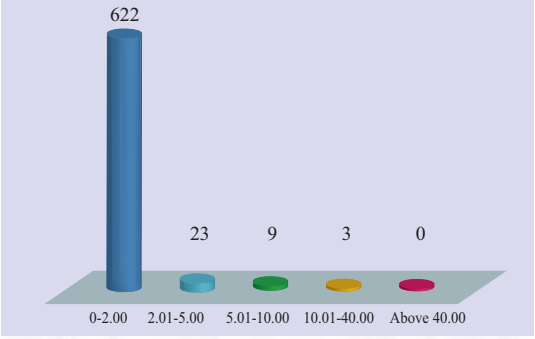

क्षेत्र (है.)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	622
2.01 - 5.00	23
5.01 - 10.00	9
10.01 - 40.00	3
40.00 से अधिक	0

तमिल नाडु

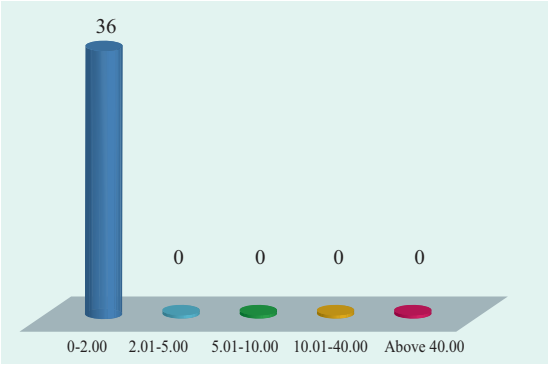

क्षेत्र (है.)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	36
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

केरल

क्षेत्र (है.)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	126
2.01 - 5.00	67
5.01 - 10.00	2
10.01 - 40.00	1
40.00 से अधिक	0

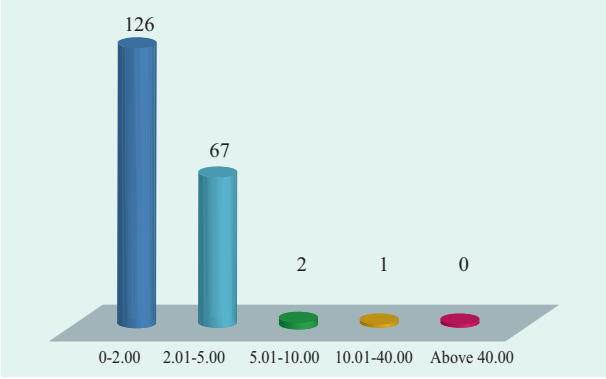

कर्नाटक

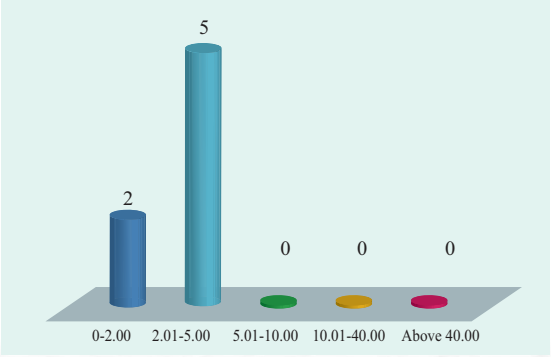

क्षेत्र (है.)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	2
2.01 - 5.00	5
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

गुजरात

क्षेत्र (है.)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	0
2.01 - 5.00	6
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

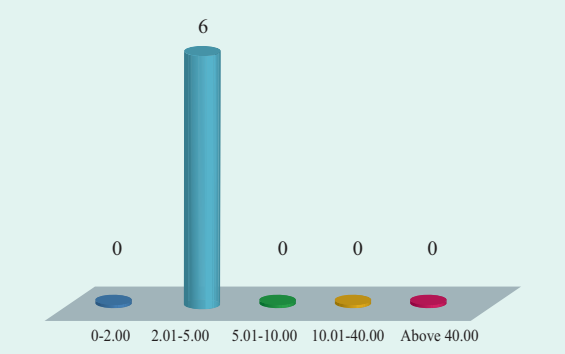

3. पंजीकरणों का नवीनीकरण

वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 19 फार्मों, जिसके तहत कुल 36.67 हेक्टेयर क्षेत्र (डब्ल्यूएसए 25.56 हेक्टेयर) शामिल हैं, को (तमिलनाडु में 14 और आंध्र प्रदेश में 5) पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए अनुमोदित किया गया था । अपने फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण करने की आवश्यकता के संबंध में तटीय किसानों को याद दिलाने के लिए समाचार–पत्रों में दो विज्ञापन जारी किए गए थे ।

4. एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन

(i) एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन

सीएए में सीआईबीए, एनएफडीबी और एमपीईडीए जैसे अन्य संबद्ध संगठनों के परामर्श से संभावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ गहन विचार–विमर्श करके अनुवांशिक और रोग की स्थिति के आधार पर एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक की आपूर्तिकर्ताओं की सूची बनाने और चयन का कार्य कर लिया है। एसपीएस एल. वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति हेतु वर्ष 2012–13 के लिए निम्नलिखित नौ आपूर्तिकर्ताओं जिन्हें वर्ष 2011–12 के लिए सूचीबद्ध किया गया था, को चयन–सूची में रखा गया है:

1. मै. औसैनिक इंस्टीट्यूट, हवाई
2. मै. कोना बे मेरिन रिसोर्सेज, हवाई
3. मै. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम, फ्लोरिडा
4. मै. साइक्वा, थाईलैंड
5. मै. वेन्नामई 101 कं.लि. (के साथ संयुक्त उद्यम) थाईलैंड
6. मै. चेरियन पोकफंड फूड्स पब्लिक कं.लि., थाईलैंड
7. मै. श्रिम्प इंप्रवमेंट सिस्टम प्रा.लि., सिंगापुर
8. मै. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम प्रा.लि., हवाई
9. मै. हाई हैल्थ अक्वाकल्चर इंक, हवाई

वर्ष की विगत तिमाही के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरी प्रचालकों को अर्ली मोर्टलिटी सिंड्रोम (ईएमएस)/ एक्यूट हेपाटोपैंक्रिएटिक नेक्रोसिस सिंड्रोम (एएचपीएनएस) फैलने के कारण दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों से ब्रूडस्टॉक का आयात नहीं करने की सलाह दी गई थी ।

(ii) ब्रूडस्टॉक के आयात पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठकें

तकनीकी मूल्यांकन समिति ने दिनांक 11 फरवरी, 2013 को हैचरी प्रचालकों के साथ बैठक की थी और ब्रूडस्टॉक के आयात विशेष तौर पर वार्षिक आवश्यकता, ब्रूडस्टॉक की गुणवत्ता, अवशेष दरों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था।

तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठकें प्रगति पर हैं

(iii) वर्ष 2012–13 में एसपीएफ एल.वेन्नामई ब्रूडस्टॉक का आयात और बीज उत्पादन

- तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने सीएए अनुमोदित फार्मों को बिक्री के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई का आयात और पोस्ट लार्वा (पीएल) के उत्पादन के लिए हैचरियों को अनुमति प्रदान करना जारी रखी है।
- निरीक्षण दल और हैचरियों को अनुमति प्रदान करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर, एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक की अनुमति मात्रा का आयात और एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज का उत्पादन करने के लिए वर्ष 2012–13 के लिए 74 हैचरियों (आंध्र प्रदेश में 53, तमिल नाडु में 17, गुजरात में 2, ओडीशा में 1 और कर्नाटक में 1) के अनुमति पत्रों का नवीनीकरण किया गया था । नवीनीकृत अनुमति की वैधता 31–03–2013 तक है ।
- निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 2012–13 के दौरान ब्रूडस्टॉक के आयात और एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन के लिए प्राधिकरण द्वारा 31 नई हैचरियों (आंध्र प्रदेश में 23 और तमिल नाडु में 8) को अनुमोदन प्रदान किया गया था, जो 31–03–2013 तक वैध है । ये हैचरियां वर्ष के दौरान नवीनीकृत किए गए 74 परमिटों के अतिरिक्त हैं ।
- अनुमोदित हैचरियों में से प्रत्येक ने सीएए के पक्ष में 5 लाख रूपए की बैंक गारंटी जमा की है ताकि उनके द्वारा दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में सीएए अधिनियम, नियम और दिशा–निर्देशों में निर्धारित कोडल प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात सीएए द्वारा लगाए गए किसी अन्य अर्थ दंड के अलावा बैंक गारंटी का उपयोग किया जाएगा।
- यद्यपि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक का आयात और बीज उत्पादन के लिए सीएए द्वारा 105 हैचरियों (आंध्र प्रदेश में 76, तमिलनाडु में 25, गुजरात में 2, ओडीशा में 1 और कर्नाटक में 1) को अनुमति दी गई थी । अनुमत हैचरियों का राज्य–विवरण चित्र 12 में दिया गया है और जिला–वार विवरण चित्र 13 में दिया गया है।

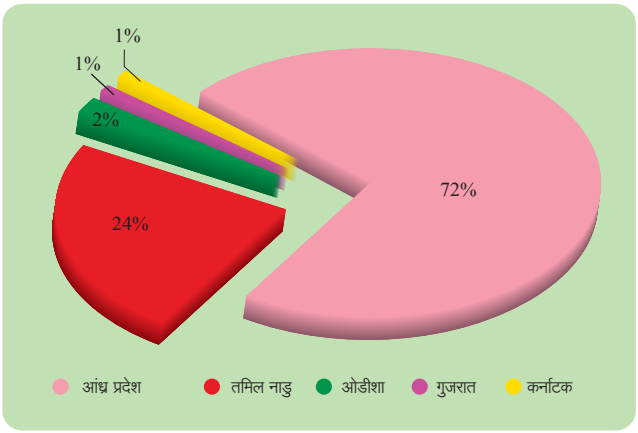

चित्र 12 एल. वन्नामई हेचरीज का राज्यों के अनुसार वितरण

- अवधि के दौरान अनुमत ब्रूडस्टॉक की कुल संख्या 66,360 जोड़े थी जिनकी न्यूनतम उत्पादन संभाव्यता 8,295 मिलियन एसपीएफ बीज थी। कार्यक्रम शुरू होने से एल. वेन्नामई हैचरियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है और चार वर्षों (जुलाई, 2009 से मार्च, 2013 तक) की अवधि के भीतर सीएए ने 105 हैचरियों को अनुमोदित किया है।
- इसे अलावा, जलीय क्वारंटाइन में अपर्याप्त स्थान को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 23 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.280ई के रूप में सीएए अनुमोदित हैचरियों को नौपल्ली की बिक्री की अनुमति से पीएल उत्पादन के लिए आयातित ब्रूडस्टॉक का बेहतर उपयोग संभव हुआ है। वर्ष 2012–13 के दौरान उत्पादित झींगा बायोमास से प्राप्त समग्र अनुमान के अनुसार अनुमोदित हैचरियों में उत्पादित पीएल 7,500–8,500 मिलियन की रेंज में है।

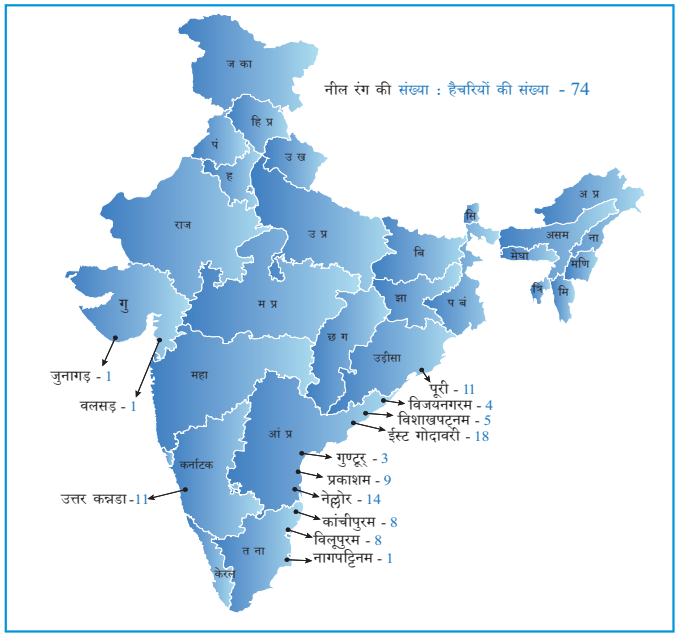

चित्र 13 अनुमत एल. वन्नामई हेचरीज का वितरण

हैचरीज का निरीक्षण

जैव सुरक्षित हैचरीज का आंतरिक दृश्य

हैचरी में कंपाउंड वाल और टायर वाश

कैटरिज़ फिल्टर

हैचरीज में ईटीएस

इंडोर अलगल कल्चर

इंडोर अलगल कल्चर

अर्टीमिया सेक्शन

अर्ली पोस्ट लार्वा

पोस्ट लार्वा

(iv) गैर अनुमोदित हैचरियों द्वारा गैर–कानूनी एल. वेन्नामई बीज उत्पादन के विरूद्ध की गई कार्रवाई

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एल. वेन्नामई के गैर–कानूनी बीज उत्पादन का पता लगाने के लिए झींगा हैचरियों की नियमित निगरानी करने के उद्देश्य से तथा विशेष शिकायतों पर हैचरियों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण दल ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी–गोदावरी और नेल्लौर जिलों में झींगा हैचरियों के 21 दौरे किए थे तथा तमिलनाडु के कांचीपुरम और विल्लूपुरम जिलों में झींगा हैचरियों के 62 दौरे किए थे।

इन दौरों के दौरान, दल ने यह पाया था कि 26 गैर–अनुमोदित हैचरियों के पास विशिष्ट ब्रूडस्टॉक वाले तालाब और एल. वेन्नामई के लार्वा चरण हैं जिन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 23 मार्च 2012 के दिशा–निर्देश जी.एस.आर.280 (ई) के अनुसार दल द्वारा नष्ट कर दिया गया था । निरीक्षित हैचरियों की संख्या और नष्ट किए गए ब्रूडस्टॉक तथा लार्वा चरण की मात्रा (लगभग) को तालिका 4 में विस्तार से दिया गया है । एल.वेन्नामई बीजों के गैर–कानूनी उत्पादन के लिए सीएए द्वारा उन्नीस हैचरियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे और 18 हैचरियों को बंद करने के आदेश दिए गए थे।

तालिका 4 अनाधिकृत एल.वेन्नामई बीज उत्पादन और की गई कार्रवाई के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	हैचरियों की कुल संख्या	नष्ट किए गए ब्रूडस्टॉक की लगभग संख्या	नष्ट किए गए लार्वा चरण की लगभग मात्रा (मिलियन)
1	तमिलनाडु	15	11,600	75.50
2	आंध्र प्रदेश	11	9,700	99.10
	कुल	26	21,300	176.60

अनाधिकृत हैचिरीज का निरीक्षण

(v) एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों की अनुमति

सीएए ने मार्च, 2013 तक एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए 802 फार्मों के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण दल गठित किया। निरीक्षण के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए जल सुरक्षा आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

i. फार्मों की घेरावबंदी;
ii. क्रेब फेंसिंग;
iii. जलाशयों के माध्यम से जल उपभोग;
iv. पक्षी डरावा/पक्षी सुरक्षा जाल लगाना;
v. सक्षम उपचार तंत्र (ईटीएस).

निरीक्षण दल की सिफारिशों के आधार पर, आगे की कार्रवाई सदस्य सचिव, सीएए के स्तर पर की जाती है, जिसके पश्चात प्रस्ताव को विचार के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है। सीएए द्वारा अनुमोदन के पश्चात् किसानों को एलओईएस जारी किए जाते हैं ।

एल. वन्नामई फार्मों का निरीक्षण

फार्म फेंसिंग

क्रेब फेंसिंग

चिड़ियों को उलझाकर जाल में फंसाना

जल अभिक्रिया के लिए जलाशय

अपशिष्ट जल अभिक्रिया के लिए ईटीएस

फार्म लाइनिंग

प्रेक्षण टावर के साथ फार्म

सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए घूमने वाले सीसी कैमरे से लैस फार्म

वर्ष 2012–13 के दौरान, प्राधिकरण ने एसपीएस एसपीएफ एल.वेन्नामई उत्पादन के लिए 334 फार्मों पर विचार किया है और अनुमोदित किया है जिसके तहत कुल क्षेत्र 2,514.51 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 1,746.18 हेक्टेयर) है। फार्मों के राज्य–वार ब्यौरे तालिका 5 में दिए गए हैं और उनका प्रतिशत वितरण सारिणी 14 में दिया गया है। विभिन्न राज्यों में फार्मों का क्षेत्रवार वितरण सारिणी 5 में दिया गया है ।

तालिका 5: अप्रैल 2012 से मार्च, 2013 तक एसपीएफ एल.वेन्नामई फार्मों की अनुमति के राज्य–वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	फार्मों का नाम	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	259	1,474.6	1,059.3
2	तमिल नाडु	34	295.3	202.5
3	गुजरात	11	104.8	74.4
4	महाराष्ट्र	13	483.8	308.9
5	ओडीशा	11	78.2	48.7
6	गोवा	3	18.3	13.9
7	दमन एवं दीव	3	60.0	38.4
	कुल	**334**	**2,514.6**	**1,746.3**

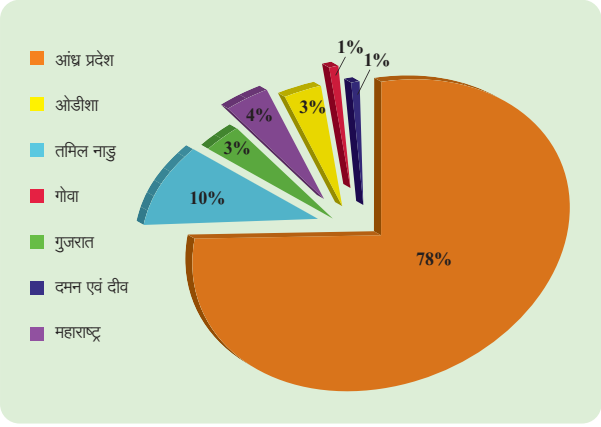

चित्र 14 वर्ष 2012–13 के लिए सीएए से अनुमोदित एल. वेन्नामई फार्मों का प्रतिशत वितरण

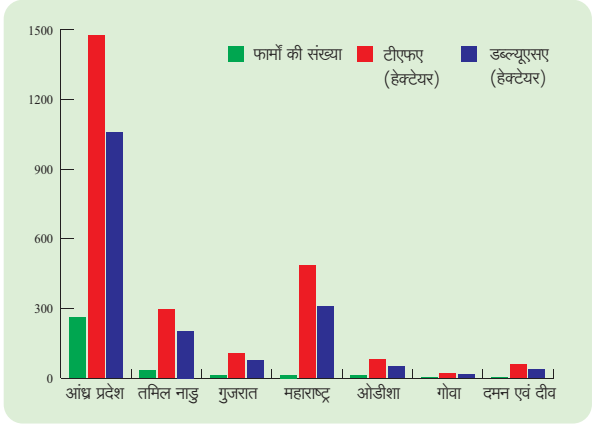

चित्र 15 वर्तमान वर्ष में अनुमत एल.वेन्नामई फार्मों के ब्यौरे

सीएए ने मार्च, 2013 तक 802 एसपीएफ एल.वेन्नामई फार्मों को अनुमोदित किया है और एलओपीएस जारी किया है, जिसके तहत कुल 8,429.22 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 5717.64 हेक्टेयर) क्षेत्र शामिल है, फार्मों के राज्य–वार ब्यौरे तालिका 6 में दिए गए हैं, उनका प्रतिशत वितरण क्षेत्र 16 में दिया गया है और विभिन्न राज्यों में क्षेत्रवार वितरण क्षेत्र 17 में दिया गया है।

तालिका 6 अगस्त, 2009 से मार्च, 2013 तक एसपीएफ एल.वेन्नामई की अनुमति के राज्य–वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	580	5,525.5	3,826.8
2	तमिल नाडु	113	985.7	675.1
3	गुजरात	39	547.9	378.0
4	महाराष्ट्र	29	1,002.9	600.0
5	कर्नाटक	17	47.9	38.2
6	ओडीशा	16	218.3	132.7
7	गोवा	4	23.9	16.7
8	पुदुचेरी	1	17.1	11.9
9	दमन एवं दीव	3	60.0	38.4
	कुल	**802**	**8,429.2**	**5,717.8**

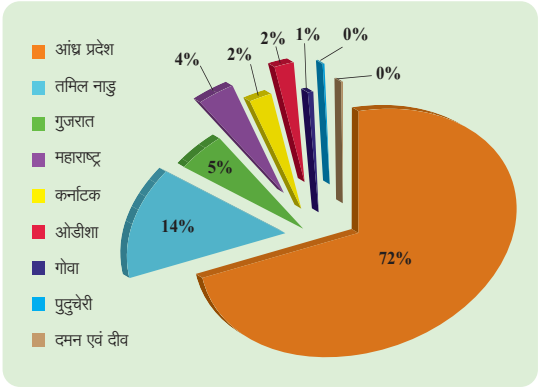

चित्र 16 दिसंबर 2005 से मार्च 2013 तक सीएए से अनुमोदित एल. वेन्नामई फार्मों का प्रतिशत वितरण

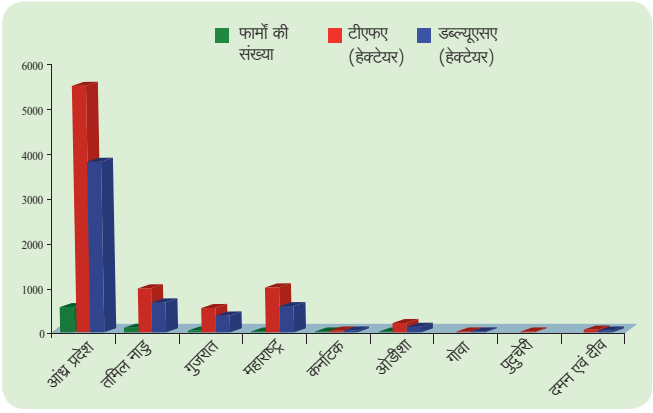

चित्र 17 दिसंबर 2005 से मार्च, 2013 तक अनुमत एल. वेन्नामई फार्मो के ब्यौरे

वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान सभी तटीय राज्यों में जारी किए गए एलओपीएस की संख्या के लिहाज से एल.वेन्नामई फार्मों की वृद्धि तालिका 7 में दी गई है; पालन के तहत वाले क्षेत्र के लिहाज से वृद्धि चित्र 18 में दी गई है और इस अवधि के दौरान राज्यवार वृद्धि चित्र 19 में दी गई है। मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार एल.वेन्नामई फार्मों का जिला–वार वितरण चित्र 20 में दिया गया है।

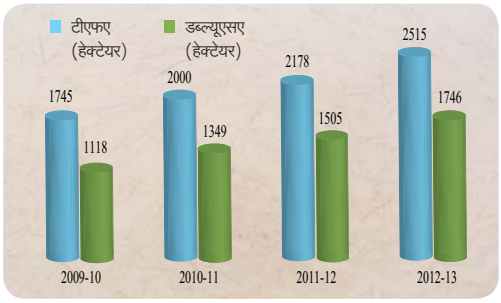

चित्र 18 वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान वर्तमान क्षेत्र के संदर्भ में एल. वन्नामई फार्मों की वृद्धि

तालिका 7 वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान सभी तटीय राज्यों में एसपीएफ एल. वेन्नामई उत्पादन के लिए जारी किए गए एलओपीएस की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009 - 10			2010 - 11			2011 - 12			2012 - 13			कुल		
		फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	87	1236.3	815.4	105	1205.9	833.2	129	1619.8	1118.9	259	1463.5	1059.3	580	5525.5	3826.8
2	तमिल नाडु	6	90.1	55.4	32	324.2	203.4	41	276.9	213.8	34	294.5	202.5	113	985.7	675.1
3	गुजरात	4	146.0	78.0	6	125.0	97.0	18	172.5	128.6	11	104.4	74.4	39	547.9	378.0
4	महाराष्ट्र	10	272.5	168.6	3	152.0	91.5	3	89.6	31.0	13	488.8	308.9	29	1002.9	600.0
5	कर्नाटक	0	0	0	16	47.0	37.4	1	0.9	0.8	0	0	0	17	47.9	38.2
6	ओडीशा	0	0	0	5	140.1	83.8	0	0	0	11	78.2	48.9	16	218.3	132.7
7	गोवा	0	0	0	1	5.6	2.8	0	0	0	3	18.3	13.9	4	23.9	16.7
8	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	1	17.1	11.9	0	0	0	1	17.1	11.9
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60.0	38.4	3	60.0	38.4
	कुल	**107**	**1744.9**	**1117.4**	**168**	**1999.8**	**1349.1**	**193**	**2176.8**	**1505.0**	**334**	**2507.7**	**1746.3**	**802**	**8429.2**	**5717.8**

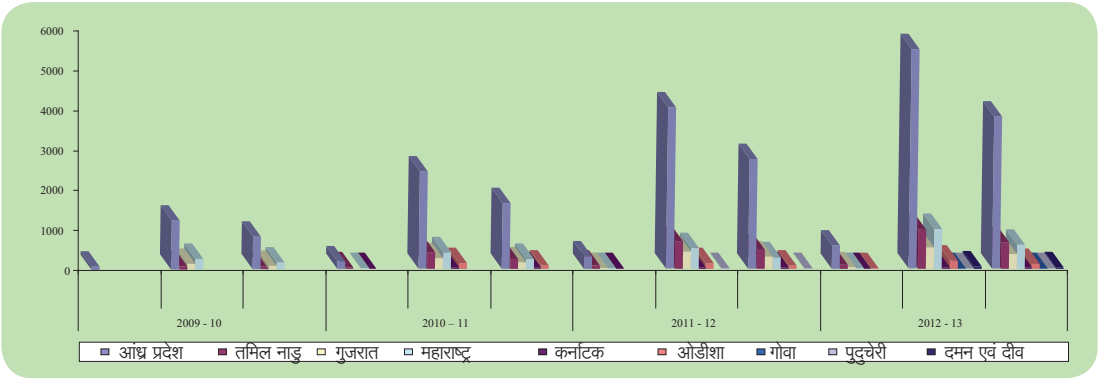

चित्र 19 दिसंबर 2009–10 से मार्च 2013 के दौरान एल. वन्नामई फार्मों की राज्य–वार वृद्धि

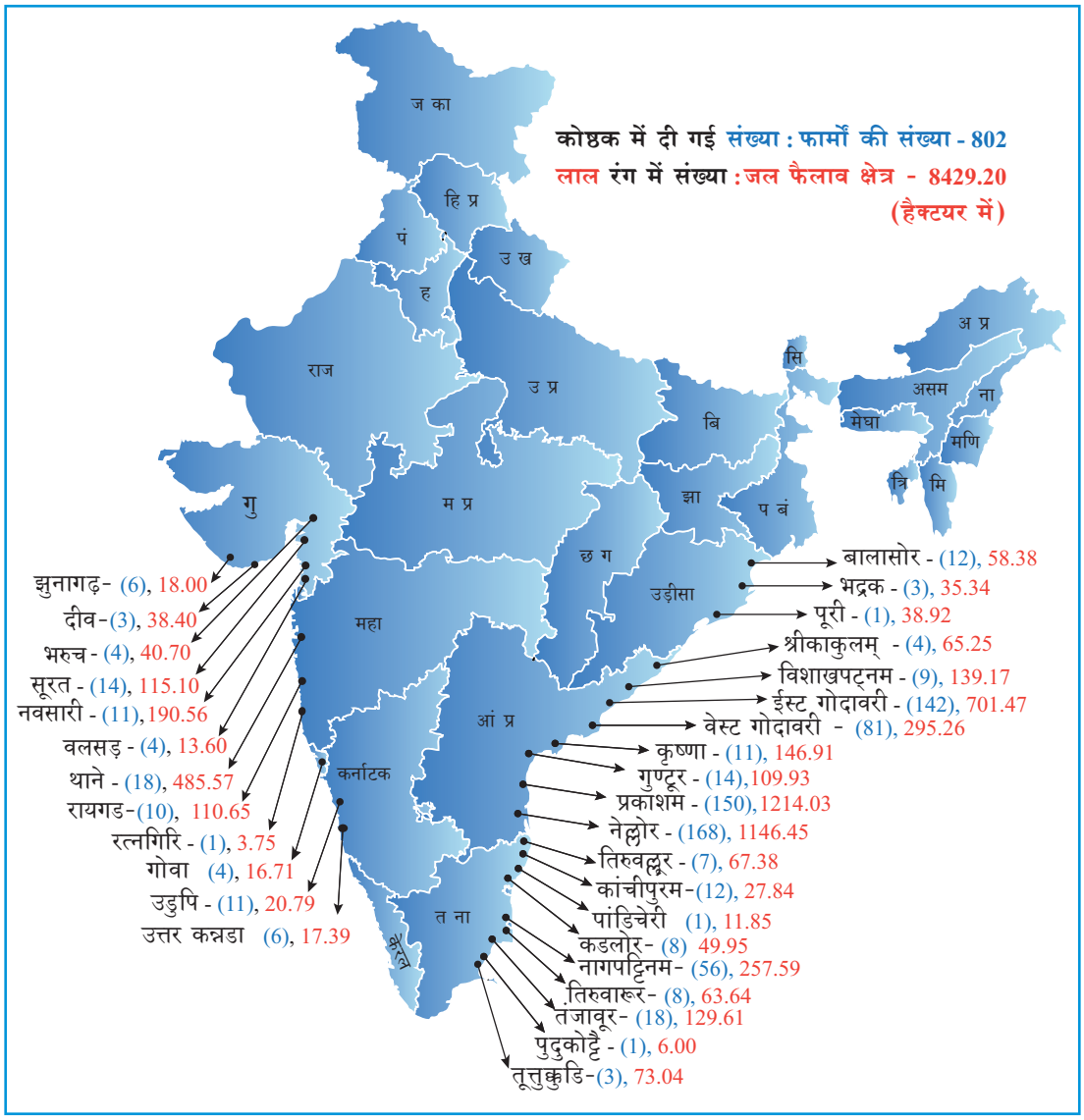

चित्र 20 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार एल. वन्नामई फार्मों का जिलेवार वितरण

(vi) एल. वेन्नामई फार्मों के पंजीकरण को रद्द करना

झींगा उत्पादन कार्यकलापों के पैडी क्षेत्रों को निकट से प्रभावित करने के कारण चिराला मण्डल, प्रकाशम जिले के विजयलक्ष्मीपुरम के ग्रामीणों के शिकायत निवारण के आधार पर निम्नलिखित 5 झींगा फार्मों के पंजीकरण को रद्द करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने अपनी 40 वीं बैठक में निर्णय लिया था।

(vii) एल. वेन्नामई उत्पादन का राज्यवार निष्पादन

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 5,535.5 हेक्टेयर पालन क्षेत्र और 3,826.4 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र सहित एसपीएफ एन. वेन्नामई पंजीकरण की सर्वाधिक संख्या (580) दर्ज की है। तिमाही रिपोर्ट के जरिए कृषकों द्वारा दिए गए आंकड़े के आधार पर एसपीएफ एन. वेन्नामई पालन का कार्य निष्पादन संश्लेषण अगले पृष्ठ पर लिया गया है।

क्र. सं.	निष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	संग्रहण सघनता (मि./हे.)		0.49
2	पालन के दिन (डीओसी)	71-165	116.00
3	बचने की दर (%)	50.0-98.2	79.60
4	औसत शरीर का भार (ग्राम)	12.5-35.0	25.00
5	उपज (मि./हे.)	4.0-17.0	10.50
6	एफसीआर	1.1-1.9	1.50

तमिल नाडु

तमिल नाडु में एसपीएफ एल.वेन्नामई पालन 985.7 हेक्टेयर क्षेत्र में (डब्ल्यूएसए 675.1 हेक्टेयर) सीएए के पास पंजीकृत 113 फार्मों में किए जाते हैं । एल.वेन्नामई पंजीकरण में यह राज्य दूसरे स्थान पर है। इस राज्य में एसपीएफ एल.वेन्नामई पालन का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	संग्रहण सघनता (मि./हे.)		0.37
2	पालन के दिन (डीओसी)	60-155	114.00
3	बचने की दर (%)	75.0-98.0	87.20
4	औसत शरीर का भार (ग्राम)	10.0-34.0	23.00
5	उपज (मि./हे.)	2.5-17.0	9.80
6	एफसीआर	1.3-1.8	1.60

गुजरात

गुजरात में एसपीएफ एल.वेन्नामई पालन के लिए 547.9 हेक्टेयर कुल पालन क्षेत्र (डब्ल्यूएसए 378.0 हेक्टेयर) के साथ पंजीकृत फार्मों की संख्या 39 है। अनुमत क्षेत्र के आधार पर इस राज्य का चौथा स्थान है। कृषकों द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट के आधार पर किया गया विश्लेषण नीचे प्रस्तुत है:

क्र. सं.	निष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	संग्रहण सघनता (मि./हे.)		0.45
2	पालन के दिन (डीओसी)	80-158	131.00
3	बचने की दर (%)	67.0-47.0	86.70
4	औसत शरीर का भार (ग्राम)	17.0-31.0	25.00
5	उपज (मि./हे.)	4-17.0	10.50
6	एफसीआर	1.1-1.6	1.30

महाराष्ट्र

पालन के अंतर्गत क्षेत्र के आधार पर महाराष्ट्र 1002.9 हेक्टेयर कुल पालन क्षेत्र (डब्ल्यूएसए 600.0 हेक्टेयर क्षेत्र) के साथ तीसरे स्थान पर है। इस राज्य में पंजीकृत फार्मों की संख्या 29 है। इस राज्य में एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	संग्रहण सघनता (मि./हे.)		0.44
2	पालन के दिन (डीओसी)	85-145	125.00
3	बचने की दर (%)	50.0-95.4	74.90
4	औसत शरीर का भार (ग्राम)	16.3-32.0	22.60
5	उपज (मि./हे.)	3.0-8.8	5.90
6	एफसीआर	1.3-1.8	1.60

कर्नाटक

इस राज्य में 47.0 हेक्टेयर कुल पालन क्षेत्र (डब्ल्यूएसए 38.2 हेक्टेयर) के साथ पंजीकृत फार्मों की संख्या 17 है। इस राज्य में सभी पंजीकृत फार्म छोटे फार्म हैं जिनके पास 4.05 हेक्टेयर से कम जल प्रभावित क्षेत्र है। इस राज्य में एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन का कार्य निष्पादन नीचे प्रस्तुत है:

क्र. सं.	निष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	संग्रहण सघनता (मि./हे.)		0.26
2	पालन के दिन (डीओसी)	71.37	102.00
3	बचने की दर (%)	68.0-98.4	81.30
4	औसत शरीर का भार (ग्राम)	15.0-35.7	22.50
5	उपज (मि./हे.)	3.0-16.5	10.00
6	एफसीआर	1.3-1.6	1.50

ओडीशा

ओडीशा राज्य में 218.2 हेक्टेयर कुल पालन क्षेत्र (डब्ल्यूएसए 133.1 हेक्टेयर) के साथ एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए पंजीकृत फार्मों की संख्या 16 है। एल.वेन्नामई पालन के लिए पंजीकृत सभी फार्म बड़े फार्म हैं जिनके पास 8.00 हेक्टेयर से अधिक जल प्रभावित क्षेत्र है। इस राज्य में एल. वेन्नामई फार्मों का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	संग्रहण सघनता (मि./हे.)		0.41
2	पालन के दिन (डीओसी)	90-127	115.00
3	बचने की दर (%)	55.5-98.0	84.80
4	औसत शरीर का भार (ग्राम)	13.0-31.0	24.00
5	उपज (मि./हे.)	7.0-12.5	8.70
6	एफसीआर	1.2-1.5	1.40

पुदुचेरी

पुदुचेरी राज्य में 17.1 हेक्टेयर कुल पालन क्षेत्र (डब्ल्यूएसए 11.9 हेक्टेयर) के साथ एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए सीएए के पास पंजीकृत एक फार्म है । इस केन्द्र शाषित प्रदेश में एसपीएफ एल. वेन्नामई का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	संग्रहण सघनता (मि./हे.)		0.06
2	पालन के दिन (डीओसी)	108-121	115.00
3	बचने की दर (%)	65.0-95.0	80.00
4	औसत शरीर का भार (ग्राम)	20.0-41.0	31.00
5	उपज (मि./हे.)	4.4-14.1	9.30
6	एफसीआर	1.4-1.5	1.40

गोवा

गोवा राज्य में 23.9 हेक्टेयर कुल पालन क्षेत्र (डब्ल्यूएसए 16.7 हेक्टेयर) के साथ एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए पंजीकृत 4 फार्म हैं। तथापि, केवल एक फार्म के एक फसल के संबंध में पालन के आंकड़े उपलब्ध हैं, इसलिए पालन के कार्य निष्पादन पर वर्ष में विचार नहीं किया गया है।

दमन एवं दीव प्रशासन

दमन एवं दीव प्रशासन में 60.0 हेक्टेयर कुल पालन क्षेत्र (डब्ल्यूएसए 38.4 हेक्टेयर) के साथ एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए पंजीकृत 3 फार्म हैं। इन फार्मों को केवल विगत तिमाही के दौरान अनुमति दी गई थी।

जल का जीएक्यूपी फिल्टरेशन

जीएक्यूपी केन्द्रीय जल निकासी व्यवस्था

पैडल ह्वील्स द्वारा जीएक्यूपी वायु संचारण

(viii) एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पादन

जैव सुरक्षित पालन के माध्यम से एसपीएफ एल.वेन्नामई के उत्पादन में वर्ष 2009 में इसके प्रारंभ से शानदार वृद्धि हुई है। जैसा कि 2009–10 के दौरान 1,731 एम.टी., 2010–11 के दौरान 18,247 एम.टी. और 2011–12 के दौरान 80,717 एम.टी. के उत्पादन आंकड़ों से देखा जा सकता है। वर्ष 2012–13

संपीड़ित वायु की आपूर्ति द्वारा जीएक्यूपी वायु संचारण

जीएक्यूपी भोजन का ढेर

जीएक्यूपी – भोजन का वजन करते हुये

विभिन्न पौंड के लिए जीएक्यूपी राशन। सम्बंधित पौंड के चेक ट्रे के लिए लाहरीयों के अंदर भोजन पैकेट

जीएक्यूपी – स्वचालित फीडिंग मशीन/उपस्कर

के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए कुल 802 फार्मों को सीएए द्वारा अनुमोदित किया गया था । 31–03–2013 तक जिसका कुल जल प्रभावित क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) 5,717.8 हेक्टेयर है।

बचने की दर 75–87% (औसत 81%) की रेंज में थी और पालन अवधि 102 से 131 दिनों (औसत 117 दिन) के बीच थी। शरीर भार की रेंज 22.5 ग्राम से 31.0 ग्राम (औसत 26.8 ग्राम) तक थी और खाद्य परिवर्तन अनुपात (एफसीआर 1.3–1.6 (औसत 1.4) के बीच भिन्न था। उपज की रेंज 8.2 एमटी/हे. के औसत उत्पादन सहित 5.9 से 10.5 एमटी/हे. तक थी।

फार्म–फ्रेश की कटाई एन. वन्नामई

उत्पाद का जीएक्यूपी कटाई उपरान्त देखभाल

कलस्टर पालन प्रणाली का प्रयोग करते हुए एसपीएफ एल.वेन्नामई पालन

सामान्य ईटीएस और जैव सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए एसपीएफ एल.वेन्नामई का पालन भी करने वाले छोटे फार्मों के किसानों को सुविधा मुहैया कराते हुए सीएए द्वारा क्लस्टर पालन प्रणाली शुरू की गई थी। 2,446

छोटे फार्म धारकों को सम्मिलित करके 534 क्लस्टर फार्म हैं जिसका कुल फार्म क्षेत्र 5,172.5 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 3589.0 हे.) है । 31-03-2013 की स्थिति के अनुसार सीएए द्वारा पंजीकृत कुल फार्मों के 67% का क्लस्टर फार्म निर्मित किया गया है, जिसमें कुल पालन क्षेत्र का 61.4% शामिल है (चित्र 21) ।

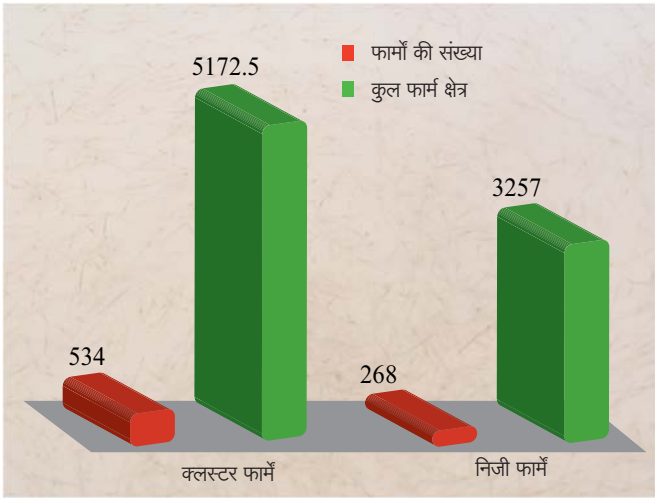

चित्र 21 एल. वन्नामई में क्लस्टर कृषि

(ix) एल. वेन्नामई हैचरीज/फार्मों की निगरानी

पालन से संबंधित सामाजिक और पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों जैसे जल प्रदूषण रोगों में वृद्धि और फैलाव, राहत, पर्यायवास प्रभावों और आस-पास के समुदायों पर सामाजिक प्रभावों को रोकने के लिए नियमित अंतराल में अनुमोदित फार्मों/हैचरियों का दौरा करके झींगा हैचरियों और फार्मों की नियमित निगरानी की जाती है। प्रचालन के कारण हैचरियों/फार्मों में जैव सुरक्षा की स्थिति, उत्पादन प्रणालियों में उत्पादन तरीकों, कार्य निष्पादन, जल गुणवत्ता, स्वस्थ बीजों/झींगों पर्यावरणीय समस्याओं, यदि कोई हो, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। अनुमत हैचरियों और फार्मों से निकले अपशिष्ट जल नमूनों को जांच के लिए ईटीएस के अंतिम निकासी बिंदु से एकत्रित किया जाता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अपशिष्ट जल प्राचलों को पूरा किया जाए ।

हैचिरीज की निगरानी प्रगति पर है

वर्ष 2012–13 के दौरान सीएए निगरानी दल ने आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में सीएए द्वारा अनुमत 126 हैचरियों और 45 फार्मों का दौरा किया था, जिसमें से 86 हैचरियों और 14 फार्मों के ईटीएस के अंतिम निकास बिंदु से एकत्र किए गए अपशिष्ट जल नमूनों का विश्लेषण किया गया था। परिणाम यह दर्शाता है कि 7 हैचरियों में अपशिष्ट गुणवत्ता सीएए मानकों से अधिक थी और इसलिए उन्हें चेतावनी पत्रों द्वारा सावधान किया गया था। सीएए ने फार्म के स्वामियों को प्रभावों को कम करने के लिए इसमें सुधार करने का निर्देश भी दिया था।

चेक ट्रे निगरानी

हैचरियों और फार्मों में अनुरक्षित अभिलेखों/पंजिकाओं का भी सत्यापन किया गया था और कृषि मंत्रालय के दिनांक 01 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 302 (ई) में यथा वर्णित फार्मों में आयातित ब्रूड स्टॉक की मात्रा, उनका स्रोत, मोरटैलिटी यदि कोई हो, अंडे, नौपल्ली, उत्पादित/बेंचे गए पोस्ट लार्वा और उन किसानों का नाम और पता जिनको बीज बेंचे गए थे, हैचरियों के सीएए नामांकन की तारीख और संख्या; प्राप्त किए गए बीज की मात्रा, उन हैचरियों का नाम एवं पता जहां से बीज प्राप्त किए गए थे, हैचरी का वैध सीएए नामांकन का नम्बर और तारीख, उत्पादित, बेंचे गए झींगा की मात्रा, प्रशंस्करणकर्ता का नाम एवं पता जिन्हें बेंचे गए थे आदि संबंधी ब्यौरों की उचित रूप से प्रविष्टि की गई थी अथवा नहीं । किसानों/हैचरी प्रचालकों को उपयुक्त अभिलेखों को अनुरक्षित करने की आवश्यकता और उक्त अधिसूचना में यथा अपेक्षित सीएए को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में बार–बार बताया गया था। किसानों को उत्तरदायी, पारिस्थितिकीय और आर्थिक तौर पर वहनीय जल कृषि कार्यकलापों को अपनाने की सलाह भी दी गई थी और स्थल विशिष्ट प्रोबायोटिक लागू करने के साथ–साथ सुरक्षित और गुणवत्ता वाले जल कृषि उत्पादों के उत्पादन में अच्छा प्रबंधन कार्यकलापों (जीएमपीज) को अपनाने का सुझाव भी दिया गया था।

ब्रूड स्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने, ब्रूड स्टॉक के आयात तथा क्वारन्टाइन में कठोर विनियमन ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि देश में अब तक आयातित एल.वेन्नामई ब्रूड स्टॉक ओआई में सूचीबद्ध रोगाणुओं से मुक्त हों । इसी प्रकार, जैव सुरक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के बाद हैचरियों और फार्मों का अनुमोदन करना जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और नियमित निगरानी है कि दिशा–निर्देशों को उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है और फार्मों तथा हैचरियों के ईटीएस से निकले अवशिष्ट जल गुणवत्ता प्राचल सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो इसने झींगा पालन क्षेत्र को रोगों विशेष रूप से अर्ली मोरटैलिटी सिन्ड्रोम (ईएमएस) से बचने में सक्षम बनाया है। यद्यपि, इसने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के झींगा फार्मों को नष्ट कर दिया है।

झींगी फार्म में जैविक निगरानी

जैव ईंधन का मूल्यांकन

पर्यावरणीय निगरानी में अनुप्रयुक्त औजार

रिकार्डों का सत्यापन

अपशिष्ट जल नमूनों को एकत्र करना

5. जल फार्मों/हैचरियों का सर्वेक्षण

भारत में एसपीएफ एल.वेन्नामेरी का पालन तटीय लोगों के लिए एक बहुलाभदायक गतिविधि है और तटीय ग्रामीण जलसंख्या में मजदूरों को सुनिश्चित मजदूरी और रोजगार उपलब्ध कराके उनकी आजीविका और सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान करती है, उद्यमों को लाभ पहुंचाता है और सरकार के कर राजस्व में वृद्धि करता है तथा विदेशी विनिमय का सृजन करता है। तटीय जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर जल कृषि के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से वर्ष 2012–13 में एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुल 14 अनुमोदित एल. वेन्नामई हैचरियों और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 48 फार्मों का सर्वेक्षण दल द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण किया गया था, अभिलेखों को सत्यापित किया गया था और प्रश्नावली में संगत सूचना एकत्र की गई थी। सर्वेक्षण दर्शाता है कि:

- देश में एसपीएफ एल.वेन्नामई के वाणिज्यिक पालन को शुरू करने के चार वर्षों के भीतर बंद हो गए लगभग 819 हेक्टेयर झींगा फार्मों को एसपीएफ एल.वेन्नामई पालन के टिकाऊ उत्पादन के लिए पुन:शुरू किया गया है ।
- एल.वेन्नामई पालन डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और संबंधित उद्योगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करने में मदद करता है। सर्वेक्षण से प्राप्त एक अनुमान यह दर्शाता है कि एसपीएफ एल.वेन्नामई संवर्धन में लगभग 76,075 लोग सीधे तौर पर संलग्न हैं (पालन में 71,064 लोग और बीज उत्पादन में 5,011 लोग) संबद्ध क्षेत्रों में लगभग 12,062 आकस्मिक मजदूर/आकस्मिक कर्मचारी और जल कृषि संबंधित व्यवसायों में लगभग 1,65,660 लोग प्रति वर्ष संलग्न हैं । समग्र रोजगार के लगभग 30 प्रतिशत पर महिलाओं का अधिकार है, जिन्हें प्रसंस्करण संयंत्रों में प्राथमिकता दी जाती है। स्थानीय जनसंख्या के लिए सृजित रोजगार लगभग 40 प्रतिशत है। इसके अलावा, बहुत से परामर्शदाताओं को अक्वाक्लीनिक, हैचरी और पालन क्षेत्रों में लाभदायक रूप से रोजगार प्राप्त है।

सर्वेक्षण के दौरान सूचना एकत्र करना

- झींगा फार्मों में संलग्न मजदूर उन मजदूरों से अधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं जो कृषि कार्यकलापों में संलग्न हैं । जल कृषि मजदूर लगभग 300–400 रूपए/दिन मजदूरी प्राप्त करता है।
- वर्ष 2012–13 के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों के लिए नौ प्रमुख चारा मिलों द्वारा 1.72 लाख एम.टी. मिश्रित चारे की अनुमानित मात्रा का उत्पादन किया गया और इसकी आपूर्ति की गई ।
- पी.मोनाडोन की तुलना में एल.वेन्नामई में बेहतर चारा परिवर्तन दर और अल्प संवर्धन अवधि में चारा आवश्यकता को सुविचारित रूप से कम किया है जिसमें संवर्धन प्रणाली में उत्पादन की लागत तथा पोषण भार में कमी को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। संवर्धन अवधि में कमी ने भी अन्य आदान आवश्यकताओं विशेष रूप से वायु संचरण के लिए विद्युत आपूर्ति (झींगा के आकार और संवर्धन अवधि सीधे तौर पर आनुपातिक) को घटाकर उत्पादन लागत पर सीधे तौर पर वहन करता है और संवर्धन के बाद की अवधि में शामिल जोखिमों को भी कम करता है।
- फार्मों को वर्ष 2012–13 के दौरान 1,22,850 एमटी (अनन्तिम) के बराबर एसपीएफ एल.वेन्नामई झींगा की आपूर्ति करके अपर्याप्त कच्ची सामग्री की समस्या से जूझ रहे प्रसंस्करण संयंत्रों को पुन: शुरू होने में सक्षम बनाना, प्रसंस्करण के लिए 6,412 महिलाओं की अनुमानित संख्या और सामग्री का रखरखाव तथा परिवहन के लिए संतोषजनक संख्या में पुरूषों के लिए आकर्षित रोजगार ।
- आदानों की आपूर्ति के लिए अनुमानित 235 अक्वा शाप्स, 40 रोग निदान प्रयोगशालाएं, 10 जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं और निदन किट के कई आपूतिकर्ता आदि निजी क्षेत्र के तहत हैं ।
- तटीय ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा हार्डवेयर के निर्माण/आपूर्ति, कोल्ड चेन, उपस्कर और उपभोक्ता योग्य के लिए कई सहायक उद्योग स्थापित किए गए थे।
- फार्मों और हैचरियों में स्थानीय तौर पर बेहतर अवसरों को उपलब्ध कराकर तटीय ग्रामीण युवकों का शहरी क्षेत्रों में प्रवासन को कम किया गया।

6. एसपीएफ एल.वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के लिए निजी क्वारनटाइन को स्थापित करने के लिए स्थलों का निरीक्षण

नीलननकराई, चेन्नै में एसपीएफ एल.वेन्नामई के लिए मौजूदा एक्यूएफ में जगह की कमी की समस्या को संपन्न करने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय (डीएएचडीएंडएफ) ने अनुमोदित हैचरी प्रचालकों के परिसंघों के माध्यम से अतिरिक्त क्वारनटाइन सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया था। कुछ समूहों/परिसंघों जिनमें प्रत्येक में 5–10 हैचिरीज शामिल थीं, ने इस निर्णय का प्रत्युत्तर दिया है, और चेन्नै, अंगोले और मरक्कानम में अनुमोदित हैचरी प्रचालकों द्वारा आयातित एसपीएफ एल.वेन्नामई ब्रूडस्टाक के लिए केवल क्वारनटाइन सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के पधारथी ग्राम और नेल्लौर जिले के पुलिनजरापलेम ग्राम, तमिलनाडु के विलूपूरम जिले के नरावक्कम और अनुमांथई कुप्पम ग्राम (निकट मराक्कनम) में उनके द्वारा प्रस्तावित स्थलों का 25–26 मई और 10–11 जुलाई, 2012

के दौरान सीआईबीए, एनएफडीबी, एक्यूएंडसीएस, डीएएचडीएंडएफ और एआईएसएचए के सदस्यों के साथ सीएए द्वारा समन्वित समिति द्वारा निरीक्षण किया गया था और उनकी संभाव्यता का मूल्यांकन किया गया था तथा मंत्रालय को इसके बारे में सूचित किया गया था।

आंध्र प्रदेश में सर्वेक्षण दल

तमिलनाडु में सर्वेक्षण दल

7. ईएमएस रोगों के लिए फार्मों की निगरानी

संवर्धन के लगभग 30–35 दिनों में झींगों की भारी मोर्टेलिटी उपस्थित होने की दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के विभिन्न भागों में रिपोर्ट है। एक रोग जिसे अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम (ईएमएस) के रूप में सदंर्भित किया गया है, जिसमें झींगा के यकृत का तीव्र क्षय होना एक सामान्य लक्षण पाया गया है, इसलिए रोग को हेपाटोपेंक्रीएटिक नेक्रोसिस सिंड्रोम (एएचपीएनएस) के रूप में जाना जाता है। भारत में आंध्र प्रदेश के कुछ फार्मों में पी. मोनोडोन

तथा एल. वेन्नामई दोनों में झींगों के अर्ली मोर्टेलिटी की रिपोर्ट थी। इसलिए, जैसा कि मंत्रालय द्वारा सुझाव दिया गया था, सीएए और सीआईबीए के वैज्ञानिकों के साथ एक दल गठित करके सीएए द्वारा दिनांक 24–08–2012 को नेल्लौर में और 30–08–2012 को भीमावरम में एक याद्राच्छिक सर्वेक्षण किया गया था ताकि इसका मूल्यांकन, कि इस प्रकार का अर्ली मोर्टेलिटी एएचपीएनएस के पास है अथवा नहीं । सर्वेक्षण के दौरान कुछ फार्मों में झींगों की मोर्टेलिटी 32 से 58 डीओसी में देखी गई थी। मृतप्राय झींगों और उनके यकृतीय संबंधी प्रेरक्ष जैसे कोशिकाओं की कोमलता, कोशिकाओं में सफेद धब्बे, आकार, रंग, यकृत में काले धब्बे/धारियां आदि को निरीक्षित फार्मों में सीटू में किया गया था। संबंधित फार्मों से नमूने तथा मृतप्राय झींगों के यकृत, जल एवं मिट्टी भी एकत्रित की गई थी। विभिन्न झींगा विषाणुओं की उपस्थिति के लिए झींगा नमूनों को प्रयोगशाला जांच में अधिकतर मामलों में व्हाइट स्पॉट वाइरस (डब्ल्यूएसएसबी) की उपस्थिति पाई गई थी और कुछ मामलों में इंफेक्टिअस हाइपोडर्मल हेमाटोपोइटिक निक्रोसिसवाइरस (आईएचएचएनवी) तथा मोनोडोन बाकूलो वाइरस (एमबीवी) भी पाया गया था। परिणाम से पता चला था कि मोर्टेलिटी की उपस्थिति की घटना वायरल संक्रमण (मुख्य रूप से डब्ल्यूएसएसवी) के कारण प्राथमिक तौर पर थी और घातक ईएमएस/एएचपीएनएस का कोई लक्षण नहीं था जिसे अन्य देशों में वर्णित किया गया है ।

ईएमएस संबंधी जांच प्रगति पर है

8. जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला

वेपेरी में सीएए के तकनीकी खण्ड में स्थापित जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला नियमित निगरानी के दौरान हैचरियों और फार्मों से एकत्रित अवशिष्ट जल नमूनों का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग में है ताकि इसकी जांच की जा सके कि निष्कासित अवशिष्ट जल को जल गुणवत्ता प्राचल सीएए अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर रहे। जल गुणवत्ता निगरानी के लिए अपेक्षित अन्य उपस्करों के लिए प्रयोगशाला सीएचएनएसओ, मुख्य सैम्पलर (जीसी–एमएस) सहित गैस क्रोमैटोग्राफी – मास स्पेक्ट्रम, नाइट्रोजन जेलटेक – डिस्टीलेशन यूनिट, मल्टीपैरामीटर वाटर क्वालिटी सोड्, मिल्लीपोर टिट्रेशन सिस्टम, बीओडी इंक्यूबेटर, सीओडी एनालाइजर जैसे उपस्करों के संस्थापनों सहित पूरी तरह से सुसज्जित है।

जल गुणवत्ता प्रयोगशाला चालू है

9. वेबसाइट का अद्यतन

सीएए की वेबसाइट अर्थात्; www.caa.gov.in को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र चेन्नै के माध्यम से अद्यतन बनाया जाता है। इससे आंकड़े बेसिक तौर पर देखे जा सकते हैं और विदेशों में खरीददार अनुमार्गपणीय के लिए फार्मों और हेचरियों के पूरे ब्यौरे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, झींगा किसान और हैचरी प्रचालक नामांकन के लिए आवेदन–पत्रों तथा पालन और बीज उत्पादन के लिए दिशा–निर्देशों संबंधी विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर संपर्क करते हैं। वेबसाइट एल.वेन्नामई कृषि संबंधी झींगा हैचरियों, झींगा फार्मों, ब्रूडस्टॉक और एक्वाटिक क्वारनटाइन के लिए नामांकन और विनियमन के बारे में पूरे ब्यौरे भी उपलब्ध कराती है। सीएए सभी अधिसूचनाओं, परिपत्रों, विज्ञापनों तथा लोक हित के अन्य महत्वपूर्ण मामलों सहित अपनी वेबसाइट को नियमित तौर पर अद्यतन कराता रहा है। वेबसाइट ने पंजीकृत झींगा फार्मों और हैचरियों से संबंधित डाटा बेस को पूरा कर लिया है। प्राधिकरण की वेबसाइट से नामांकन, नवीनीकरण आदि के लिए विभिन्न फार्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। सीएए के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज का भी सीएए वेबसाइट में अद्यतन किया जाता है।

10. सीएए के मुख्यालय के लिए भवन

वर्तमान में प्राधिकरण शास्त्री भवन सौंध, हड्डोज रोड, चेन्नै 600006 में एक छोटे हिस्से में कार्य कर रहा है और इसके लिए आबंटित स्थान इसकी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। इसलिए, प्राधिकरण का तकनीकी खण्ड वेपेरी में एक किराए के भवन में कार्य कर रहा है। स्थान की अपर्याप्तता के कारण विशेष बैठकें और कार्यशालाएं बाहर आयोजित की जाती हैं। प्राधिकरण के स्टाफ के लिए रिहायशी आवास के अलावा प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष/समिति कक्ष आदि सहित कार्यकारी सुविधाएं स्थापित करने के लिए चेन्नै में अपने मुख्यालय के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इसलिए, उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के पश्चात् चेन्नै में प्राधिकरण के राष्ट्रीय मुख्यालय परिसर के निर्माण कराने का प्रस्ताव है।

11. सीएए द्वारा मनाया गया हिन्दी सप्ताह

सीएए ने 24–09–2012 से 1–10–2012 के दौरान हिन्दी सप्ताह मनाया था। भारत मात्स्यिकी सर्वेक्षण से हिन्दी अनुवादक की सेवा प्राप्त करके प्राधिकरण के स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिनांक 1–10–2012 को एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। सप्ताह के दौरान पाठ्यक्रम संबंधी दो प्रतिस्पर्धाएं अर्थात् (i) शब्द अर्थ और (ii) हिन्दी में बातचीत आयोजित की गई थी और सफल अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। कुल सोलह कर्मचारियों ने उत्साहपूर्ण ढंग से प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था ।

12. सीएए के बाह्य कार्यकलाप

(i) मेलों/प्रदर्शिनियों में भागीदारी

- 4–6 दिसंबर, 2012 के दौरान एशियाई मत्स्य सोसाइटी भारतीय शाखा और मत्स्य कालेज, मंगलौर द्वारा आयोजित ''भूख और कुपोषण के उन्मूलन के जलीय संसाधन–अवसर और चुनौतियां पर वैश्विक संगोष्ठी'' में भागीदारी की और एक स्टाल लगाया।
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा 8–10 फरवरी, 2013 के दौरान विजयवाड़ा में आयोजित ''एक्वा एक्वारिया 2013'' में भागीदारी की ।

किसानों और हैचरी प्रचालकों के लाभ के लिए सीएए के उद्देश्यों, कार्यों और कार्यकलापों को चित्रित करते हुए दोनों अवसरों पर पोस्टर और स्टाल स्थापित किए गए थे और जलकृषि में प्रतिजैविकी, रसायनों तथा दवाओं के दुरूपयोग ओर एसपीएफ एल.वेन्नामई बीज उत्पादन और पालन के लिए दिशा–निर्देश तथा जैव सुरक्षा आवश्यकताएं संबंधी जागरूकता सहित झींगा किसानों/हैचरी प्रचालकों द्वारा अपनाए जाने वाले अच्छे जलकृषि व्यवहारों (जीएक्यूपीएस) को भी दुकान में प्रदर्शित किया गया था।

वैश्विक संगोष्ठी मंगलौर

एक्वा एक्वारिया 2013 में सीएए का स्टॉल

एक्वा एक्वारिया 2013 में सीएए का स्टॉल

(ii) सीएए द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सीएए द्वारा पांच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ब्यौरे निम्नवत हैं:

- आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और नेल्लौर जिलों में क्रमश: दिनांक 30–10–2012 से 31–10–2012 तक दो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें 78 जल किसानों और राज्य मत्स्य विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया था और कार्यक्रम से लाभान्वित हुए थे।
- पश्चिम बंगाल के दो जिलों में दो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। एक दिनांक 6–03–2013 कोंटाई, पूर्बा मेदिनीपुर जिले में और दूसरा दिनांक 07–03–2013 को बारसत, उत्तरी 24 परगना जिले में, जिसमें 80 किसानों और राज्य मत्स्य कर्मचारियों ने भाग लिया और कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हुए ।

कोंटाई, पश्चिम बंगाल में जागरूकता कार्यक्रम प्रगति पर है

बारासात, पश्चिम बंगाल में जागरूकता कार्यक्रम प्रगति पर है

- एक जागरूकता कार्यक्रम ओलपाड ग्राम, जिला सूरत, गुजरात में दिनांक 13–03–2013 को आयोजित किया गया था जिसमें गुजरात के 70 किसानों और राज्य मत्स्य कर्मचारियों ने भाग लिया था।

जागरूकता कार्यक्रमों में, सीएए अधिनियम, 2005, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लक्ष्यों, उद्देश्यों, शक्तियों और कार्यों, प्रतिजैविक अवशेषों, उत्तरदायी जलकृषि और हैचरियों के विनियमन के लिए दिशा–निर्देशों तथा एसपीएफ एल. वेन्नामई को शुरू करने के लिए फार्मों एवं टिकाऊ उत्पादन के लिए जीएक्यूपीएस को सीएए कर्मचारियों द्वारा स्थानीय भाषा में किसानों को स्पष्ट किया गया था। देशी भाषा में तैयार विवरण भी किसानों तथा कर्मचारियों को वितरित किए गए थे।

ओलपाड, सूरत, गुजरात में जागरूकता कार्यक्रम प्रगति पर है

(iii) एफएओ प्रतिनिधियों के साथ बैठक:

उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए एफएओ की आचार संहिता को कार्यान्वित करने से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए भारत में एफएओ प्रतिनिधि डॉ. पीटर के.केनमोरे और श्री जेम्स ए.हार्वे, राजदूत एफएओ के यूके के स्थायी प्रतिनिधि की दिनांक 24–5–2012 को चेन्नै की यात्रा के दौरान सीएए द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। विभिन्न संगठन से वैज्ञानिकों और अन्य पणधारकों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। एफएओ प्रतिनिधियों ने संहिता के कार्यान्वयन विशेष तौर पर वैश्विक ताप तथा जलवायु परिवर्तन तथा मात्स्यिकी एवं जलकृषि पर उनका प्रभाव के संदर्भ में एफएओ की भूमिका के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया।

एफएओ प्रतिनिधियों के साथ बैठक प्रगति पर है

(iv) झींगा स्थिति प्रजनन और पालन के लिए एसपीएफ स्थिति घोषित करने के मानकों का विकास करने के लिए स्थापित विशेषज्ञ समिति की बैठक

जैव सुरक्षित सुविधाओं में झींगा के प्रजनन और पालन को प्रोत्साहित करने के लिए झींगा हेतु एसपीएफ स्थिति घोषित करने के लिए मानकों का विकास करने के लिए डॉ.आर.पाल राज, सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता में दिनांक 14 दिसंबर, 2012 को सीएए, चेन्ने में विशेषज्ञ समूह की बैठक हुई थी।

एसपीएफ पी. मोनोडोन के आयात पर कृषि मंत्रालय (डीएएचडी एंड एफ) की अधिसूचना पर विचार करते समय, यह महसूस किया गया कि चूंकि पी.मोनोडोन एक स्थानीय स्पीसीज है, इसलिए दोनों देशों में उत्पादित एसपीएफ स्टॉक तथा आयातित एसपीएफ स्टाक की एसपीएफ स्थिति के लिए शर्तों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। एसपीएफ की परिभाषा की जटिलता पर विचार किया गया था और डा. लिटनर द्वारा दी गई परिभाषा अर्थात् 'साझा स्टाक एक अथवा अधिक विशिष्ट रोगजनकों से मुक्त होता है' को अपनाने का चुनाव हुआ था। ओआई में सूचीबद्ध रोगजनकों को एसपीएफ स्थिति घोषित करने के लिए भी अपनाया जा सकता है जिसका वैश्विक तौर पर अनुसरण किया जाता है। समिति ने ओआईई में सूचीबद्ध झींगा के रोगजनकों के अलावा संबंधित रोगों, सुविधाओं के लिए जैव सुरक्षा हेतु मानकों, प्रक्रिया, आनुषंगिक आधार, आनुवंशिक चयन और प्रजनन कार्यक्रम आदि तथा रोगजनकों को जांचने के लिए निदान प्रोटोकाल जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया था ।

विशेषज्ञ समिति के साथ बैठक प्रगति पर है

(v) दक्षिण एशियाई देशों में उपस्थित झींगा रोगों के संदर्भ में झींगा एसपीएफ ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति पर बैठक

दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में फैल रहे नए रोग अर्थात् एक्यूट हेपाटोपेक्रिएटिक नेक्रोसिस सिंड्रोम (एएचपीएनएस) के संदर्भ में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से झींगा विशेष तौर पर एल.वेन्नामई के एसपीएफ ब्रूडस्टॉक के आयात से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए डॉ. आर. पाल राज, सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता में 14 दिसंबर, 2012 को चेन्नै में एक बैठक आयोजित की गई थी क्योंकि रोग से चीन, वियतनाम, मलेशिया और थाइलैण्ड

एसपीएफ ब्रूडस्टोकिन की आपूर्ति के मुद्दे पर बैठक प्रगति पर है

में झींगा किसानों को महत्वपूर्ण हानि हुई थी। बैठक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि एल.वेन्नामई के लगातार आयात के कारण भारत में झींगा संवर्धन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मुद्दा गंभीर प्रकृति का है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में उभर रहे नए रोग का भारत में वाहक हो सकता है।

यह पाया गया था कि यद्यपि निदानशास्त्र की जानकारी नहीं है तथापि संभावित निदानशास्त्र जैव, अथवा अजैव विष, वैक्टीरिया तथा विषाणु के शामिल करने की सहमति देता है। शामिल सूचित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए तथा जैसा कि निदानशास्त्र/निदान किट पर सही सूचना के अभाव में एएचपीएनएस का पता लगाने के लिए क्वारनटाइन सुसज्जित नहीं है, सदस्य सामान्य तौर पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से ब्रूडस्टॉक के आयात पर तब तक अस्थायी रोक लगाने का सुझाव देने पर सहमत थे जब तक कि इस रोग के निदानशास्त्र की जानकारी न हो जाए और निदान किट विकसित न हो जाए ।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

- सदस्य सचिव, सीएए ने पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्ति भारत सरकार (उपाध्यक्ष) के नामिति के रूप में 20–22 सितंबर, 2012 के दौरान दा नांग, वियतनाम में आयोजित एशिया प्रशांत मत्स्य आयोग (एपीएफआईसी) के 32 वें सत्र में भाग लिया था। इसमें 21 सदस्य देशों एफएओ और एपीएफआईसी सचिवालय से 50 भागीदार थे। वर्ष 2014 के दौरान एपीएफआईसी के 33वें सत्र की मेजबानी के लिए भारत को अध्यक्ष देश के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया।
- निदेशक (तकनीक), सीएए को उभरते रोगों: अर्लीमोर्टेलिटी सिंड्रोम (ईएमएस)/एक्यूट हेपाटोपेंक्रिएटिक नेक्रोसिस सिंड्रोम (एएचपीएनएस) 9–10 अगस्त, 2012 के दौरान एशिया प्रशांत में जलकृषि केन्द्रों के नेटवर्क (एनएसीए) और कृषि, मात्स्यिकी और वानिकी विभाग, आस्ट्रेलिया सरकार द्वारा बैंकाक, थाइलैंड में आयोजित एशिया प्रशांत आपात क्षेत्रीय परामर्श में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

(vii) अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सेमिनारों/संगोष्ठियों में सीएए सदस्यों/अधिकारियों की भागीदारी

- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 20–04–2012 को राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद के कार्यालय परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 1–06–2012 को हैदराबाद में एनएफडीबी द्वारा आयोजित मोएना जम्प स्टार्ट कार्यक्रम पर उप समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 20–07–2012 को कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की 21वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया।

- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 30–07–2012 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित ''राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों को स्थापित करना'' विषय पर ब्रेन स्टोर्मिंग सत्र में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 3–08–2012 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, नई दिल्ली में डीएएचडीएंडएफ द्वारा आयोजित मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास पर ब्रेन स्टोर्मिंग सत्र में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 22–08–2012 को चेन्नै में सीआईबीए द्वारा आयोजित ग्रीष्म विद्यालय का उदघाटन किया है और महत्वपूर्ण भाषण दिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने 6 ओर 7 सितंबर, 2012 को राष्ट्रीय आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ में आयोजित 'जलकृषि में भिन्न मछली स्पीसीज और जलजीव व्यापार' पर राष्ट्रीय परामर्श में भाग लिया। राष्ट्रीय परामर्श के उदघाटन सत्र की अध्यक्षता की ।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 26–09–2012 को कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित सीएए की 38वीं बैठक में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव, सीएए ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, नई दिल्ली में दिनांक 11–10–2012 को तकनीकी सत्र–VII के लिए सूचीबद्ध के रूप में एशिया–प्रशांत में कृषि महत्व के राष्ट्रपारीय प्रबंधन पर विशेषज्ञ परामर्श में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 22–10–2012 को कृषि भवन, नई दिल्ली में जलीय जानवरों के आयात के लिए कनाडा की खाद्य निरीक्षण एजेंसी के साथ भारतीय कर्मचारियों की वीडियो कांफ्रेसिंग में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 16–11–2012 को हैदराबाद में एनएफडीबी की 22वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 14–12–2012 को कृषि भवन, नई दिल्ली में सीएए की 39वीं बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 11–12–2012 को बीओबीपी, चेन्नै में बांगलादेश के प्रतिनिधि मंडल को मात्स्यिकी और जलकृषि पर प्रस्तुति दी।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 17–01–2013 को कृषि भवन, नई दिल्ली में मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए अपेक्षित साफ्टवेयर विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने के लिए समिति की पहली बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 18–01–2013 को कृषि भवन, नई दिल्ली में एनएफडीबी की 23वीं कार्यकारी बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 23–01–2013 को सीआईएफए में ''जलकृषि पर जेनोमिक्स'' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 24–01–2013 को भुवनेश्वर में केन्द्रीय स्वच्छ जलकृषि संस्थान की अनुसंधान सलाहकार बैठक में भाग लिया ।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 13 और 14–02–2013 को काकद्वीप में केन्द्रीय खारा जलकृषि नीति संस्थान की 18वीं अनुसंधान सलाहकार बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 09–02–2013 को नई दिल्ली में सीएए के अध्यक्ष पद के लिए खोज और चयन समिति की बैठक में सहयोग दिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने दिनांक 25–03–2013 को कृषि भवन, नई दिल्ली में एनएफडीबी की 24वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया।
- निदेशक (तकनीकी), सीएए ने दिनांक 18 जुलाई, 2012 को चेन्नै में आयोजित ''सीआईबीए'' एनएसीए अंतर्राष्ट्रीय जल जलवायु परियोजना का विस्तार परिणाम पर कार्यशाला में भाग लिया।
- निदेशकी (तकनीकी), सहायक निदेशक (तकनीकी), दो वरिष्ठ तकनीकी सहायकों, सीएए ने 28–29 जुलाई, 2012 के दौरान चेन्नै में आयोजित जलकृषि प्रोफेशनल्स सोसायटी (एसएपी) द्वारा आयोजित ''बायोफ्लोक प्रोद्यौगिकी पर कार्यशाला'' में भाग लिया।
- निदेशकी (तकनीकी), सीएए ने दिनांक 27–09–2012 को राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा आयोजित 'जल कृषि फसल बीमा के तौर–तरीकों को बनाने के लिए पणधारकों के राष्ट्रीय परामर्श' में भाग लिया।
- निदेशक (तकनीकी), सीएए ने दिनांक 2–3 फरवरी 2013 के दौरान मात्स्यिकी महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तूथूकुडी द्वारा आयोजित ''कोबिया संवर्धन पर कार्यशाला'' में भाग लिया।
- सीएए के कर्मचारियों ने दिनांक 4–6 दिसंबर, 2012 के दौरान भारतीय मात्स्यिकी सोसाइटी भारतीय शाखा और मात्स्यिकी महाविद्यालय, मंगलौर द्वारा आयोजित ''भूख और कुपोषण का उन्मूलन–अवसर और चुनौतियों के लिए जलीय संसाधन पर वैश्विक संगोष्ठी'' में भाग लिया।
- सीएए कर्मचारियों ने दिनांक 8–10 फरवरी, 2013 के दौरान विजयवाड़ा में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण आयोजित ''एक्वा एक्वारिया 2013'' में भाग लिया।

III. ख. 2013–14 के दौरान किए जाने वाले संभावित कार्यकलाप

(i) पंजीकरण:

तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण और नवीनीकरण सतत प्रक्रिया है। यह संभावित है कि अप्रैल, 2013 और मार्च, 2014 के बीच की अवधि के दौरान देश की और अधिक तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण किया जाएगा।

ii) एल. वेन्नामई संवर्धन के लिए अनुमोदन:

लगभग 2000 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि क्षेत्र को एल. वेन्नामई संवर्धन के तहत लाए जाने का प्रस्ताव है ।

iii) निरीक्षण और निगरानी:

सुविधाओं और विशेष रूप से झींगा फार्मों और हैचरियों से निकले अवशिष्ट जल की गुणवत्ता की विशेष निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा किया जा सके।

iv) जागरूकता कार्यक्रम:

पर्यावरण संरक्षण, तटीय जल कृषि कार्यकलापों के वहनीय विकास और अच्छे जल कृषि व्यवहारों (जीएक्यूपीएस) के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।

v) विज्ञापन और प्रकाशन:

पणधारकों को आगाह करने और एहतियाती उपायों को करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर लोक सूचनाएं जारी की जानी हैं ।

vi) नियम पुस्तिका/विवरिणिका तैयार करना:

तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, नियम, दिशा–निर्देशों से संबंधित सारसंग्रह को मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी विनियमनों, दिशा–निर्देशों और अधिसूचनाओं को शामिल करके संपादित किया जाएगा ।

vii) कार्यशालाएं और बैठकें:

तटीय जल कृषि कार्यकलापों के दौरान उपस्थित हुई समस्याओं पर विचार के लिए पणधारकों की बैठकें आयोजित की जाएंगी जिसमें प्रौद्योगिकीय सुधारों और अन्य कारकों से संबंधित विभिन्न समूहों के अनुभवों को भी आपस में बांटा जाएगा ।

तटीय जल कृषि कार्यकलापों पर अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओ, प्रदर्शनियों, समुद्री भोजन मेलों और जलीय प्रदर्शनों में जब कभी भी संभव होगा सीएए प्रतिनिधित्व करेगा ।

viii) क्षमता निर्माण:

विनियामक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा कार्य के उनके क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाने के लिए तकनीकी और प्रशासकीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और अध्ययन यात्राएं आयोजित की जा रही हैं ।

IV. वित्त

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों और कार्यकलापों का सार

वित्त वर्ष 2012–13 से संबंधित लेखों की लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), तमिलनाडु तथा पुडुचेरी, चेन्नै द्वारा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 19(2) के तहत की गई थी। इसकी रिपोर्ट अनुलग्नक में दी गई है।

तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 16 एवं 17 के अनुसार सीएए द्वारा किए गए बजट अनुमान के आधार पर सहायता अनुदान को पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के बजटीय प्रावधानों के तहत 4 किश्तों में उपलब्ध कराया गया था। प्रशासकीय मंत्रालय ने दिनांक 09 जनवरी, 2012 के अपने पत्र संख्या 3–22/2011 बजट (एडीएफ) द्वारा वित्त वर्ष 2012–13 के लिए केवल 325 लाख रूपए का बजट अनुमान जारी किया है। मंत्रालय ने दिनांक 09–01–2013 के अपने पत्र संख्या 3–28/2012 बजट (एडीएफ) द्वारा 300 लाख रूपए के लिए संशोधित अनुमान दाखिल किया है। तथापि, इस कार्यालय ने केवल 253 लाख रूपए का दावा किया था और इतना ही व्यय किया था।

वित्त वर्ष 2012–13 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और व्यय निम्नवत हैं:

मुख्य शीर्ष 2405 उप शीर्ष-090031 सहायता अनुदान

(लाख रूपए में)

मंत्रालय द्वारा दाखिल किया गया बजट अनुमान	मंत्रालय द्वारा दाखिल किया गया संशोधित अनुमान	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि	गैर–व्यय शेष
325	300	253	253	0.00

(लाख रूपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उप–शीर्ष	बजट अनुमान 2013-14
1	तटीय जल कृषि प्राधिकरण	090031 सहायता अनुदान	324

V. प्राधिकरण का स्टाफ और मौजूदा संगठनात्मक संरचना:

वर्तमान में सीएए में 21 पद स्वीकृत हैं और वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान स्टाफ निम्नवत रूप से कार्यरत है:

क्र. सं.	समूह	पद	स्वीकृत संख्या	प्रारंभ में स्टाफ की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान वापिस किए गए स्टाफ की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान नए स्टाफ की संख्या	वित्त वर्ष के अंत में स्टाफ
1	क	निदेशक	1	1	1	-	-
		सहायक निदेशक	1	1	-	-	1
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	1	-	-
2	ख	अधीक्षक	1	1	-	-	1
		निजी सचिव	2	2	-	-	2
		लेखाकार	1	1	-	-	1
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	-	-	2
		स्टेनो ग्रेड ग	2	-	-	1	1
3	ग	वरिष्ठ लिपिक	2	1	1	1	1
		कनिष्ठ लिपिक	2	1	-	-	1
		स्टेनो ग्रेड घ	1	1	-	-	1
		कार चालक	1	1	-	-	1
4	घ	एमटीएस	4	4	-	-	4
		योग	**21**	**17**	**3**	**2**	**16**

मानवशक्ति एजेंसी के माध्यम से संविदाकार:

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान बचे हुए व्यक्तियों की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान नए व्यक्तियों की संख्या	वित्त वर्ष के अंत में व्यक्तियों की संख्या
1	क्षेत्र और प्रयोगशाला तकनीशियन	2	-	-	2
2	लिपिकीय स्टाफ	3	2	1	2
3	सहायक स्टाफ	2	2	1	1
	योग	**7**	**4**	**2**	**5**

VI. सेवानिवृत्त / प्रत्यावर्तन

- दिनांक 19–03–2010 को तमिलनाडु के मत्स्य पालन विश्वविद्यालय का प्रथम उप–कुलपति चुने जाने पर डॉ. बास्करन मनिमारन, निदेशक (तकनीकी) को उनके उनके मूल कार्यालय को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।
- मरूस्थल औषध शोध केन्द्र, जोधपुर में लेखा अधिकारी के रूप में चयन पर प्राधिकरण के श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को वापस भेज दिया गया।
- श्री सुरेश कुमार, वरिष्ठ लिपिक, जो सीएए में प्रतिनियुक्ति पर थे, को उनके अनुरोध पर उनके मूल कार्यालय को प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

VII. सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2012–13 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल सात आवेदन–प्राप्त हुए थे। मांगी गई सूचना प्रस्तुत कर दी गई थी।

अनुबंध

वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक लेखें और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 का तुलन पत्र

(राशि - ₹ में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
मूल/पूंजी निधि और देनदारियां			
मूल/पूंजी निधि	1	174,43,147	140,01,809
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	2	0	0
निर्धारित/स्थाई निधियां	3	72,15,433	65,70,922
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	0	0
असुरक्षित ऋण एवं देनदारियां	5	0	0
आस्थगित क्रेडिट देनदारियां	6	0	0
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	7	7,48,030	4,91,134
कुल		**254,06,610**	**210,63,865**
आस्तियां			
अचल आस्तियां	8	109,90,247	126,63,631
निवेश – निर्धारित/स्थाई निधियों से	9	17,28,379	17,28,379
निवेश – अन्य	10	0	0
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	126,87,984	66,71,855
विविध व्यय (जहां तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है अथवा समायोजित नहीं किया गया है)			
कुल		**254,06,610**	**210,63,865**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	25		

ह/–
अधीक्षक

ह/–
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि- ₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान/सब्सिडियां	13	253,00,000	250,00,000
शुल्क/अभिदान	14	4,530	3,550
निवेश से आय (निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश पर आय – निधियों को अंतरित)	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0	0
अर्जित ब्याज	17	4,00,393	3,32,016
अन्य आय	18	768	10,000
निर्मित्त वस्तुओं के स्टॉक और चालू कार्यों में वृद्धि/(कमी)	19	0	0
कुल (क)		**257,05,691**	**253,45,566**
ख. व्यय			
स्थापना व्यय	20	94,92,762	98,25,946
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	103,78,282	96,38,265
अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय	22	12,823	30,174
ब्याज	23	0	0
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत मे निवल जोड़ अनुसूची 8 के तदनुरूप)		23,80,487	29,68,750
कुल (ख)		**222,64,354**	**224,63,135**
व्यय से अधिक आय के कारण शेष राशि/(क–ख)		34,41,338	28,82,431
विशेष प्रारक्षित निधि को अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य प्रारक्षित निधि को/से अंतरण			
अधिशेष राशि/(घाटा) जिसे मूल/पूंजी निधि में ले जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां	25		

ह/–
अधीक्षक

ह/–
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि

भारत सरकार,
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी,

31.03.2013 को समाप्त अवधि/

(राशि-₹)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. अथ शेष		
क) रोकड़ जमा	0	0
ख) बैंक जमा		
i) चालू खाता	0	0
ii) जमा खाता		
iii) बचत खाता	60,26,034	40,91,011
2. प्राप्त अनुदान		
क) भारत सरकार से	253,00,000	250,00,000
ख) राज्य सरकार से		
ग) अन्य स्रोतों से (पूंजी एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को पृथक रूप से दर्शाया जाए)		
3. निवेश से आय		
क) निर्धारित/स्थाई निधियां(शुल्क)	1,69,004	1,17,017
ख) निजी निधियां (अन्य निवेश)		
4. प्राप्त ब्याज		
क) बैंक जमा पर	2,31,389	3,32,016
ख) ऋण, अग्रिम आदि	69,527	0
5. अन्य आय		
जांच शुल्क	0	0
टेंडर शुल्क	4,500	3,500
अन्य आय	768	10,000
आरटीआई शुल्क	30	50
6. उधार ली गई धनराशि		
7. कोई अन्य प्राप्तियां		
जमा राशि	9,67,500	3,60,104
कंप्यूटर अग्रिम वसूली	0	0
हस्तगत स्टैंप	2,04,838	28,625
साख पत्र	0	0
निर्धारित/स्थायी निधियाँ (फार्म शुल्क)	18,01,123	27,10,755
जोड़	**347,74,712**	**326,53,078**

ह/–
अधीक्षक

प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय
26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि-₹)

भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. व्यय		
क) स्थापना खर्च	94,92,762	98,04,346.00
ख) प्रशासन खर्च	103,88,482	96,09,169.00
2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि के विरुद्ध किए गए भुगतान (परियोजना अथवा कोष का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के साथ दिखाया जाना चाहिए)		
3. किए गए निवेश और जमा		
क) निर्धारित/स्थाई निधि में से (आईओबी में एफडीआर)	0	1,17,017.00
ख) अपनी निधियों में से		
4. स्थाई परिसंपत्तियों और चालू पूंजी कार्य पर खर्च		
क) स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	7,07,103	51,37,677.00
ख) चालू पूंजी कार्य पर खर्च	47,53,720	0
5. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को		
ग) अन्य निधि दाताओं को		
6. वित्त प्रभार (ब्याज)		
7. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
क) पूर्व भुगतान (इनफिनिटी बुक.काम)	0	3,81,491.00
ख) निष्पादन एवं सुरक्षा जमा की वापसी	7,13,227	1,40,500.00
ग) त्योहार अग्रिम	41,250	29,250.00
घ) कर्मचारियों से कटौती एवं जमा	0	
ङ) निर्धारित/स्थायी निधियों के अंतर्गत व्यय	11,56,612	12,47,125.00
च) चिकित्सा अग्रिम	0	0.00
छ) खर्च नहीं किये अनुदान की वापसी	0	30,174.00
ज) पोस्ट मास्टर	24,000	50,000.00
झ) हस्तगत स्टैंप	1,50,000	80,295.50
8. अंत शेष		
क) रोकड़ जमा	0	0
ख) बैंक जमा		
i) चालू खाते में	0	0
ii) जमा खाते में	0	0
iii) बचत खाते में	73,47,557	60,26,033.50
जोड़	**347,74,712**	**326,53,078.00**

ह/–
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को तुलन पत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां

अनुसूची 1 – मूल/पूंजी निधि

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1.4.2010 की स्थिति के अनुसार आस्तियों की लागत				
घटाएं: 31.3.2011 तक मूल्यह्रास				
हस्तगत स्टाम्प				
वर्ष 1.4.2012 की शुरुआत में शेष		140,01,809		111,19,378
जोड़ें: मूल/पूंजी निधि में अंशदान				
		140,01,809		111,19,378
कमी/(घटाया) : आय से अधिक खर्च/आय एवं व्यय लेखा स्थानांतरित				
जोडे : खर्च से अधिक आय/आय एवं व्यय लेखा से स्थानांतरित		34,41,338		28,82,431
वर्ष के अंत में शेष राशि		**174,43,147**		**140,01,809**

अनुसूची 2 – प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. पिछले लेखा के अनुसार				
पूंजी प्रारक्षित निधिः				
वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएं: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास				
2. पिछले लेखा के अनुसार				
सामान्य प्रारक्षित निधि:				
वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएं: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास				
कुल		**0**		**0**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई

31.3.2013 को तुलन पत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां

अनुसूची 3 – निर्धारित/स्थाई निधियां

(राशि - ₹)

	निधिवार ब्यौरा				कुल	
	फार्म पंजीकरण शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क (एल. वेन्नामई फार्म)	प्रसंस्करण शुल्क (एल. वेन्नामई हैचरी)	निधि जैड जैड	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) निधि का प्रारंभिक शेष:	27,11,443	28,62,229	9,97,250		65,70,922	49,90,275
ख) निधियों में वृद्धि:						
i) दान/अनुदान						
ii) निर्धारित निधि से किये गये निवेश से आय	0				0	1,17,017
iii) शुल्क	3,35,787	5,98,075	8,40,000		17,73,862	27,10,755
कुल (क + ख)	**30,47,230**	**34,60,304**	**18,37,250**		**83,44,784**	**78,18,047**
ग) निधियों के लक्ष्यों के लिए उपयोग/व्यय						
i) पूंजी व्यय						
– अचल आस्तियां						
– अन्य						
कुल						
ii) राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि						
– फार्मों के निरीक्षण इत्यादि पर यात्रा व्यय	11,29,351				11,29,351	8,49,742
– जेआईएफएसएएन प्रशिक्षण व्यय	0				0	2,89,383
– सेमिनार/सम्मेलन आदि पर व्यय	0				0	1,08,000
कुल (ग)	**11,29,351**	**0**	**0**		**11,29,351**	**12,47,125**
वर्ष के अंत में निवल राशि (क+ख+ग)	**19,17,879**	**34,60,304**	**18,37,250**		**72,15,433**	**65,70,922**

टिप्पणी :

1) प्रकटीकरण अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर सुसंगत शीर्षों के तहत किया जाएगा

2) केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा और उन्हें किसी अन्य निधि के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण एवं उधार (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) 3. वित्तीय संस्थाएं: क) सावधि ऋण ख) ब्याज अर्जित एवं देय 4. बैंक: क) सावधि ऋण – ब्याज अर्जित एवं देय ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें) – ब्याज अर्जित एवं देय 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां 6. ऋण पत्र एवं बाण्ड 7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल	**0**	**0**

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण एवं उधार

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) 3. वित्त संस्थान 4. बैंक: क) सावधि ऋण ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें) 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां 6. ऋणपत्र एवं बाण्ड 7. सावधिक जमा राशियां 8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल	**0**	**0**

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देनदारियां

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. पूंजी उपकरण एवं अन्य आस्तियों को बंधक रखकर सुरक्षित ऋण 2. अन्य		
कुल	**0**	**0**

टिप्पणी : वर्ष के अंदर देय राशि

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 7 – वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान (राशि - ₹)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. वर्तमान देनदारियां				
1. मंजूरियां				
2. विविध लेनदार:				
क) वस्तुओं के लिए				
ख) अन्य				
3. निष्पादन प्रतिभूति जमा:		62,000		62,000
क) मैसर्स अक्षय सेल्स, चेन्नई			0	
ख) मैसर्स फॉस इंडिया (प्रा.) लि., मुम्बई	57,000		57,000	
ग) मैसर्स रेंड्स इंस्ट्रुमेंट्स कंपनी, चेन्नई	0		0	
घ) मैसर्स सिंसेयर ट्रेडर्स, चेन्नई	5,000		5,000	
ङ) मैसर्स समार्ट लेबटेक प्रा. लि., हैदराबाद	0		0	
च) मैसर्स सिस्ट्रॉनिक्स, चेन्नई	0		0	
4. बयाना जमा:		6,86,030		4,29,134
क) मेरिट इन्टरप्राइस	20,280		20,280	
ख) आर्बिट टेक्नॉलाजिइस	44,250		44,250	
ग) मैसर्स सारोटोरियसम प्रा. लि.	4,500		4,500	
घ) एमईटीसी	20,000		0	
ङ) एजिलेंट टेक्नॉलॉजी	1,75,000		1,75,000	
च) ब्लू स्टार लि. चेन्नई	0		22,500	
छ) बी.वी.एन. इंस्ट्रूमेंट्स प्रा. लि.	0		1,00,000	

(जारी)

अनुसूची 7 – वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान (जारी) (राशि - ₹)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ज) डे एन डे सर्विसेज (प्रा.) लि.	25,000		25,000	
झ) प्रोटीन मैनेजमेंट कंसलटेंसी	0		10,604	
ञ) द होस्ट	27,000		27,000	
ट) मैसर्स सुरभि पेपर सप्लायर्स	50,000		0	
ठ) मैसर्स कंप्यूलिंक्स मुंबई	50,000		0	
ड) ईएमडी	2,50,000		0	
ढ) पूर्व सैनिक, वेल्लोर	20,000		0	
5. अर्जित परन्तु निम्नलिखित पर देय नहीं:				
क) सुरक्षित ऋण/उधार				
ख) असुरक्षित ऋण/उधार				
6. सांविधिक देनदारियां:				
क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)		0	0	
7. अन्य वर्तमान देनदारियां	0	0	0	0
कुल (क)		**7,48,030**		**4,91,134**
ख. प्रावधान		0		0
1. कराधान के लिए				
2. उपदान				
3. अधिवर्षिता/पेंशन				
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण				
5. मूल्यह्रास के लिए				
कुल (ख)		**0**		**0**
कुल (क+ ख)		**7,48,030**		**4,91,134**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई-600006

31.3.2013 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 8 – अचल आस्तियाँ

(राशि - ₹)

मद	मूल्य ह्रास की दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्य निर्धारण	वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्य निर्धारण	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि होने पर	वर्ष के दौरान कटौती होने पर	वर्ष के अंत तक कुल जोड़	चालू वर्ष के अंत में	गत वर्ष के अंत में
			30-09-12 तक	30-09-12 के बाद								
भूमि	—	0	0	0		0	0	0		0	0	0
संयंत्र एवं मशीनरी	15%	107,63,511	0	0		107,63,511	18,65,175	13,34,750		31,99,925	75,63,586	88,98,336
कार्यालय उपकरण	15%	20,56,691	0	0		20,56,691	11,37,620	1,37,861		12,75,481	7,81,210	9,19,071
कार	15%	3,30,860	0	0		3,30,860	2,91,760	5,865		2,97,625	33,235	39,100
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%	31,49,425	0	56,470		32,05,895	11,44,332	2,03,333		13,47,665	18,58,230	20,05,093
कंप्यूटर एवं पेरिफेरल्स	60%	24,53,307	70,482	87,755		26,11,544	19,94,520	3,43,888		23,38,408	2,73,136	4,58,787
पुस्तकालय पुस्तकें	60%	13,90,264	3,750	4,88,646		18,82,660	10,47,020	3,54,790		14,01,810	4,80,850	3,43,244
क. चालू वर्ष का कुल		**201,44,058**	**74,232**	**6,32,871**		**208,51,161**	**74,80,427**	**23,80,487**		**98,60,914**	**109,90,247**	**126,63,631**
गत वर्ष												
ख. कार्य-प्रगति की पूंजी												
कुल (क + ख)											**109,90,247**	**126,63,631**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 9 – निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र एवं बाण्ड		
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम		
6. सावधिक जमा राशि से प्राप्तियां (आई ओ बी)	17,28,379	17,28,379
कुल	**17,28,379**	**17,28,379**

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र एवं बाण्ड		
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल	**0**	**0**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. वर्तमान परिसम्पत्तियां		
1. माल सूची:		
क) स्टोर एवं अतिरिक्त पुर्जे		
ख) औजार		
ग) व्यापारगत स्टॉक:		
- निर्मित वस्तुएं		
- चालू कार्य		
- कच्चा माल		
2. विविध देनदार:		
क) छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		
ख) अन्य		
3. रोकड़ शेष (चैक/ड्राफ्ट और पेशगी सहित)	0	0
4. बैंक में जमा राशि:		
क) अनुसूचित बैंकों में:		
- चालू खातों में (इंडियन ओवरसीज बैंक)	0	0
- साख पत्र (इसमें मार्जिन राशि भी शामिल है)	0	0
- बचत खातों में	73,47,556.50	60,26,033.50
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में:		
- चालू खातों में		
- जमा खातों में		
- बचत खातों में		
5. डाकघर – बचत खाते		
6. हस्तगत स्टाम्प:		
क) स्टाम्प (अंकन मशीन)	25,458.00	72,809.50
ख) स्टाम्प (डाक)	47,598.00	7,486.00
जोड (क)	**74,20,612.50**	**61,06,329.00**

(जारी)

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी) (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण:		
क) स्टाफ		
ख) कंपनी के कार्यकलापों/लक्ष्यों में संलग्न अन्य कंपनियां		
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
2. नकद अथवा वस्तु रूप में अथवा प्राप्य मूल्य के बराबर वसूल की जाने वाले अन्य धनराशि:		
क) श्री टी. एस. राव को कंप्यूटर अग्रिम	0	0
ख) पूर्व भुगतान (अनुलग्न–1)	47,53,720	5,36,276
ग) कर्मचारी वर्ग को त्योहार अग्रिम	27,375	29,250
घ) चिकित्सा अग्रिम (श्रीमति एस. प्रिया आशुलिपिक 'ग')	0	0
ङ) हाइपरट्रिक्स (प्रा.) लिमिटेड	1,04,785	0
च) इन्फिनिटीबुक.काम	3,81,491	0
3. अर्जित आय:		
क) निर्धारित/स्थाई निधियों से निवेश पर		
ख) अन्य पर निवेश		
ग) ऋण एवं अग्रिम		
घ) अन्य (वसूल न की गई आय सहित – ₹.....)		
4. प्राप्य दावे		
जोड (ख)	**52,67,371**	**5,65,526**
जोड (क + ख)	**126,87,984**	**66,71,855**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. बिक्री से आय: क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री ख) कच्ची सामग्री की बिक्री ग) स्क्रेपों की बिक्री 2. सेवाओं से आय: क) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं ग) एजेंसी की कमीशन ओर दलाली घ) रखरखाव सेवाएं (उपस्कर/सम्पत्ति) ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	**0**	**0**

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

(वसूल न किए गए अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार	253,00,000	250,00,000
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसियां		
4. संस्थाएं/कल्याणकारी बोर्ड		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	**253,00,000**	**250,00,000**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 14 – शुल्क/अभिदान (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क अभिदान		
3. सेमीनार/कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्श शुल्क		
5. परीक्षा शुल्क		
6. टेंडर शुल्क	4,500	3,500
7. आरटीआई शुल्क	30	50
जोड़	**4,530**	**3,550**

टिप्पणी : प्रत्येक मद से संबंधित लेखाकरण नीतियां दर्शायी नहीं जाएंगी।

अनुसूची 15 – निवेश से आय

(निर्धारित/स्थाई निधियों से निवेश पर आय – अन्य निधियों में अंतरण)

	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. ब्याज:				
क) सरकारी प्रतिभूमियों पर				
ख) अन्य बाण्ड/ऋण पत्र				
2. लाभांश:				
क) शेयरों पर				
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. इंडियन ओवरसीज बैंक (एफडीआर)	1,69,004	1,17,017		
जोड़	**1,69,004**	**1,17,017**		
निर्धारित/स्थाई निधियों में अंतरण	**1,69,004**	**1,17,017**		

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन, आदि से आय

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रॉयल्टी से आय 2. प्रकाशनों से आय 3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	**0**	**0**

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सावधि जमा राशि पर: क) अनुसूचित बैंकों में ख) गैर अनुसूचित बैंकों में ग) संस्थाओं में घ) अन्य	1,69,004	0
2. बचत खाते पर: क) अनुसूचित बैंक में ख) गैर अनुसूचित बैंकों में ग) डाकघर बचत खाता घ) अन्य	2,31,389	3,32,016
3. ऋण पर: क) कर्मचारी/स्टाफ ग) अन्य		
4. देनदारों पर ब्याज और अन्य प्राप्य		
जोड़	**4,00,393**	**3,32,016**

टिप्पणी : स्रोत पर कर की कटौती को दर्शाया जाए

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. असल आस्तियाँ बिक्री पर आय:		
क) स्वामित्व में ली गई परिसम्पत्तियां		
ख) अनुदानों के रूप में अर्जित अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसम्पत्तिया		
2. वसूल किया गया निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4. विविध आय (रद्दी कागज़ बिक्री)	768	0
5. जब्त की गई ईएमडी	0	10,000
जोड़	**768**	**10,000**

अनुसूची 19 – निर्मित वस्तुओं के भण्डार और चालू कार्यों में वृद्धि/(कमी)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. अंत भण्डार	0	0
- निर्मित वस्तुएं		
- चालू कार्य		
2. घटाइए – अथ शेष	0	0
- निर्मित वस्तुएं		
- चालू कार्य		
निवेल वृद्धि/(कमी)	**0**	**0**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. वेतन एवं मजदूरी	94,92,762	98,25,946
2. भत्ते एवं बोनस		
3. भविष्य निधि मे अंशदान		
4. अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)		
5. स्टाफ कल्याण व्यय		
6. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं टर्मिनल लाभों पर व्यय		
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	**94,92,762**	**98,25,946**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. विज्ञापन एवं प्रचार	6,95,393	5,02,078.00
2. प्रकाशन	6,05,759	2,93,540.00
3. घरेलू यात्रा व्यय	14,55,494	22,26,142.00
4. चिकित्सा व्यय	1,09,997	1,22,696.00
5. सप्लाई एवं मेटिरियल	1,36,538	1,275.00
6. कार्यालय व्यय		
- मरम्मत एवं रख–रखाव (वाहन)	1,08,835	63,385.00
- बिजली एवं विद्युत (पावर)	1,48,278	1,37,670.00
- किराया, दर और कर	16,25,863	15,60,884.00
- फोटोस्टेट खर्चे	4,000	0
- डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	2,19,637	1,83,287.50
- मुद्रण, स्टेशनरी एवं उपभोज्य	7,91,274	3,51,375.00
- जल प्रभार	30,100	24,329.00
- पुस्तकालय संबंधी खर्चे (पत्रिकाओं एवं जनरल)	0	10,054.00
- वर्दी (यूनिफार्म)	0	0
- टेलीफोन खर्च	2,13,636	1,83,403.00
- व्यावसायिक प्रभार	9,81,838	5,37,560.00
- वाहन भाड़ा प्रभार	11,96,576	14,59,081.00
- बैठकों में खर्च	84,457	53,942.00
- टेलीफेान एवं मोबाइल प्रतिपूर्ति खर्च	60,408	41,785.00
- विविधि व्यय	3,29,120	2,20,595.00
- सेमीनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण खर्च	1,35,790	1,76,000.00
- अन्य संविदात्मक सेवा	9,78,917	12,77,879.00
- वेबसाईट रख–रखाव प्रभार	2,66,830	31,987.00
- वार्षिक रख–रखाव खर्च (ए.सी., कम्प्यूटर, कार्यालय उपकरण इत्यादि)	1,32,291	1,48,358.00
- वार्षिक पी.आर.ए.रख–रखाव प्रभार (एनएसडीएल)	2,623	3,819.00
- बैंक प्रभार	64,628	27,140.50
जोड़	**103,78,282**	**96,38,265.00**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2013 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 22 – अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान (खर्च नहीं किया गया शेष एमओए को वापस किया गया)	12,823	30,174
2. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडियां		
जोड़	**12,823**	**30,174**

टिप्पणी : कम्पनियों और उनके क्रियाकलापो के नाम अनुदान/सब्सिडियों की राशि सहित व्यक्त किए जाएं।

अनुसूची 23 – ब्याज

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सावधि ऋणों पर		
2. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		
3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	**0**	**0**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

अनुसूची–24

लेखा नीति

1. लेखा समझौता

सामान्य स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), आईसीएआई द्वारा जारी अनिवार्य रूप से लागू लेखा मानक (एएस) और सीजीए द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वयत्त निकायों के लिए संबंधित प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुसार ऐतिहासिक लागत समझौते के अंतर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए गए है। प्राधिकरण द्वारा अन्यथा उल्लेख न किए जाने के अलावा व्यय और आय के सभी मदों के लिए उपचय लेखा प्रक्रिया अपनाई जाती है।

2. नियत परिसंपत्तियां

(क) विधिवत निरीक्षण के बाद भार लेने के बाद ही नियत परिसंपत्तियों का लेखा–जोखा तैयार किया जाता है।

(ख) नियत परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास को कम करके बताया जाता है जिसमें खरीद मूल्य, मालभाड़ा, सीमा शुल्क और कर या परिसंपत्ति को इसके प्रयोजन के लिए कार्यकरण स्थल तक लाने के लिए किसी प्रकार का खर्च शामिल है। चुने गए नियत परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण से संबंधित वित्त पोषण लागत को भी शामिल किया जाता है उस समयावधि के लिए जब तक ऐसे परिसंपत्ति उनके प्रयोग करने के स्थान तक पहुंच नहीं जाती है।

(ग) पूर्व जलकृषि प्राधिकरण के नियत परिसंपत्तियों को भी मूल्यह्रास लागत को घटाकर लेखाबद्ध किया गया है जो मूल्य निर्धारित परिसंपत्ति के लिए सीएए द्वारा खरीदने से अधिग्रहण करने की अवधि के लिए होती है। मूल्य निर्धारित नही की गई परिसंपत्तियों की स्थिति में, सीएए के लेखों के खाते में प्रयोग करने के लिए 1/– रुपए के कल्पित मूल्य पर विचार किया जाता है।

(घ) गैर–आर्थिक अनुदानों द्वारा प्राप्त नियत परिसंपत्तियों को प्राधिकरण के खाते में निर्धारित परिसंपत्ति के रूप में रखा जाएगा। अनुदान–सहायता द्वारा तैयार परिसंपत्तियों की लागत पूंजीगत कोष के खाते में डाला जाएगा। इन परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को भी आय कर अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित दर पर परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवनकाल के लिए लागू होगा और इसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाएगी।

3. मूल्यह्रास

(क) आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यह्रास बट्टे खाते मूल्य प्रक्रिया से प्रदान किया जाएगा।

(ख) वर्ष के दौरान निर्धारित परिसंपत्तियों को जोड़ने/घटाने के संबंध में, वित्तीय वर्ष के प्रथम भाग में खरीदे गए परिसंपत्तियों पर आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर संपूर्ण मूल्यह्रास लागू होगा और वित्तीय वर्ष के दूसरे भाग में खरीदे गए परिसंपत्तियों पर 50% तक का मूल्यह्रास होगा।

(ग) 5000/–रुपए या इससे कम लागत के निर्धारित परिसंपत्तियों की प्रत्येक वस्तु का खरीद वर्ष में मूल्यह्रास होगा।

4. पट्टा/किराया

पट्टे के नियम एवं शर्तों के अनुसार पट्टा/किराया भाड़े को व्यय के रूप में माना जाएगा।

5. खराब परिसंपत्तियां

किसी परिसंपत्ति को खराब तब माना जाएगा जब उसको चलाने की लागत उसकी अपनी मूल्य से अधिक हो। खराब हानि को उस वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण में डाला जाये जिसमें परिसंपत्ति को खराब माना गया है। खराब हानि मान्य या वापस पाने योग्य राशि है।

6. सरकारी अनुदान/राजसहायता

पूंजीगत व्यय यानि सहायता–अनुदान द्वारा तैयार मूल्यह्रास हुई परिसंपत्ति की लागत को पूंजीगत कोष खाते में जमा किया जाएगा। सहायता–अनुदान से हुए राजस्व व्यय को आय और व्यय खाते से निकाला जाएगा। व्यय से अधिक अनुदान को वर्ष के अंत में पूंजीगत कोष खाते में जमा करा दिया जाएगा।

7. सेवा निवृत्ति लाभ

(क) नई पेंशन योजना में वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा जमा/जमा करने योग्य अंशदान को आय और व्यय विवरण में दर्शाया जाएगा।

(ख) उपदान से संबंधित देयताओं को, जिसे प्रति वर्ष, वर्ष के अंत तक बीमांकक मूल्य पर निकाला जाता है और इसे अलग से प्रदान तथा वित्तपोषित किया जाएगा।

(ग) कर्मचारियों को छुट्टी की नकदीकरण की देयता को वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्य के आधार पर प्रोद्भवन पर वार्षिक रूप से पता लगाया जाता है, जिस वर्ष इसे दिया गया है।

8. कर

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अपने धन, आय, प्राप्तियों से लाभ से संबंधित धन कर, आय कर, सेवा कर, सीएसटी या किसी अन्य कर के लिए संघ/राज्य को भुगतान करने के लिए पात्र नही है। अत: चालू और आस्थगित आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

परिमाण में व्यापक मात्रा के अनुमान के प्रावधान को रखा गया है जहां पर विगत किसी मसले के परिणाम स्वरूप कोई मौजूदा दायित्व है और यह भी संभावित है कि संसाधन का प्रवार हो। आकस्मिक देयताओं को दर्शाया नहीं गया है परंतु लेखों में अंश के रूप में नोट में दर्शाया जाता है।

10. आय और व्यय

वर्ष के सभी आय और व्यय को, सिवाय उनके जिन्हें इस पैरा में विनिर्दिष्ट किया गया है, लेखों के विनिर्दिष्ट सीधे शीर्षों के अंतर्गत बीमांकक आधार पर जमा किए जाते है:–

(क) विगत वर्ष का आय या व्यय, जो प्रावधान बनाने मे हुई गलती/एक या इससे अधिक बार देयता सृजित करने से हुई है, पूर्ण अवधि समायोजन खाते के अंतर्गत डाला जाएगा।

(ख) यदि वास्तविक व्यय या आय तैयार देयता/व्यय के आधार पर प्रावधान से अधिक हो तो, इसे रोकड़ के आधार पर डाला जाता है।

(ग) वार्षिक लेखा और असाधारण मदों को अंतिम रूप देने की तारीख के बाद लिए गए निर्णय से, यदि कोई जिसका भूतलक्षी प्रभाव हो प्राधिकरण को हुई आय/व्यय, को रोकड़ आधार पर डाला जाएगा।

(घ) तुलन पत्र और/या आय और व्यय लेखा में लेखा प्रक्रिया और प्रकट करने के तरीके का पता लगाने के लिए, वस्तुत: सिद्धांत पर विचार किया जाता है और अत: प्रत्येक मामले में 1000 रुपए तक के पूर्व भुगतान/पूर्व अवधि वस्तुओं को रोकड़ आधार पर स्वाभाविक शीर्ष के लिए माना जाएगा।

11. राजस्व

(क) प्राधिकरण को डीएलसी/सीएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए एकत्रित शुल्क डीएलसी/सीएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा लिटोपेनस वेन्नमई फार्मों और हैचरियों से प्रक्रम शुल्क एकत्रित किया जाता है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार, इस शुल्क को प्राप्ति के वर्ष में प्राधिकरण के लिए आवंटित/अक्षय निधि में डाला जाएगा और विशिष्ट या निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु प्राधिकरण द्वारा रखा जाएगा।

(ख) शेष राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए रोकड़ आधार पर ब्याज आय को रखा जाएगा।

(ग) निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश से अर्जित ब्याज को निर्धारित/स्थायी निधियों में जोड़ा जाएगा तथा उसका भी उपयोग विशिष्ट प्रयोजन हेतु किया जाएगा।

12. अलग प्रकटन

निम्नलिखित के लिए आय और व्यय खाते में अलग प्रकटन किए जाते हैः

(क) एक या इससे अधिक अवधि में वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई गलतियों के परिणामस्वरूप चालू अवधि में हुई गलती या व्यय के परिणामस्वरूप चालू अवधि में आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल करने वाले पूर्व अवधि मदें।

(ख) असाधारण मदें, जो अस्तित्व के साधारण गतिविधियों से स्पष्टतः अलग है और जो परिस्थितियों या लेन–देन से होने वाले आय या व्यय के वस्तुतः मदों से है।

(ग) विविध आय शीर्ष के अंतर्गत कोई भी वस्तु जो 50,000/– रुपए से अधिक है तथा आय और व्यय लेखों में उपयुक्त लेखा शीर्ष में दर्शाए जाते है।

(घ) विविध खर्चों के मद में दिखाया गया कोई भी नगद जो कि 50,000/– रुपये से ज्यादा है, को आय एवं व्यय लेखा में उपयुक्त लेखा में दिखाया जाता है ।

ह/–
अधीक्षक

ह/–
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

अनुसूची – 25

आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां

आकस्मिक देयता

31 मार्च, 2013 को आकस्मिक देयता का कोई मामला नहीं है।

नियत परिसंपत्तियां

पूर्व के जलकृषि प्राधिकरण की नियत परिसंपत्ति को मूल्य ज्ञात परिसंपत्तियों के लिए सीएए द्वारा खरीददारी की तारीख से अधिकार में लेने की तारीख की अवधि के लिए लागत रहित मूल्य ह्रास को भी ध्यान में रखा गया था। मूल्य अज्ञात परिसंपत्तियों के मामले में सीएए के लेखों की पुस्तिकाओं में पंजीकृत करने के लिए कल्पित मूल 1/– रुपए माना जाता है। आयकर नियमों में निर्धारित दर पर सभी परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास को वित्त वर्ष 2012–13 के आय और व्यय लेखा के लिए संगठित और प्रभारित किए गए है।

चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्राधिकरण ने डाकघर से फ्रैकिंग मशीन लिया है और इसे एकमुश्त राशि के लिए टिकटों से भर दिया गया है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने डाकघर से सरकारी डाक टिकट खरीदा है, इसके लिए अदा की गई राशि को स्टांप इन हैंड के रूप में दर्शाया गया है। टिकट की दैनिक खपत के लिए रखे जा रहे रजिस्टर के आधार पर टिकटों पर खर्च किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर स्टांप इन हैंड के समरूप क्रेडिट द्वारा संबंधित व्यय शीर्ष में डेबिट कर दिया जाता है। 31 मार्च, 2013 को 2,687/– रुपए की राशि का स्टांप इन हैंड था।

दैनिक प्रकृति के व्यय के वहन के लिए 3,000/– रुपए की अग्रदाय राशि डीडीओ को संस्वीकृत कर दी गई है।

चालू देयताएं

इसकी वारंटी अवधि के पूरा होने तक 4,29,134/– रुपए का प्रतिभूति जमा कार्यनिष्पादन गारंटी के रूप में प्राप्त हुआ।

कराधान

प्राधिकरण अपने संपत्ति, आय, लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर अथवा अन्य किसी भी प्रकार का कर का देनदार नहीं है। अत: चालू और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

सरकारी अनुदान/ एकत्र शुल्क

पूंजीगत व्यय यानि सहायता अनुदान में से बनाई गई अवक्षय योग्य परिसंपत्ति की लागत को पूंजीगत कोष खाते में क्रेडिट किया जाता है। सहायता अनुदान में से किए गए राजस्व व्यय को आय और व्यय खाते में डेबिट किया जाएगा। व्यय के ऊपर अनुदान की अधिकता को 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के अंत में पूंजीगत लागत खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

प्राधिकरण को सीएए और डीएलसी/एसएलसी के बीच 70:30 के अनुपात में हिस्सेदारी से डीएलसी/ एसएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण एलवी फार्मों और हैचरियों के लिए प्रसंस्करण फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार शुल्क को प्राप्ति वर्ष में प्राधिकरण के विशेष रूप से इयरमार्क्ड/इन्डाउमेंट फंड के रूप में खाते में रखा जाता है और इसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट और इअरमार्क्ड प्रयोजनों में उपयोग के लिए रखा जाता है।

निर्धारित किए गए विशेष निधि से 11,56,612/– रुपये का उपयोग कार्यशाला/प्रशिक्षण इत्यादि एवं फार्मों के पंजीकरण इत्यादि के क्रम में फार्मों एवं हैचरियों के निरीक्षण पर खर्च के लिए किया गया ।

विगत वर्ष के आंकड़े

स्वायत्त निकायों के लिए कैग द्वारा किए गए लेखागत प्रक्रिया, इसमें संलग्न विभिन्न अनुसूची के साथ तुलन–पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा में विगत वर्ष के आंकड़ें दर्शाने के लिए विनिर्दिष्ट करता है।

ह/–
अधीक्षक

ह/–
सदस्य सचिव

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हम लोगों ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सेवा के कर्तव्य, शक्ति और शर्त) अधिनियम 17 की धारा 19(2)के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण के 31 मार्च 2013 के लिए संलग्न तुलन–पत्र (बैलैंस सीट) और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की । ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय लेखों पर अपनी राय देना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखा व्यवहार की अनुरूपता, वर्गीकरण और डिसक्लोजर मानकों आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां हैं । विधि, नियम और विनियम (स्वामित्व और नियमितता) और कार्यक्षमता–सह–कार्यनिष्पादन संबंधी पहलुओं आदि, यदि कोई हों, से संबंधित वित्तीय लेनदेन के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्ट/कैग की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से बताई जाती है।

3 हम लोगों ने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत हम लोग इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा विनियोजित और निष्पादित करते हैं कि वित्तीय विवरण मेटेरियल मिसस्टेटमेंट से मुक्त है अथवा नहीं । लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में राशि और डिसक्लोजर को समर्थन करने वाले साक्ष्य के आधार पर जांच की जाती है । लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा साथ ही वित्तीय विवरण के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करेगी।

4 अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. हमने अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक संपूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं ।

ii. इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में रखा गया है।

iii. हमारी राय में लेखे की उचित पुस्तकों और अन्य संबंधित रिकार्डों के संबंध में हमारी जांच से यह पता लगता है कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नै ने प्राधिकरण के नियम और विनियम के अनुसार इन पुस्तकों का रखरखाव किया है।

iv. हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) सामान्य

(1) लेखों में उपदान, अधिवर्षिता पेंशन, संचित छुट्टी भुनाना आदि जैसे प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है।

(2) कर्मचारियों से वसूल किए गए त्योहार अग्रिम को प्राप्तियां और भुगतान विवरण में 'IV प्राप्त ब्याज–(ख) ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया गया है। त्योहार अग्रिम एक बिना ब्याज वाला अग्रिम है। इसलिए, आरएंडपी विवरण में 'IV प्राप्त ब्याज–(ख) ऋण और अग्रिम' के तहत त्योहार अग्रिम की प्राप्त राशि को दर्शाना गलत है और इसे अलग से दर्शाना होता है।

(ख) प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया है उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नै के ध्यान में लाया गया है।

(ग) सहायता–अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त 2.53 करोड़ रु. (गैर योजना) और आंतरिक प्राप्ति: 0.22 करोड़ तथा 0.66 करोड़ रुपए के (कुल 3.41 करोड़ रूपए) की खर्च न की गई शेष राशि में से प्राधिकरण 31 मार्च, 2013 तक 2.64 करोड़ रूपए उपयोग में ला सका। जबकि 0.77 रूपए करोड़ रूपए की राशि बच गई।

v. विगत पैराग्राफ में हमारी टिप्पणी के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन–पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा से संबंधित लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

vi. हमारी राय में हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गयी जानकारी के आधार पर उक्त वित्तीय विवरण लेखाकरण नीतियों और लेखाकरण टिप्पणियों के अनुरूप हैं और उक्त में वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में वर्णित अन्य मामलों के अधीन है और ये भारत में सामान्यत:स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूपता की दृष्टि से सत्य और निष्पक्ष हैं ।

(क) यह तुलन–पत्र तटीय जल कृषि प्राधिकरण,चेन्नै के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2013 तक की स्थिति से संबंधित है; और

(ख) यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्ययलेखे के अधिशेष से संबंधित है।

कृते और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान: चेन्नै
तिथि: 31.10.2013

लेखा महानिदेशक (केन्द्रीय) चेन्नै

अनुबंध–1

1 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

प्राधिकरण के पास कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है।

2 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है। प्राधिकरण ने इससे संबंधित पंजीकरण शुल्क के केवल 30 प्रतिशत हिस्से को लेखे में लिया है, वह भी नकद आधार पर। इसको बढ़ोत्तरी आधार पर लेखे में लिया जाना होता है। जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समितियों से संबंधित 70 प्रतिशत शेयर को प्राधिकरण के लेखों में लेखे के लिए नहीं लिया गया है। इसे प्राप्तियां और साथ–भुगतान के रूप में दर्शाना होता है।

3 स्थाई परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन :

स्थाई परिसंपत्तियों की पंजिका को उचित रूप से अनुरक्षित किया गया था। स्थाई परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया था।

4 माल सूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

माल सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया था।

5 वैधानिक बकायों के भुगतान में नियमितता :

प्राधिकरण वैधानिक बकायों का भुगतान करने में नियमित था।

उप निदेशक/सीई

R.S. Rangarajan

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)
चेन्नै
लेखापरीक्षा भवन
361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)
Chennai
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN"
361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

COASTAL AQUA CULTURE AUTHORITY
Diary No 2668
Date 1-11-13
CHENNAI-600 006.

1/11/2013

अ. स. नं. / D.O. No.: सीएबी//V/28-76/2013-14/97

दिनांक: 31.10.2013

प्रिय श्री पालराज

दिनांक 31-03-2013 को जारी किए गए वर्ष 2012-13 की तटीय जल कृषि प्राधिकरण की वार्षिक लेखे के लेखा परीक्षा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अवकलोकन करें।

मैं निम्नलिखित मुद्दों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ:

जवाबदेही का अंडर स्टेटमेंट – निश्चित/वृत्ति निधि 1,69,004 रूपए पर निवेश से आय का गैर लेखाकरण

निवेश (आईओबी एफडीआर), से आय अनुसूची-15 के अनुसार 1,69,004 रूपए की राशि को 'निश्चित/वृत्ति निधि को स्थानान्तरित निवेश पर आय' के रूप में दर्शाया गया था। तथापि, इसको 'अनुसूची 3 निश्चित/वृत्ति निधि के रूप में (ख) निधियों को जोड़ना (ii) निश्चित निधियों के कारण किए गए निवेश से आय' के तहत अलग से लेखाकरण के बदले अनुसूची 17 में बचत खाते पर अर्जित ब्याज के साथ जोड़ दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के दौरान निश्चित निधि का अंडर स्टेटमेंट और तदनुसार 1,69,004 रूपए के अनुरूप पूंजी निधि का ओवर स्टेटमेंट उपस्थित हुआ। भविष्य में सही लेखाकरण प्रक्रिया अपनायी जाए।

भवदीय,

श्री आर. पालराज
सदस्य सचिव
तटीय जलकृषि प्राधिकरण
शास्त्री भवन, एनेक्सी
26, हडोज रोड
चेन्नै 600006

वर्ष 2012–13 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का उत्तर

लेखा परीक्षा टिप्पणी	उत्तर
A. सामान्य उपदान, अधिवर्षिता पेंशन, संचित अवकाश नकदी करण आदि के लिए प्रावधान खातों में नहीं किए गए थे।	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया।
स्टाफ से वसूला जाने वाला त्यौहार अग्रिम प्राप्तियां और भुगतान विवरण में 'IV ब्याज प्राप्त–(ख) ऋण और अग्रिम' के तहत प्रदर्शित किया गया है । त्यौहार अग्रिम एक गैर–ब्याज वाला अग्रिम है। इसलिए त्यौहार अग्रिम की वसूली गई राशि को भुगतान विवरण में 'IV ब्याज प्राप्त–(ख) ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जाना सही नहीं है । इसे अलग से प्रकट किया जाना चाहिए ।	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया।
B. प्रबंधन पत्र देयता को कम करके बताना – 1,69,004/– रूपए की चिह्नित/स्थायी निधि पर निवेश से प्राप्त आय को हिसाब में न दिखाना। अनुसूची 15 के अनुसार–निवेश से प्राप्त आय (आईओबी एफडीआर), 1,69,004/– रूपए की राशि को ''निवेश पर आय जिसे चिह्नित/स्थायी निधि में अंतरित'' के तौर पर दर्शाया गया है। तथापि, इसे अनुसूची 17 में बचत खातों पर प्राप्त ब्याज के साथ मिला कर दिखाया गया था, बजाए इसके कि इसे अनुसूची – 3 के तहत चिह्नित/स्थायी निधि के तहत अलग से दिखाया जाता (ख) निधियों में इज़ाफे के तौर पर (ii) चिह्नित निधियों पर किए गए निवेश से प्राप्त आय । इस कारण चिह्नित निधि को कम करके बताना पड़ा था तथा तदनुरूप वर्ष 2012–13 के दौरान पूंजीगत निधि को बढ़ा चढ़ाकर 1,69,004/– रूपए तक दिखाया गया। भविष्य में सही लेखा प्रक्रिया को अपनाया जाए ।	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया।

वर्ष 2012–13 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का उत्तर

	लेखा परीक्षा टिप्पणी	उत्तर
1	**आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता** प्राधिकरण के पास आंतरिक लेखा प्रणाली नहीं है।	प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2013–14 से सीएए तथा डीएलसीज के खातों की लेखा परीक्षा के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है।
2	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है। प्राधिकरण ने अपने से संबंधित पंजीकरण शुल्क के केवल 30 प्रतिशत हिस्से का ही हिसाब दिखाया है, और वह भी नकद आधार पर । इसकी गणना प्रोदभूत आधार पर की जानी चाहिए । जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय समितियों के 70 प्रतिशत हिस्से को प्राधिकरण के खातों में नहीं दर्शाया गया है । इसे प्राप्तियां तथा भुगतानों के तौर पर दर्शाया जाना चाहिए ।	तटीय जल कृषि के पंजीकरण शुल्क को सीधे डीएलसीज द्वारा प्राप्त किया जाता है। चूंकि सभी डीएलसीज द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए आडिट के लिए सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अत: सीएए ने अपनी 40वीं बैठक में यह निर्णय लिया है कि लेखा मानकों के अनुसार सीएए की लेखा बहियों में उनके द्वारा अर्जित/वहन किए गए सही आय/व्यय दर्शाने के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 से डीएलसीज की लेखा बहियों का निरीक्षण करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया जाए । इसलिए, भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया।

सत्यमेव जयते

Annual Report 2012 - 2013

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Government of India
Ministry of Agriculture
2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe
Chennai - 600 006, Tamil Nadu
Tel. : 91-44-28213785, 28216552 Fax : 044-28216552
E-mail : aquaauth@vsnl.net website: www.caa.gov.in

न्यायमूर्ति के. रविराजा पान्डियन
अध्यक्ष
Justice K. Raviraja Pandian
Chairperson

सत्यमेव जयते

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार कृषि मत्रांलय
शास्त्री भवन अनेक्स दूसरी मंजिल
सं. 26, हडोस रोड, चेन्नै–600 006.
तमिलनाडु, भारत.
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Agriculture
Shastri Bhavan Annexe, 2nd Floor,
No.26, Haddows Road, Chennai - 600 006.
Tamilnadu, INDIA.

9th December 2013

PREFACE

The Coastal Aquaculture Authority (CAA) has been making visible progress during the past years in the field of coastal aquaculture in the country. Coastal aquaculture covers a wide ranging sets of activities relating to social, economic and biological issues. As such management and regulation in a coordinated manner are vital to achieve optimum benefits in attaining the goal of sustainable development. Various programmes undertaken by CAA addresses the complexity of problems being faced by this sector, as may be seen in the Annual Report of the Institution. The concept of biosecurity and regulated growth are being realized by the stakeholders in the coastal aquaculture sector through the various regulatory measures advocated by CAA. Farmers are enlightened on these aspects through the various awareness programmes organized by CAA and through their active participation in the workshops and sea food fairs held at different parts of the country during the reporting period. Besides shrimp aquaculture, the sector needs diversification in the finfish culture of brackishwater species, which would give help in the overall utilization of our vast resources and in improving production and economic growth in the coastal areas of the country in the long run. Disease surveillance and management should also be strengthened in future besides advocating good aquaculture practices as essential components in developing and regulating coastal aquaculture activities.

With the changing scenario in the sea food trade, where consumers are becoming more conscious of the food safety and hygiene practices being followed in harnessing the sea food resources, we need to address these critical issues also in future in which the role of CAA would be vital for ensuring compliance of various regulatory measures for a better future.

The CAA acknowledges its gratitude to the Union Minister of Agriculture, Minister of State for Agriculture, Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries and the staff of Fisheries Division under the guidance of Joint Secretary (Fisheries) as well as the scientific fraternity involved in coastal aquaculture for the support and cooperation provided in all our various work plans.

Justice K. Raviraja Pandian
Chairperson

I. Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority

The Coastal Aquaculture Authority was established under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 for regulating the activities connected with coastal aquaculture in the coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto. Coastal aquaculture means 'culturing, under controlled conditions in ponds, pens, enclosures or otherwise, in coastal areas, of shrimp, prawn, fish or any other aquatic life in saline or brackish water; but does not include fresh water aquaculture'. Coastal area means 'area of land within a distance of two kilometers from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwaters'. The main objective of the Authority is to promote sustainable development without causing damage to the coastal environment and to ensure that the concept of responsible coastal aquaculture is followed.

1. Composition of the Authority during 2012–2013

A. Composition of the Authority from 1st April to 25th June 2012

(i) **Chairperson** … Vacant
(Retired / Sitting judge of the High Court)

(ii) **Dr A G Ponniah** … Member
Director, Central Institute of
Brackishwater Aquaculture (CIBA), Chennai
(Expert in the field of Coastal Aquaculture)

(iii) **Shri P Madeswaran** … Member
Scientist 'F'
Ministry of Earth Sciences, Govt. of India
(Expert in the field of Coastal Ecology)

(iv) **Dr D D Basu** … Member
Senior Scientist, Central Pollution Control Board
Ministry of Environment and Forests, New Delhi
(Expert in the field of Environment Protection / Pollution)

(v) **Shri Tarun Shridhar, IAS** … Member
Joint Secretary (Fisheries)
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
(Representative of the Ministry of Agriculture, Govt. of India)

(vi) **Ms Leena Nair, IAS** … Member
Chairman, The Marine Products
Export Development Authority, Kochi
(Representative of the Ministry of Commerce, Govt. of India)

(vii) **Shri Satyabrata Sahu, IAS** … Member
Commissioner & Secretary, (Dept. of Fisheries &
Animal Resources Department),
Govt. of Odisha
(Representative of Odisha State)

(viii) **Shri A S Dagar, DANICS**
Secretary (Fisheries), Department of Agriculture, … Member
Fisheries, Animal Husbandry & Veterinary Services
UT Administration of Andaman & Nicobar Islands
(Representative of UT of Andaman & Nicobar Islands)

(ix) **Shri P K Mohanty, IAS** … Member
Additional Chief Secretary (Fisheries)
Shri K R Jyothi Lal, IAS / Ms Ishita Roy, IAS
Dr A Jayathilak, IAS
Secretary (Fisheries)
Govt. of Kerala
(Representative of Kerala State)

(x) **Shri Pitambar M Tandel** … Member
Karwar, Karnataka
(Representative of Karnataka State)

(xi) **Dr R Paul Raj** … Member Secretary
(Member appointed by the Central Government)

B. Composition of the Authority from 26th June 2012 to 31st March 2013

(i) **Chairperson** … Vacant
(Retired/Sitting judge of the High Court)

(ii) **Dr P Ravichandran** … Member
Principal Scientist, Central Institute of
Brackishwater Aquaculture, Chennai
(Expert in the field of Coastal Aquaculture)

(iii) **Dr R Kirubhagaran** … Member
Scientist 'F', National Institute of Ocean Technology
Chennai
(Expert in the field of Coastal Ecology)
(Representative of the Ministry of Earth Sciences,
Govt. of India)

(iv) **Dr Ms Manju Raina** … Member
Director (CP Division)
Ministry of Environment & Forests, Govt. of India
(Expert in the field of Environment Protection/Pollution)

(v) **Shri Tarun Shridhar, IAS** … Member
Joint Secretary (Fisheries)
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
(Representative of the Ministry of Agriculture, Govt. of India)

(vi) **Shri D S Dhesi / Asit Kumar Tripathy, IAS** … Member
Joint Secretary, Ministry of Commerce, Govt. of India
(Representative of the Ministry of Commerce, Govt. of India)

(vii) **Dr D H Brahmbhatt, IAS** … Member
Secretary (Fisheries)
Govt. of Gujarat
(Representative of Gujarat State)

(viii) **Shri K Praveen Kumar, IAS** … Member
Commissioner of Fisheries
Govt. of Andhra Pradesh
(Representative of Govt. of Andhra Pradesh)

(ix) **Shri Subesh Kumar Das, IAS** … Member
Additional Chief Secretary, Department of Fisheries,
Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbour
(Representative of Govt. of West Bengal)

(x) **Shri Gagandeep Singh Bedi, IAS** … Member
Secretary (Fisheries)
Govt. of Tamil Nadu
Animal Husbandry, Dairying and
Fisheries Department, Chennai
(Representative of Govt. of Tamil Nadu)

(xi) **Dr R Paul Raj** … Member Secretary
(Member appointed by the Central Government)

2. Aims and Objectives of the Authority

The aims and objectives of the Authority are to regulate 'coastal aquaculture' activities in the areas notified by the Central Government as 'coastal areas' and for matters connected therewith. The Authority is empowered to make regulations for the construction and

operation of aquaculture farms in coastal areas, inspection of farms and hatcheries to ascertain their environmental impact, registration of aquaculture farms and hatcheries, removal or demolition of coastal aquaculture farms which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, *viz.*, seed, feed, growth supplements, chemicals, etc., used in coastal aquaculture.

3. Powers and Functions of the Authority

The powers and functions of the Authority are specified in Chapter IV of the CAA Act, 2005, the Rules framed there under, and the Regulations framed by Coastal Aquaculture Authority, notified in March, 2008. The CAA, shall *inter alia* make regulations for the orderly and sustainable development of the coastal aquaculture sector to facilitate environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity.

The major responsibility of Coastal Aquaculture Authority towards achieving these goals, is to ensure registration of all kinds of coastal, brackish and saline aquaculture farms and hatcheries within the notified area. This is an ongoing process. A number of measures have been initiated by the Authority for registering all eligible coastal aquaculture farms. It is mandatory for all persons carrying on coastal aquaculture to register their farms with the Coastal Aquaculture Authority, as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture Authority Act and Rules. Registration is valid for a period of five years, which can be renewed from time to time for a like period. The registration process would be continued in respect of existing farms, new farms as well as for farms that may be renovated for taking up coastal aquaculture activities in future.

Aquaculture is not permitted within two hundred meters from the High Tide Line of the seas, creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the 'existing farms', that is farms set up before the commencement of the Act and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by the Government or any research institute of the Government. However, all such farms need to be registered with the CAA. Any person carrying on, coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both as provided in Section 14 of the Act.

CAA is assisted by the State Level Committees (SLC) and the District Level Committees (DLC) on all matters concerning the registration of coastal aquaculture farms. In the case of farms up to 2 ha water spread area, the DLC, upon satisfaction, shall recommend the applications directly to CAA for consideration of registration; and in the case of farms above 2 ha water spread area, the DLC shall inspect the farm to verify conformation of

norms and recommend the applications to SLC, who upon satisfaction, shall recommend them to CAA for registration.

The CAA also has the power and the functions as stated below:

- ensure that agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in coastal areas;
- survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State/ UT Governments for formulating suitable strategies for achieving eco-friendly development;
- advise and extend support to the State/UT Governments for constructing common infrastructure, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals used for the maintenance of the water bodies and the organisms reared and other aquatic life;
- carryout or sponsor investigations and studies/ schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;
- prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating to coastal aquaculture;
- give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources;
- constitute various technical committees, sub-committees, working groups, etc., for preparation of technical manuals etc.;
- direct the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts on coastal environment;
- order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;

- deal with any issue pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;
- make suitable recommendations to the Government for amending the guidelines from time to time.

4. Regulation of SPF *Litopenaeus vannamei* Culture in India

Coastal Aquaculture Authority has been authorised, vide Notification dated 15th October, 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001), to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei*. The broodstock suppliers were shortlisted by CAA in consultation with National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) and the Marine Products Export Development Authority (MPEDA). The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements, disinfection methods etc., are detailed in the said Guidelines contained in the above Notification.

By the Coastal Aquaculture (Amendment) Rules, 2009, Guidelines were issued for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei.* These Guidelines contain the criteria for application to breed *L. vannamei*, the technical requirements, procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and, specific norms and regulations for approval and operation of farms.

To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, Government of India came out with further amendments to the CAA Rules, 2005 through a Notification in March 2012 by permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10g for rearing to adult broodstock, sale of nauplii among the permitted hatcheries, and for shifting culture of one species to another after adequate dry out period. This Notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorized stock by the Inspection Team of CAA.

Coastal Aquaculture Authority is following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up *L. vannamei* farming and in the inspection and monitoring of the farms and hatcheries for the sustainable development of this venture.

II. Targets and Performance

1. Annual Targets

- Convening of meetings of the Authority at least once in two months to take appropriate decisions for implementation.
- Registration of coastal aquaculture farms / renewal is a continuous process, which cannot be specifically quantified or targeted. An additional 3,000 coastal aquaculture farms are expected to be registered during the next one year subject to the receipt of proposals with the recommendations from the District Level Committees (DLCs) and State Level Committees (SLCs).
- Extension of SPF *L. vannamei* culture, covering an additional area of about 2,000 ha for the year 2012-13 with an anticipated additional production of about 20,000 MT of the shrimp in a year.
- Selection of broodstock suppliers by the Technical Committee depending upon the need and on reviewing the performance of existing suppliers.
- Issuing Public Notice to invite applications from prospective hatchery owners with adequate biosecurity facilities for granting permission to import broodstock and to produce SPF seed for supplying to the farmers approved by CAA.
- The broodstock requirement for *L. vannamei* farming would be worked out by the Technical Committee on the basis of annual requirement, hatchery capacity and the extent of farming area for *L. vannamei* culture.
- Processing all the applications received from farmers, who intend to culture *P. monodon*, SPF *L. vannamei* or any other brackishwater species, in their farms after creation of adequate facilities, and issuing certificate of Registration and / or permission therefor.
- Processing of the applications received for seed production and farming operations of SPF *L. vannamei* in a time bound manner.
- Inspection of hatcheries and farms by the Inspection Team to ascertain the biosecurity as well as other requirements.
- Consideration of the applications recommended by the Inspection Team for granting approval by the Authority in its regular meetings.
- Monitoring of hatcheries and farms will be done periodically; and appropriate action will be taken for violation if any, of the conditions of approval.

- Sampling and testing of wastewater discharged from ETS to ensure that water quality parameters conform to the standards notified by CAA.
- Organising awareness programmes, in Maritime States, to sensitize the farmers on registration of farms for undertaking *P. monodon*, SPF *L. vannamei*, finfishes and crab farming and issues on banned drugs and other substances, as and when necessary.
- Participation / organization of workshops and exhibitions relating to coastal aquaculture depicting sustainable farming practices.
- Preparation of brochures / handouts on Good Aquaculture Practices (GAqP) for distribution to stakeholders.

2. Brief review of Actual Performance

- Four meetings of the Authority were held between April 2012 and March 2013. In all, 2,216 applications for registration of coastal aquaculture farms received from DLCs / SLCs were considered for approval. The Authority approved 1,835 applications which were in order, the remaining applications were returned to the DLCs / SLCs for rectification.
- Registration certificates were issued to all the 1,835 farms approved by CAA.
- On the basis of the Inspection Team's report, 31 new hatcheries were permitted for SPF *L. vannamei* seed production after inspection; and permission granted to 74 hatcheries during 2011-12 were renewed for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from 9 broodstock suppliers short-listed by CAA.
- After scrutinizing the applications received from the farmers, for culture of SPF *L. vannamei* and based on the Inspection Team's report, 334 farms with total area of 2,514.51 ha (water spread area 1,746.18 ha) were issued permission for culturing SPF *L. vannamei* during the year.
- Approximately, 7,500 to 8,500 million (estimated) post larvae of SPF *L. vannamei* were produced by the approved hatcheries and supplied to registered shrimp farmers during the year.
- Technical Evaluation Committee met on 16th February, 2013 and interacted with members of All India Shrimp Hatchery Association relating to various issues concerning import of broodstock, especially on the annual requirement of broodstock, and seed production.
- A total of 66,360 pairs of broodstock were approved by the CAA for import during the year 2012-13.

- A total of 83 visits were made by Inspection Team to unapproved hatcheries on receipt of complaints regarding illegal seed production of *L. vannamei*. The team observed broodstock and larval stages of *L. vannamei* in 26 hatcheries and destroyed the illegal pond reared broodstock and larval stages found in those 26 hatcheries.

- Five awareness programmes were conducted in the states of Andhra Pradesh, West Bengal and Gujarat in which 228 farmers and State Fisheries officials of these states participated. During the programmes, main content of CAA Act 2005 relevant to farming, aims, objectives, powers and functions of CAA, antibiotic residues, responsible aquaculture and guidelines for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei* were explained and handouts in vernacular languages were distributed.

- A survey was conducted in *L. vannamei* hatcheries and farms in Andhra Pradesh and Tamil Nadu to assess the impact of *L. vannamei* aquaculture on the socio-economic status of the coastal population. Altogether 52 permitted hatcheries and farms were surveyed in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The production facilities were inspected and the records maintained were also verified during the survey.

- Sites proposed by consortia of approved hatchery operators in Andhra Pradesh and Tamil Nadu were inspected by a committee coordinated by CAA with members from CIBA, NFDB, AQ&CS, DAHD&F and AISHA in order to assess their suitability for setting up of additional quarantine facilities in the private sector.

- A survey was carried out by CAA with scientists of CIBA in randomly selected farms in Nellore and Bhimavaram areas to ascertain whether the occurrence of early mortality is due to EMS (Early Mortality Syndrome) / AHPNS (Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome) or not. It was found that the mortality in these areas was primarily due to viral infections and there was no sign of typical EMS/ AHPNS that has been described in other countries.

- A meeting was coordinated by CAA during the visit of Dr. Peter K. Kenmore, FAO representative in India and Mr. James A. Harvey, Ambassador - Permanent representative of UK of FAO, Rome to Chennai on 24.5.2012 to discuss issues relating to implementation of FAO's code of conduct for responsible fisheries involving scientists from various organisations and other stakeholders.

III. A. Activities and Achievements

1. Meetings of the Authority and Committees constituted by the Authority

During the year, *i.e.*, from April, 2012 to March, 2013, four meetings of the Authority were convened, in addition to other meetings for specific purposes. The details of the Authority meetings and important decisions taken are summarized in Table 1. Besides approving the applications for registration, the Authority discussed many vital issues such as punitive measures against farms and hatcheries that used banned antibiotics, action against unapproved hatcheries and farms producing *L. vannamei*, review of the registration process of hatcheries, monitoring of wastewater discharged from farms and hatcheries, constitution of District Level Teams (DLTs) for inspection of SPF *L. vannamei* farms up to 5 ha water spread area to ascertain the biosecurity and ETS facilities, etc.

Authority meetings in progress

Table 1 Meetings of the Coastal Aquaculture Authority (April, 2012 – March, 2013)

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Thirty Seventh Meeting	31st May, 2012 Chennai	• Approved the registration of 933 shrimp farms. • Granted permission to 16 hatcheries to import SPF *L. vannamei* broodstock and seed production. • Permission granted to 105 shrimp farms (WSA-539.77 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Resolved to write to the concerned District Collectors informing the violation in *L. vannamei* seed production without CAA registration by one hatchery in Nellore District of Andrhra Pradesh and three hatcheries in Kancheepuram District of Tamil Nadu and for taking action as per the provisions of CAA Act and Rules. • Resolved to work out the annual requirement of broodstock of SPF *L. vannamei* for the financial year 2012-13 and decided to continue the formula as approved by the CAA for 2011-12 for allotment of broodstock for the year 2012 -13.
Thirty Eighth Meeting	26th September, 2012 New Delhi	• Approved the registration of 205 shrimp farms. • Granted permission to 9 hatcheries to import SPF *L. vannamei* broodstock and seed production. • Permission granted to 131 shrimp farms (WSA-506.04 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Approved the Annual Report of CAA for the year 2011-12. • Granted permission for registration of one finfish hatchery for seabass in Krishna District of Andhra Pradesh on the recommendation of the Inspection Team authorised by CAA. • Approved 8 applications for renewal of registration of shrimp farms. • Resolved to issue one more advertisement in news papers reminding the coastal farmers on the need to renew the registration of their farms.

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Thirty Ninth Meeting	4th December, 2012 New Delhi	• Approved the registration of 441 shrimp farms. • Granted permission to 6 hatcheries to import SPF *L. vannamei* broodstock and seed production. • Granted permission to 57 shrimp farms (WSA-383.60 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Resolved to issue show-cause notices first to the farms and hatcheries involved in unauthorized activities (both registered as well as unregistered) before considering closure. • Approved 4 applications for renewal of registration of shrimp farms.
Fortieth Meeting	19th March, 2013 Chennai	• Approved the registration of 256 shrimp farms. • Approved renewal of registration of 5 shrimp farms. • Granted permission to 13 hatcheries to import SPF *L. vannamei* broodstock and seed production. • Permission granted to 41 (WSA-316.77 ha) shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*. • Resolved to issue closure order to seven hatcheries for illegal *L. vannamei* production and write to the concerned District Collectors to ensure implementation of the closure order. • Resolved to engage a Consultant in the Environmental Monitoring Programme. • Resolved to cancel the registration of the 5 shrimp farms based on redressal of grievances of the villagers of Vijayalakshmipuram of Chirala Mandal, Praksam District of Andhra Pradesh on account of shrimp culture activities adjacent to paddy fields.

2. Registration of Shrimp Farms

- One of the major tasks accomplished by the CAA was the registration of shrimp farms on the recommendations of the District and State Level Committees constituted for this purpose. The Authority considered the applications recommended by the District Level Committees and the State Level Committees for registration of shrimp

farms in its meetings held regularly once in two months and has approved and issued 26,118 registration certificates to shrimp farmers in all the 12 Maritime States and UTs till March 2013 (since inception of the CAA). Details of registration of farms are presented in Table 2 and their area-wise and state-wise distribution is depicted in Figures 1 and 2.

Table 2 Details of Registration Certificates issued by CAA up to the 40th Meeting (December 2005 – March 2013)

Sl. No.	Name of States	Total Area (ha)					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.00	Total
1	West Bengal	1,718	165	6	0	0	**1,889**
2	Odisha	4,347	419	27	10	0	**4,803**
3	Andhra Pradesh	14,544	1,018	113	51	9	**15,735**
4	Tamil Nadu	886	597	128	19	1	**1,631**
5	Puducherry	5	1	0	0	0	**6**
6	Kerala	576	164	15	3	0	**758**
7	Karnataka	255	41	2	2	0	**300**
8	Goa	19	14	1	2	0	**36**
9	Maharashtra	80	112	23	18	6	**239**
10	Gujarat	139	555	8	1	2	**705**
11	Daman & Diu	0	12	0	0	0	**12**
12	A & N Islands	3	1	0	0	0	**4**
	Total	**22,572**	**3,099**	**323**	**106**	**18**	**26,118**

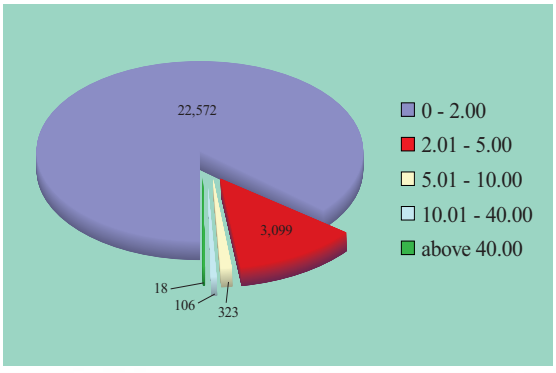

Figure 1 Registration of farms (state-wise) in all coastal states from December 2005 to March 2013

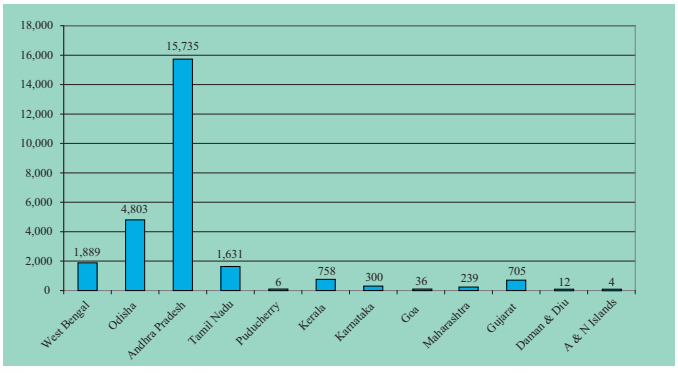

Figure 2 Registration of farms (area-wise) in all coastal states from December 2005 to March 2013

- During the year 2012-13 (April 2012 to March 2013), the Authority has considered and approved 1,835 applications. The registration certificates were issued and dispatched directly to the farmers and the certificates returned undelivered were sent to the Member Conveners of the DLCs of the states for issuing to the farmers.
- A statement showing the total number of certificates of registration issued by the Authority in all the 12 Maritime States and UTs during the year under report is given in the Table 3. Charts showing the details of farms registered with the Authority (State-wise and area-wise) are depicted in Figures 3 and 4.
- The details of registered farms are also made available to the end users in the Authority's website, which is being updated regularly.

Table 3 : Details of Registration Certificate issued by CAA during the Current year (April 2012 – March 2013)

Sl. No.	Name of the States	Total Area (ha)					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 – 40.00	above 40.00	Total
1	West Bengal	385	2	0	0	0	**387**
2	Odisha	498	48	0	0	0	**546**
3	Andhra Pradesh	622	23	9	3	0	**657**
4	Tamil Nadu	36	0	0	0	0	**36**
5	Puducherry	0	0	0	0	0	**0**
6	Kerala	126	67	2	1	0	**196**
7	Karnataka	2	5	0	0	0	**7**
8	Goa	0	0	0	0	0	**0**
9	Maharashtra	0	0	0	0	0	**0**
10	Gujarat	0	6	0	0	0	**6**
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	**0**
12	Andaman & Nicobar Islands	0	0	0	0	0	**0**
	Total	**1,669**	**151**	**11**	**4**	**0**	**1,835**

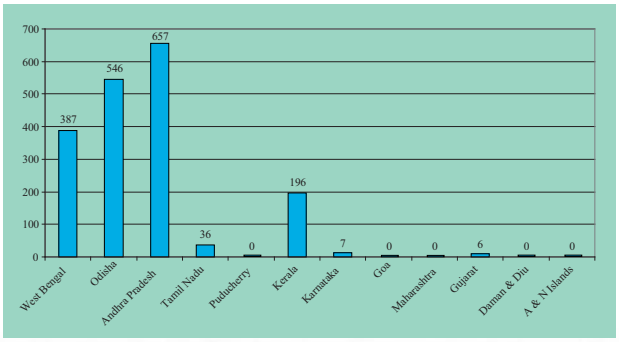

Figure 3 Registration of farms (State-wise) in all coastal states during the year 2012-13

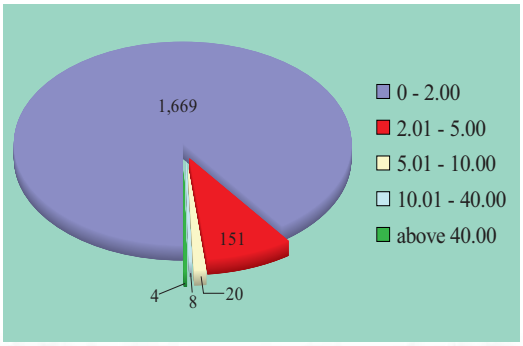

Figure 4 Registration of farms (area-wise) in all coastal states during the year 2012-13

- Out of the 12 maritime States and UTs, registration of shrimp farms with the Authority during the year took place in 7 states only, their area-wise break up are depicted in charts given as Figures 5 to 11 below:

West Bengal

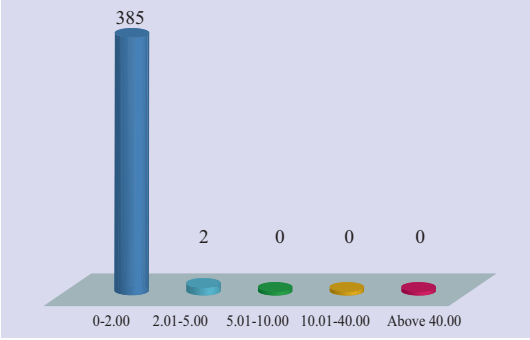

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	385
2.01 - 5.00	2
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0

Odisha

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	498
2.01 - 5.00	48
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0

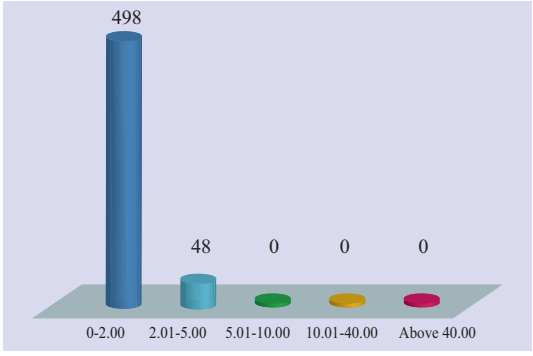

Andhra Pradesh

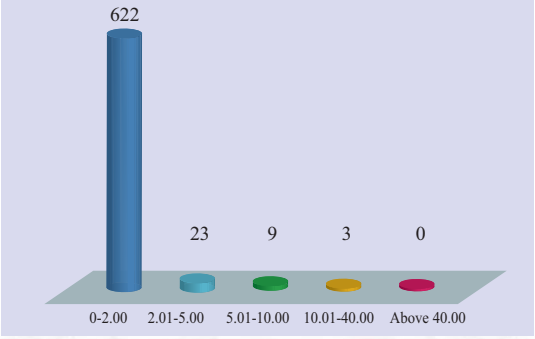

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	622
2.01 - 5.00	23
5.01 - 10.00	9
10.01 - 40.00	3
above 40.00	0

Tamil Nadu

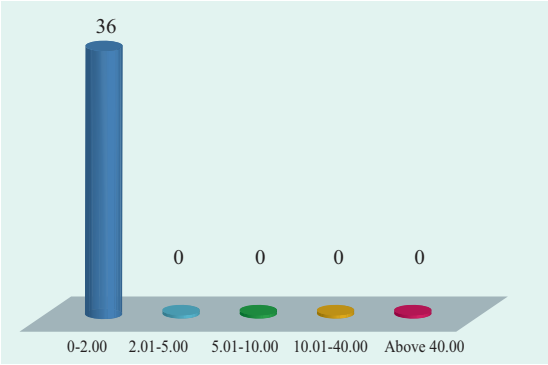

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	36
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0

Kerala

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	126
2.01 - 5.00	67
5.01 - 10.00	2
10.01 - 40.00	1
above 40.00	0

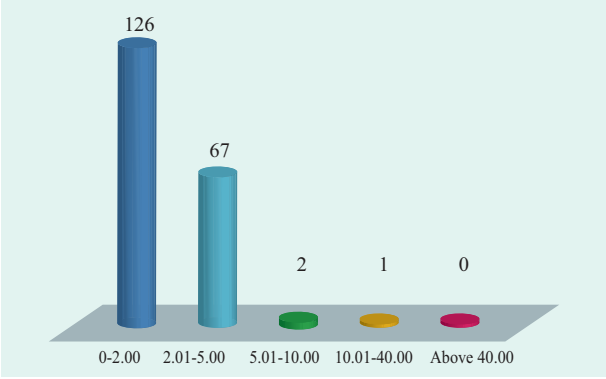

Karnataka

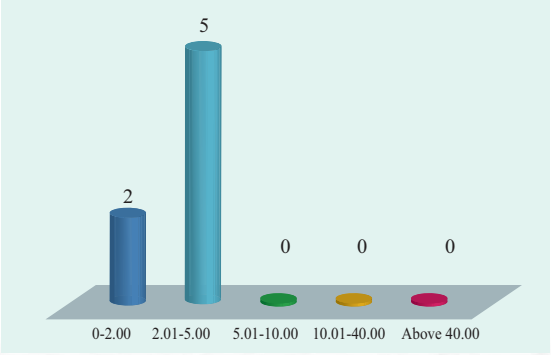

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	2
2.01 - 5.00	5
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0

Gjujarat

Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	0
2.01 - 5.00	6
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0

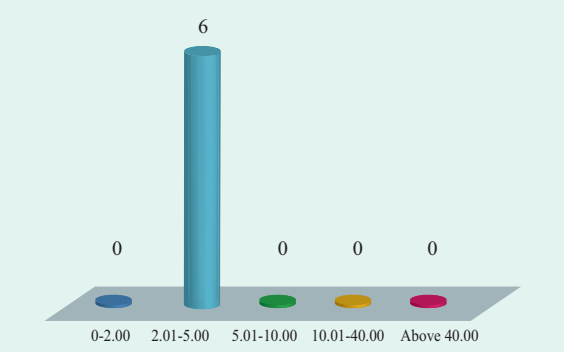

3. Renewal of Registrations

A total of 19 farms (14 in Tamil Nadu and 5 in Andhra Pradesh) with a total area of 36.67 ha (WSA 25.56 ha) were approved for renewal of registration during the year 2012-13. Two advertisements in news papers were issued reminding the coastal farmers on the need to renew the registration of their farms.

4. SPF *L. vannamei* Farming

(i) Selection of SPF *L. vannamei* Broodstock Suppliers

CAA carried out the exercise of short listing and selecting the suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, based on the genetic base and disease status, by holding intensive discussions with the prospective suppliers in consultation with other related organizations like CIBA, NFDB and MPEDA. The following nine suppliers which were shortlisted for the year 2011-12 continued during 2012-13 for the supply of broodstock of SPF *L. vannamei*:

1. M/s. Oceanic Institute, Hawaii
2. M/s. Kona Bay Marine Resources, Hawaii
3. M/s. Shrimp Improvement Systems, Florida
4. M/s. SyAqua, Thailand
5. M/s. Vannamei 101 Co.Ltd., (with joint venture), Thailand
6. M/s. Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd., Thailand
7. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd., Singapore
8. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd., Hawaii
9. M/s. High Health Aquaculture Inc., Hawaii

During the last quarter of the year SPF *L. vannamei* hatchery operators were advised against import of broodstock from South East Asian Countries due to the outbreak of Early Mortality Syndrome (EMS) / Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS).

(ii) Meeting of the Technical Evaluation Committee on import of Broodstock

The Technical Evaluation Committee had a meeting with hatchery operators on 11th February, 2013 and discussed various issues concerning import of broodstock especially on the annual requirement, quality of broodstock, survival rates etc.

Technical Evaluation Committee meeting in progress

(iii) Import of SPF *L. vannamei* Broodstock and Seed production in the year 2012-13

- Coastal Aquaculture Authority continued to grant permission to hatcheries for import of SPF *L. vannamei* broodstock and production of post larvae (PL) for sale to CAA approved farms.
- As per the recommendation of the Inspection Team and committee constituted for granting permission to hatcheries, Letters of Permission (LoP) were renewed to 74 hatcheries (53 in Andhra Pradesh, 17 in Tamil Nadu, 2 in Gujarat, 1 in Odisha and 1 in Karnataka) for the year 2012-13 to import the permitted quantity of SPF *L. vannamei* broodstock and production of seed of SPF *L. vannamei*. The validity of the renewed permit is up to 31.03.2013.
- On the basis of the recommendations of the Inspection Committee, 31 new hatcheries (23 in Andhra Pradesh and 8 in Tamil Nadu) were given approval by the Authority for import of broodstock and seed production of SPF *L. vannamei* during 2012-13, which are valid up to 31.03.2013. These are in addition to the 74 permits renewed for the year.
- The approved hatcheries deposited bank guarantee of ₹ 5 lakhs each in favour of CAA to ensure compliance of guidelines by them. In the event of any violation to the guidelines, the bank guarantee shall be invoked in addition to any other penalty imposed by CAA after following codal procedures outlined in CAA Act, Rules and Guidelines.
- Altogether, 105 hatcheries were permitted by CAA during the year under report (76 in Andhra Pradesh, 25 in Tamil Nadu, 2 in Gujarat, 1 in Odisha and 1 in Karnataka), to import SPF *L. vannamei* broodstock and produce seed during the year. The state-wise distribution of the permitted hatcheries is given in Figure 12 and the district-wise distribution is depicted in Figure 13.

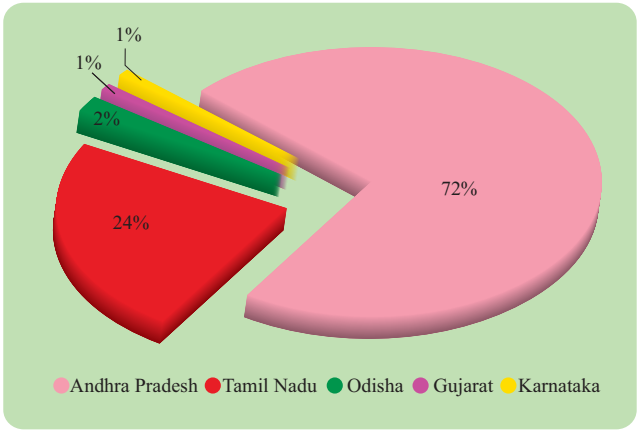

Figure 12 *State-wise distribution of L. vannamei hatcheries*

- The total number of broodstock permitted during the period was 66,360 pairs with a minimum production potential of 8,295 million SPF seeds. The number of *L. vannamei* hatcheries have grown steadily from the commencement of the programme and within a period of four years (July 2009 to March 2013), CAA has approved 105 hatcheries.
- Besides, in view of the inadequate space in the aquatic quarantine, permission to sell nauplii to CAA approved hatcheries as per the notification No. G.S.R.280(E) dated 23rd March, 2012 enabled better utilization of the imported broodstock for PL production. A gross estimate derived from the shrimp biomass produced during 2012-13, the PL produced in the approved hatcheries is in the range of 7,500-8,500 million.

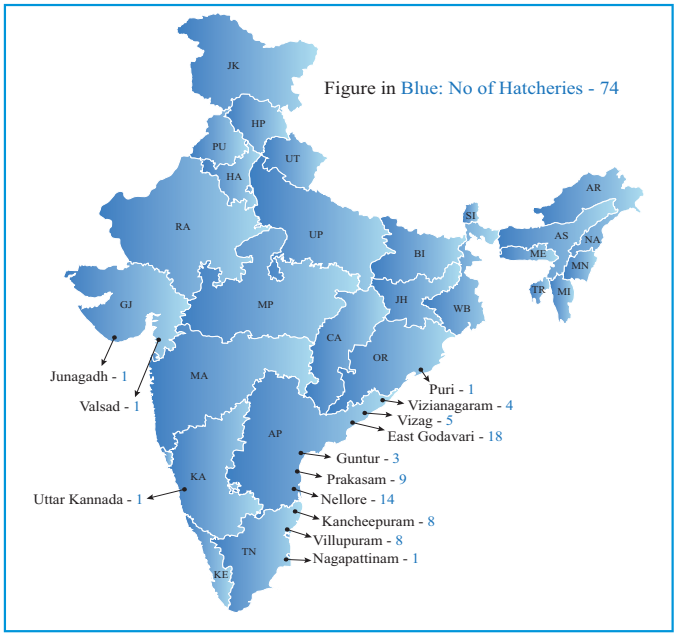

Figure 13 Distribution of permitted L. vannamei hatcheries

Inspection of hatcheries

Interior view of biosecured hatcheries

Compound wall and tyre wash in a hatchery

Cartridge Filters

ETS in hatcheries

Indoor Algal Culture

Indoor Algal Culture

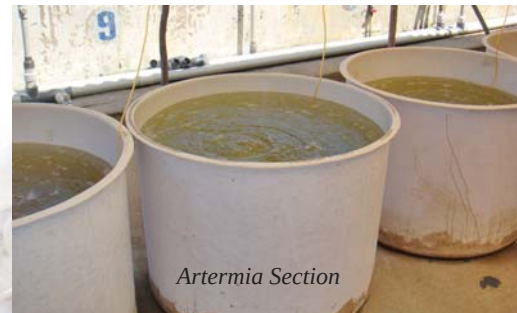

Artermia Section

Early Post Larvae

Post larvae

(iv) Action taken against illegal *L. vannamei* seed production by Unapproved Hatcheries

In order to carry out the routine monitoring of shrimp hatcheries as well as to inspect hatcheries on specific complaints to ascertain the illegal seed production of *L. vannamei* in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, the inspection team made 21 visits to shrimp hatcheries in East Godavari and Nellore Districts of Andhra Pradesh and 62 visits to shrimp hatcheries in Kancheepuram and Villupuram Districts of Tamil Nadu.

During these visits, the team observed that 26 unapproved hatcheries were holding pond reared broodstock and larval stages of *L. vannamei* which were destroyed by the team as per the guidelines G.S.R.280(E) dated 23rd March 2012 notified by the Ministry of Agriculture. The number of hatcheries inspected and the quantity (approximate) of broodstock and larval stages destroyed are detailed in Table 4. Nineteen hatcheries were issued with show-cause notice and 18 hatcheries were served closure orders by CAA for illegal production of *L. vannamei* seeds.

Table 4 Details of unauthorized *L. vannamei* seed production and action taken

Sl. No.	Name of the State	Total No. of Hatcheries	Approximate No. of Broodstock destroyed	Approximate quantity of Larval stages destroyed (million)
1	Tamil Nadu	15	11,600	75.50
2	Andhra Pradesh	11	9,700	99.10
	Total	**26**	**21,300**	**176.60**

Inspection of unauthorized hatcheries

(v) Permission to shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*

The Inspection Team constituted by CAA for inspection of farms inspected 802 farms for granting permission to culture SPF *L. vannamei* till March 2013. The biosecurity requirements for SPF *L. vannamei* culture were verified by the team and the following requirements are ensured:

i. peripheral fencing of farms;
ii. crab fencing;
iii. water intake reservoirs;
iv. installation of bird netting / bird scares;
v. Effluent Treatment System (ETS)

On the basis of the recommendations of the Inspection team, further processing is done at the level of Member Secretary CAA, after which the proposals are placed before the Authority for consideration. After the approval by CAA, the LoPs are issued to the farmers.

Inspection of L. vannamei Farms

Farm Fencing

Crab Fencing

Bird netting with birds got entangled

Reservoir for water treatment

ETS for wastewater treatment

Farm lining

Farm with Observation Tower

Farm fitted with Revolving CC Camera for ensuring Security

During 2012-13, the Authority has considered and approved 334 farms with total area of 2,514.51 ha (WSA 1,746.18 ha) for SPF *L. vannamei* farming. The state-wise details of the farms are given in Table 5, and their percentage distribution depicted in Figure 14. The area-wise distribution of farms in different states is depicted in Figure 15.

Table 5 State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* farms from April 2012 to March 2013

Sl. No.	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	259	1,474.6	1,059.3
2	Tamil Nadu	34	295.3	202.5
3	Gujarat	11	104.8	74.4
4	Maharashtra	13	483.8	308.9
5	Odisha	11	78.2	48.7
6	Goa	3	18.3	13.9
7	Daman & Diu	3	60.0	38.4
	Total	**334**	**2,514.6**	**1,746.3**

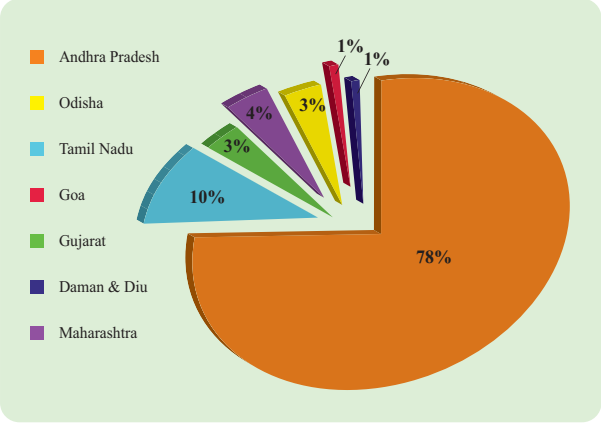

Figure 14 Percentage distribution of CAA approved L. vannamei farms for the year 2012-2013

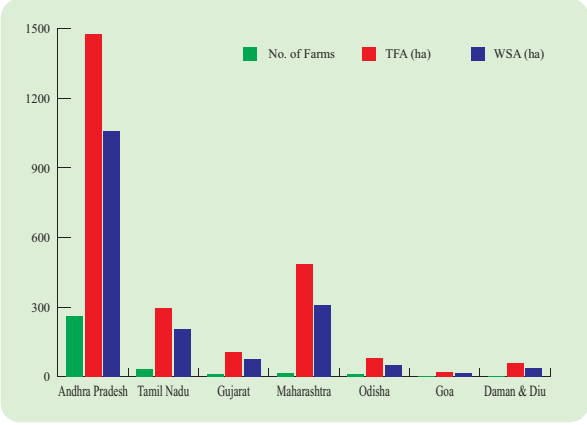

Figure 15 Details of L. vannamei farms permitted in the Current year

CAA has approved and issued LoPs to 802 SPF *L. vannamei* farms till March 2013, covering a total area of 8,429.22 ha (WSA 5,717.64 ha), the state-wise details of the farms are presented in Table 6, their percentage distribution is depicted in Figure 16 and area-wise distribution in different states is depicted in Figure 17.

Table 6 State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* farms from August 2009 to March 2013

Sl. No.	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	580	5,525.5	3,826.8
2	Tamil Nadu	113	985.7	675.1
3	Gujarat	39	547.9	378.0
4	Maharashtra	29	1,002.9	600.0
5	Karnataka	17	47.9	38.2
6	Odisha	16	218.3	132.7
7	Goa	4	23.9	16.7
8	Puducherry	1	17.1	11.9
9	Daman & Diu	3	60.0	38.4
	Total	**802**	**8,429.2**	**5,717.8**

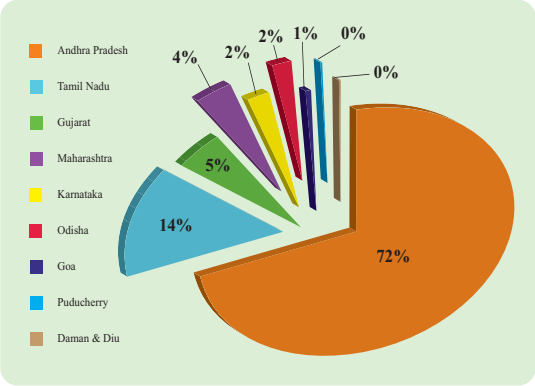

Figure 16 Percentage distribution of CAA approved L. vannamei farms from August -2009 to March-2013

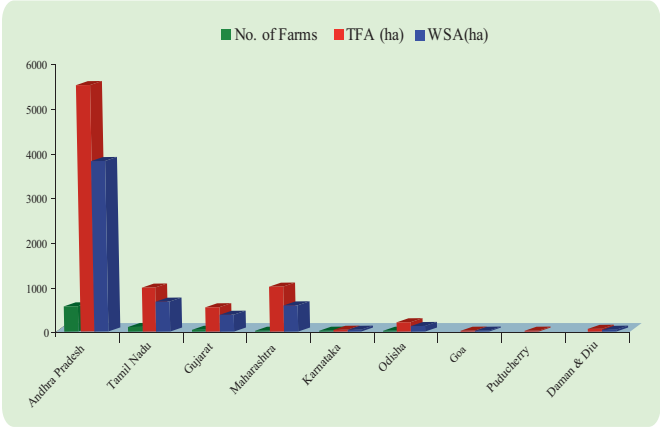

Figure 17 Details of L. vannamei farms permitted from August-2009 to March-2013

The growth of *L. vannamei* farms in terms of number of LoPs issued in all coastal states during the years 2009-10 to 2012-13 is presented in Table 7; growth in terms of area under culture is depicted in Figure 18 and the state-wise growth during the period is given in Figure 19. The district-wise distribution *L. vannamei* farms as on March 2013 is given in Figure 20.

Figure 18 Growth of L. vannamei farms in terms of area during the year 2009-10 to 2012-13

Table 7 Number of LoPs issued for SPF *L. vannamei* Farming in all coastal states during the years 2009-10 to 2012-13

Sl. No.	Name of the State	2009 - 10			2010 – 11			2011 - 12			2012 - 13			Total		
		No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andra Pradesh	87	1236.3	815.4	105	1205.9	833.2	129	1619.8	1118.9	259	1463.5	1059.3	580	5525.5	3826.8
2	Tamil Nadu	6	90.1	55.4	32	324.2	203.4	41	276.9	213.8	34	294.5	202.5	113	985.7	675.1
3	Gujaraj	4	146.0	78.0	6	125.0	97.0	18	172.5	128.6	11	104.4	74.4	39	547.9	378.0
4	Maharashtra	10	272.5	168.6	3	152.0	91.5	3	89.6	31.0	13	488.8	308.9	29	1002.9	600.0
5	Karnataka	0	0	0	16	47.0	37.4	1	0.9	0.8	0	0	0	17	47.9	38.2
6	Odisha	0	0	0	5	140.1	83.8	0	0	0	11	78.2	48.9	16	218.3	132.7
7	Goa	0	0	0	1	5.6	2.8	0	0	0	3	18.3	13.9	4	23.9	16.7
8	Puducherry	0	0	0	0	0	0	1	17.1	11.9	0	0	0	1	17.1	11.9
9	Daman&Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60.0	38.4	3	60.0	38.4
	Total	**107**	**1744.9**	**1117.4**	**168**	**1999.8**	**1349.1**	**193**	**2176.8**	**1505.0**	**334**	**2507.7**	**1746.3**	**802**	**8429.2**	**5717.8**

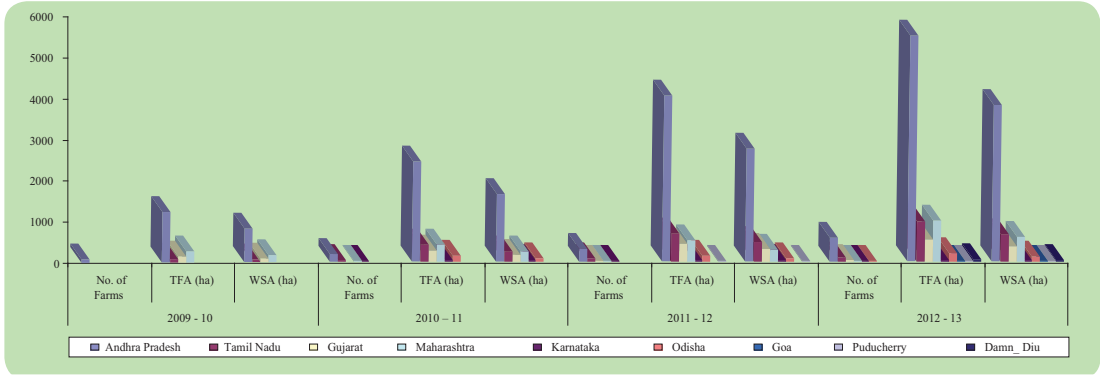

Figure 19 State-wise growth of L. vannamei farms during December 2009 to March 2013

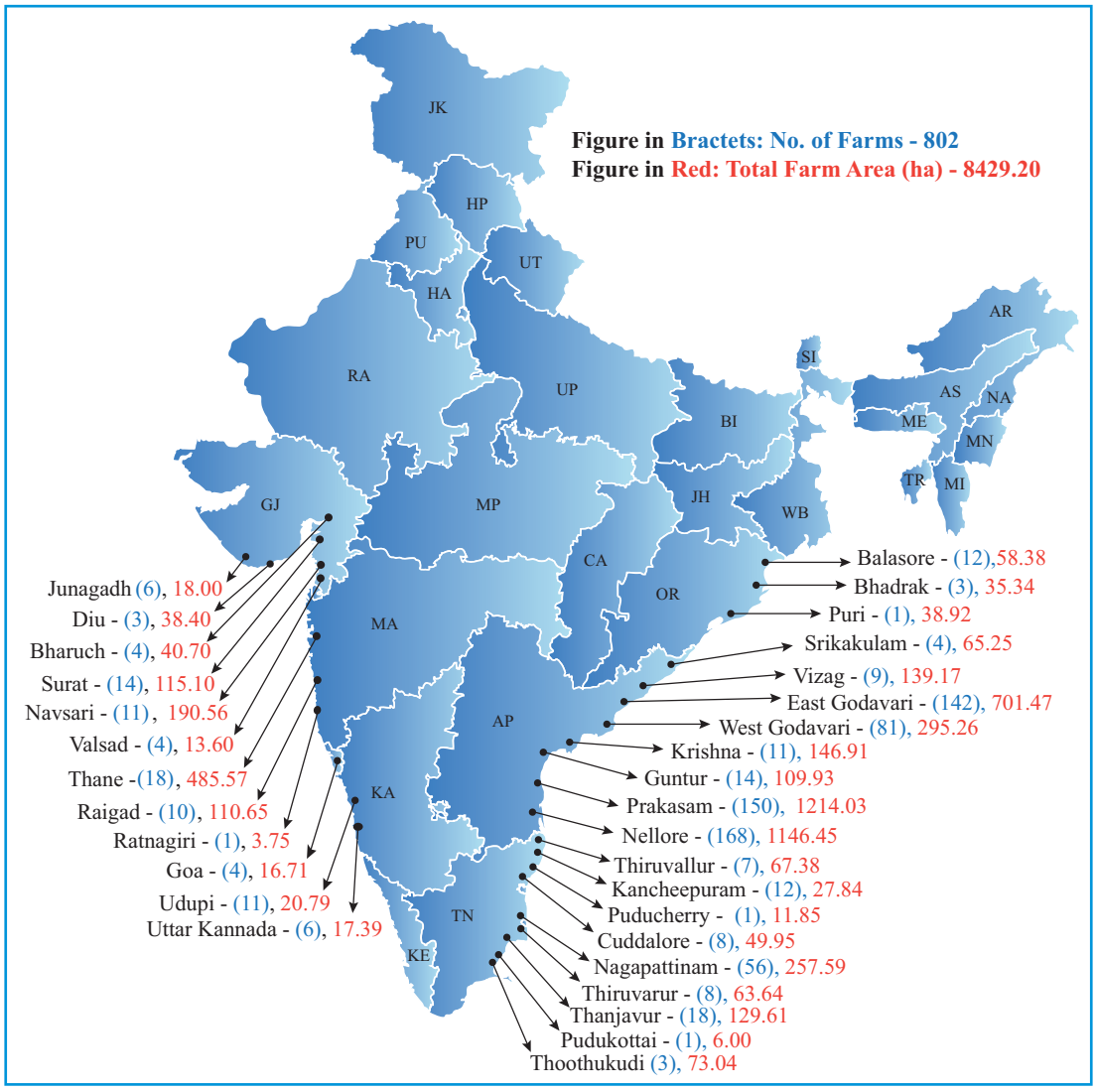

Figure 20 District-wise distribution of L. vannamei farms as on March 2013

(vi) Cancellation of Registration of *L. vannamei* Farms

Coastal Aquaculture Authority resolved in its 40th meeting to cancel the registration of 5 shrimp farms based on redressal of grievances of the villagers of Vijayalakshmipuram of Chirala Mandal, Praksam District on account of shrimp culture activities affecting adjacent paddy fields.

(vii) State-wise performance of SPF *L. vannamei* farming

Andhra Pradesh

The state of Andhra Pradesh recorded the highest number (580) of *L. vannamei* farm registrations with total farming area of 5,535.5 ha and water spread area of 3,826.4 ha. The performance of SPF *L. vannamei* culture synthesized based on the data submitted by the farmers through the quarterly reports is as given below:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking density (million/ha)		0.49
2	Days of culture (DOC)	71.0-165.0	116.00
3	Rate of survival (%)	50.0-98.2	79.60
4	Average body weight (g)	12.5-35.0	25.00
5	Yield (MT/ha)	4.0-17.0	10.50
6	FCR	1.1-1.9	1.50

Tamil Nadu

SPF *L. vannamei* farming in Tamil Nadu is carried out in 113 farms registered with CAA with total farm area of 985.7 ha (WSA 675.1 ha). This state ranks 2nd in *L. vannamei* farm registration. The performance of *L. vannamei* farming in the state as per quarterly reports is given below:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking Density (million/ha)		0.37
2	Days of culture (DOC)	60.0-155.0	114.00
3	Rate of survival (%)	75.0-98.0	87.20
4	Average body weight (g)	10.0-34.0	23.00
5	Yield (MT/ha)	2.5-17.0	9.80
6	FCR	1.3-1.8	1.60

Gujarat

The number of farms registered for *L. vannamei* culture in Gujarat is 39 with total farm area of 547.9 ha (WSA 378.0 ha). This state ranks 4th based on area permitted. The analysis made on the basis of quarterly reports submitted by the farmers is given below:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking Density (million/ha)		0.45
2	Days of culture (DOC)	80.0-158.0	131.00
3	Rate of survival (%)	67.0-47.0	86.70
4	Average body weight (g)	17.0-31.0	25.00
5	Yield (MT/ha)	4.0-17.0	10.50
6	FCR	1.1-1.6	1.30

Maharashtra

Based on the area under culture, Maharashtra ranks 3rd with total farming area of 1,002.9 ha (WSA 600.0 ha). The number of farms registered in this state is 29. The performance of SPF *L. vannamei* culture in this state is as given below:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking Density (million/ha)		0.44
2	Days of culture (DOC)	85.0-145.0	125.00
3	Rate of survival (%)	50.0-95.4	74.90
4	Average body weight (g)	16.3-32.0	22.60
5	Yield (MT/ha)	3.0-8.8	5.90
6	FCR	1.3-1.8	1.60

Karnataka

The number of farms registered in this state is 17 with total farming area of 47.0 ha (WSA 38.2 ha). All the farms registered in this state are small farms with water spread area less than 4.05 ha. The performance of SPF *L. vannamei* culture in this state is as given below:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking Density (million/ha)		0.26
2	Days of culture (DOC)	71.37	102.00
3	Rate of survival (%)	68.0-98.4	81.30
4	Average body weight (g)	15.0-35.7	22.50
5	Yield (MT/ha)	3.0-16.5	10.00
6	FCR	1.3-1.6	1.50

Odisha

In the state of Odisha 16 farms have been registered for SPF *L. vannamei* culture with a total farming area of 218.2 ha (WSA 133.1 ha). All the 16 farms registered are large farms with water spread area above 8.0 ha. The performance of *L. vannamei* culture in this state is as given below:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking Density (million/ha)		0.41
2	Days of culture (DOC)	90-127	115.00
3	Rate of survival (%)	55.5-98.0	84.80
4	Average body weight (g)	13.0-31.0	24.00
5	Yield (MT/ha)	7.0-12.5	8.70
6	FCR	1.2-1.5	1.40

Puducherry

SPF *L. vannamei* farming in Puducherry is carried out in one farm registered with CAA with total farm area of 17.1 ha (WSA 11.9 ha). The performance of SPF *L. vannamei* culture in this Union Territory is as given below:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking Density (million/ha)		0.06
2	Days of culture (DOC)	108-121	115.00
3	Rate of survival (%)	65.0-95.0	80.00
4	Average body weight (g)	20.0-41.0	31.00
5	Yield (MT/ha)	4.4-14.1	9.30
6	FCR	1.4-1.5	1.40

Goa

The state of Goa has registered 4 farms for SPF *L. vannamei* culture with a total farming area of 23.9 ha (WSA 16.7 ha). However, the data on culture is available for one crop of a farm only and so the performance of the culture is not considered for the year.

Daman and Diu Administration

SPF *L. vannamei* farming in Daman and Diu Administration is carried out in three farms registered with CAA with total farm area of 60.0 ha (WSA 38.4 ha). These farms were permitted during the last quarter only.

GAqP-Filtration of water at intake

GAqP-Central Drainage System

GAqP-Aeration by Paddle wheels

(viii) Production of SPF *L. vannamei*

The commercial production of SPF *L. vannamei* through biosecured farming showed spectacular growth since its introduction in 2009 as evident from the production figures 1,731 MT during 2009-10, 18,247 MT during 2010-11 and 80,717 MT during 2011-12.

GAqP-Aeration by Supply of Compressed Air

GAqP-Weighing the feed

GAqP- Stacked feed

GAqP-Ration for different Ponds. Feed packets inside the buckets are for the check trays of respective ponds

GAqP-Automated Feeding Machine / Device

During the year 2012-13 a total number of 802 farms were approved by CAA to culture SPF *L. vannamei* with water spread area (WSA) of 5,717.8 ha till 31-03-2013.

The survival rate ranged from 75-87% (average 81%) and the culture duration varied from 102 to 131 days (average 117 days). The body weight ranged from 22.5 g to 31.0 g (average 26.8 g) and the Food Conversion Ratio (FCR) varied between 1.3-1.6 (average 1.4). The yield ranged from 5.9 to 10.5 MT/ha with average production of 8.2 MT/ha.

Farm-fresh harvested L. vannamei

GAqP Post harvest care of the produce

(a) SPF *L. vannamei* culture using Cluster farming system

Cluster farming system introduced by CAA facilitated farmers having small farm holdings also to take up SPF *L. vannamei* culture by having common ETS and biosecurity measures. There are 534 cluster farms accommodating 2,446 small farm holdings with

total farm area of 5,172.5 ha (WSA 3,589.0 ha). The cluster farms formed 67% of the total number of farms registered by CAA as on 31.03.2013 with 61.4 % of the total area of farming (Figure 21).

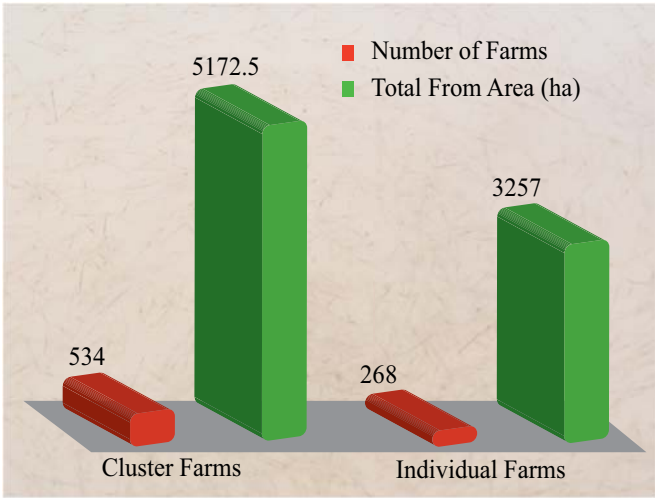

Figure 21 Cluster farming in L. vannamei

(ix) Monitoring of *L. vannamei* Hatcheries/ Farms

Regular monitoring of shrimp hatcheries and farms is made by visiting the approved farms/ hatcheries at regular intervals to avoid negative social and environmental impacts related to farming, such as water pollution, the enhancement and spread of disease, escapes, habitat impacts, and social impacts to surrounding communities. The status of biosecutity in the hatcheries/farms, production methods, performance, water quality in the culture systems, health of seeds/shrimps, environmental problems if any due to the operation are assessed. Wastewater samples discharged from the permitted hatcheries and farms were also collected from final discharge point of ETS in order to test and ensure that wastewater parameters conform to the standards prescribed by CAA.

Monitoring of hatcheries in progress

During the year 2012-13, CAA monitoring team visited 126 hatcheries and 45 farms permitted by CAA in the states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, out of which wastewater samples collected from final discharge point of ETS of 86 hatcheries and 14 farms were analysed. The results indicated that the wastewater quality in 7 hatcheries exceeded the CAA standards, and so they were cautioned by serving warning letters. CAA also directed the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts.

Check tray monitoring

Records/ registers maintained in the hatcheries and farms were also verified and the details on the quantity of broodstock imported, their source, mortality if any, egg, nauplii, post larvae produced/ sold, name and address of the farmer to whom the seeds were sold, date and number of CAA registration of hatcheries; quantity of seed procured, name and address of the hatchery from where they procured, number and date of the valid CAA registration of the hatchery, quantity of shrimp produced, sold, name and address of the processor to whom sold etc., in farms as detailed in the Ministry of Agriculture's Notification No. G.S.R.302(E) dated 1st May, 2009 were entered properly or not. The farmers/ hatchery operators were informed of the need for maintenance of proper records and submission of regular reports to CAA as required in the said notification. Also, the farmers were advised to adopt responsible, ecologically and economically sustainable aquaculture practices and in production of safe and quality aquaculture products through Good Aquaculture Practices (GAqPs) including application of site specific probiotics.

Strict regulation in identifying the broodstock suppliers, the import and the quarantining of the broodstock ensured that *L. vannamei* broodstock imported in the country so far are free of OIE listed pathogens. Similarly approval of hatcheries and farms after ensuring biosecurity facilities that are adequate and regular monitoring to ensure that the guidelines are properly implemented and wastewater quality parameters discharged from ETS of farms and hatcheries conform to the standards prescribed by CAA etc., have enabled the *L. vannamei* farming sector to avoid diseases especially the Early Mortality Syndrome (EMS), though, it has devastated shrimp farms in the South East Asian countries.

Biological monitoring in a shrimp farm

Assessing the biomass

Instruments on hydrogical monitoring

Verifying the records

Collection of wastewater samples

5. Survey of Aquafarms / Hatcheries

SPF *L. vannamei* farming in India is a multi-beneficial activity to the coastal people and contribute to their livelihood and socio-economic upliftment by providing assured wages and jobs to workers in the rural coastal population, profits to entrepreneurs and increase in tax revenues to Government, as well as generate foreign exchange. In order to assess the impact of aquaculture on the socio-economic status of the coastal population, a survey has been initiated in the year 2012-13. A total of 14 approved *L. vannamei* hatcheries in Andhra Pradesh and Tamil Nadu and 48 farms in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra were surveyed by the Survey Team. The production facilities were inspected, the records were verified and relevant information collected in a questionnaire. The survey indicated that:

- About 819 ha of abandoned shrimp farms have been revived for sustainable production of SPF *L. vannamei* farming within four years of introduction of commercial farming of SPF *L. vannamei* in the country.

- *L. vannamei* farming helps in generating direct and indirect employment in downstream, upstream and related industries. An estimate derived from the survey indicated that about 76,075 people are engaged directly in SPF *L. vannamei* culture (71,064 people in farming and 5,011 people in seed production); about 12,062 casual labourers / contingent employees in the allied sectors and about 1,65,660 people engaged in aquaculture-related businesses per year. About 30 per cent of the overall jobs are occupied by women who are preferred in processing plants. Employment generated to local population is almost 40 per cent. Besides, many consultants are gainfully employed in aquaclinics, hatchery and farming sectors.

Collection of information during the survey

- Workers in shrimp farms earn higher wages than those involved in agricultural activities, aquaculture labourers get about ₹300-400/day.
- An estimated volume of 1.72 lakh MT of compounded feed was produced by nine major feed mills and supplied for SPF *L. vannamei* farms during 2012-13.
- Better food conversion ratio and short culture period in *L. vannamei* compared to *P. monodon* reduced the feed requirement considerably which impacted directly on the cost of production as well as reduction in nutrient load in the culture system. The decrease in culture period also has a direct bearing on production cost by reducing other input requirements especially power supply for aeration (directly proportional to the size of the shrimps and culture period) and also reduces the risks involved at the later period of culture.
- Enabled to revive the processing plants suffering from inadequate raw material by supply of farm raised SPF *L. vannamei* shrimps fetching employment to an estimated number of 6,412 women for processing and an appreciable number of men for handling and transportation of the material during 2012-13.
- An estimated number of 235 aquashops to supply inputs, 40 disease diagnostic labs, 10 water quality labs and many suppliers of diagnostic kits etc., have come up under the private sector.
- Many ancillary industries were set up for manufacture / supply of hardware, cold chains, equipment and consumables, besides infrastructure development in rural coastal areas.
- Reduced the migration of coastal rural youth to urban areas by providing better opportunities locally in the farms and hatcheries.

6. Inspection of sites for Establishment of Private Quarantine for SPF *L. vannamei* broodstock

In order to overcome the problem of shortage of space in the existing Aquatic Quarantine Facility (AQF) for SPF *L. vannamei* at Neelankarai, Chennai pending its expansion, the Ministry of Agriculture (DAHD&F) decided to allow establishment of additional quarantine facilities through consortia of approved hatchery operators. A few groups/ consortia each involving 5-10 hatcheries have responded to this decision and proposed to set up quarantine facilities exclusively for SPF *L. vannamei* broodstock imported by approved hatchery operators at Chennai, Ongole and Marakkanam. The sites proposed by them at Padharthi village of Prakasam District and Pulinjarapalem village of Nellore District of Andhra Pradesh; Naravakkam and Anumanthai Kuppam villages (near Marakkanam) of

Villupuram District of Tamil Nadu were inspected by a committee coordinated by CAA with members from CIBA, NFDB, AQ&CS, DAHD&F and AISHA during 25-26 May and 10-11 July, 2012 and their suitability assessed and conveyed to the Ministry.

The survey team in Andhra Pradesh

The survey team in Tamil Nadu

7. Monitoring of Farms for EMS Disease

The occurrence of heavy mortality of shrimps in about 30-35 days of culture has been reported in different parts of South East Asian Countries. A disease that has been referred as Early Mortality Syndrome (EMS), wherein severe necrosis of shrimp hepatopancreas has been found to be a common symptom and so the disease is known as

Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS). Early mortality of shrimps, both in *P. monodon* and *L. vannamei*, was reported in some farms of Andhra Pradesh in India. Therefore, as suggested by the DAHD&F of the Ministry of Agriculture a random survey was carried out by CAA by constituting a team with CAA and scientists of CIBA on 24.08.2012 at Nellore and on 30.08.2012 at Bhimavaram to assess if such early mortality is due to AHPNS or not. Mortality of shrimps was observed in 32 to 58 DOC in a few farms during the survey. Observations on moribund shrimps and their hepatopancreas such as softness of shells, white spots in the shells, size, colouration, black spots/streaks in the hepatopancreas etc., were made *in situ* at the farms inspected. Also, samples and hepatopancreas of moribund shrimps, water and soil were collected from the respective farms. Laboratory investigation of shrimp samples for the presence of different shrimp viruses indicated the presence of White Spot Virus (WSSV) in most cases and in a few cases Infectious Hypodermal Hematopoeitic Necrosis Virus (IHHNV) and Monodon Baculo Virus (MBV) also. The results revealed that the incidence of reported mortality was primarily due to viral infections (mainly WSSV) and there was no signs of typical EMS/ AHPNS that has been described in other countries.

Investigation on EMS in progress

8. Water Quality Monitoring Laboratory

The water quality monitoring laboratory established in the Technical Section of CAA at Vepery is in use for analysis of the wastewater samples collected from hatcheries and farms during regular monitoring to check that the water quality parameters of the wastewater discharged are within the standards prescribed by CAA Act and Rules. The laboratory is fully equipped with the installation of instruments such as CHNSO Analyzer, Spectrophotometer, GC-MS with Head Sampler, Nitrogen Kjeltec-Distillation Unit, Multiparameter water quality sondes, Millipore titration system, BOD Incubator, COD Analyser apart from other equipment required for water quality monitoring.

Analysis of wasterwater samples in progress

9. Website Updation

The website of CAA *viz*., www.caa.gov.in is updated through the National Informatics Centre, Chennai. Data are viewed globally and buyers in foreign countries get the full details of farms and hatcheries for traceability. Further, shrimp farmers and hatchery operators access the website to get the application forms for registration and detailed information on guidelines for farming and seed production. The website provides full details about registration and regulation for shrimp hatcheries, shrimp farms, broodstock and aquatic quarantine on *L. vannamei* cultivation activities also. CAA has been regularly updating its website with all the notifications, circulars, advertisements and other important matters of public interest. The website has complete data base on the registered shrimp farms and hatcheries. Various forms for registration, renewal etc., can be downloaded from the Authority Website. The Results Framework Document of CAA is also uploaded in the CAA website.

10. Building for the Headquartes of CAA

At present, the Authority is functioning in a small portion of the Shastri Bhavan Annexe in Haddows Road, Chennai - 600 006 and the space allotted is hardly adequate to meet the current demands. Therefore, the Technical Section of the Authority is functioning in a rented building in Vepery, Chennai - 600 007. Due to inadequacy of space, special meetings and workshops are to be conducted outside. The Authority has ambitious plans for the future to set up functional facilities including laboratories, training centre, information centre, library, conference hall / committee room, etc., for its headquarters at Chennai besides residential accommodation for the staff. It is therefore, proposed to construct a National Headquarters Complex of the Authority at Chennai after getting suitable land.

11. Hindi Week observed by CAA

CAA observed Hindi Week during 24.09.2012 to 01.10.2012. A special session was organized on 01.10.2012 to impart training to the staff members of the Authority by availing the service of the Hindi Translator from Fishery Survey of India, Chennai. Also, during the Week two competitions were conducted on the curriculum *viz*. (i) Word Meaning and (ii) Speaking in Hindi and awards were presented to the successful officers / staff. A total of sixteen staff members participated in the competitions enthusiastically.

12. Outreach Activities of CAA

(i) Participation in Fairs / Exhibitions

- Participated and put up a stall in the "Global Symposium on Aquatic Resources for eradicating hunger and malnutrition - Opportunities and Challenges" organized by Asian Fisheries Society Indian Branch and College of Fisheries, Mangalore during 4th-6th December, 2012.

- Participated in "Aqua Aquaria 2013" organized by the Marine Products Export Development Authority held at Vijayawada during 8th -10th February, 2013.

A stall was put up in both events and posters depicting the objectives, functions and activities of CAA and also Good Aquaculture Practices (GAqPs) to be adopted by the shrimp farmers / hatchery operators including awareness on abuse of antibiotics, chemicals and drugs in aquaculture and guidelines and biosecurity requirements for SPF *L. vannamei* seed production and farming were displayed in the stalls for the benefit of the farmers and hatchery operators.

CAA stall in Global Symposium at Manglore

CAA stall in Aqua Aquaria 2013

CAA stall in Aqua Aquaria 2013

(ii) Awareness programmes conducted by CAA

Five awareness programmes were conducted by CAA during the period under report. The details are as follows:

- Two awareness programmes were conducted in Prakasam and Nellore Districts of Andhra Pradesh on 30.10.2012 and 31.10.2012 respectively in which 78 Aqua farmers and State Fisheries Department officials participated and benefited by the programme.

- Two awareness programmes were conducted in two districts of West Bengal one at Contai, Purba Medinipur District on 06.03.2013 and another at Barasat, North 24 Parganas District on 07.03.2013 in which 80 farmers and State Fisheries officials participated and benefited by the programmes.

Awareness Programme in progress at Contai, West Bengal

Awareness Programme in progress at Barasat, West Bengal

- One awareness programme in Olpad village, Surat district, Gujarat was conducted on 13.03.2013 in which 70 farmers and State Fisheries officials of Gujarat participated and benefitted.

In the awareness programmes, CAA Act 2005, aims, objectives, powers and functions of the Coastal Aquaculture Authority, antibiotic residues, responsible aquaculture and guidelines for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei* and GAqPs for sustainable production were explained to the farmers in the local language by the CAA officials. Handouts prepared in vernacular languages were also distributed to the farmers and officials.

Awareness Programme in progress at Olpad, Surat, Gujarat

(iii) Meeting with FAO Representatives

A meeting was organised by CAA during the visit of Dr. Peter K. Kenmore, FAO representative in India and Mr. James A. Harvey, Ambassador - Permanent representative of UK of FAO to Chennai on 24.5.2012 to discuss issues relating to the implementation of FAO's code of conduct for responsible fisheries. Scientists from various organisations and other stakeholders were invited for the meeting. The FAO representatives briefed about the role of FAO in implementing the code especially in the context of global warming and climate change and their effect on fisheries and aquaculture.

Meeting with FAO representatives in progress

(iv) Meeting of the Expert Committee set up to develop standards for declaring SPF status for shrimp species breeding and farming

The Expert Committee to develop standards for declaring SPF status for shrimp species to promote their breeding and farming in biosecured facilities met in CAA, Chennai on14th December, 2012 under the Chairmanship of Dr. R. Paul Raj, Member Secretary, CAA.

While discussing the notification of Ministry of Agriculture (DAHD&F) on import of SPF *P. monodon*, it was felt that since *P. monodon* is an endemic species, it is required to define the norms for SPF status of both indigenously produced SPF stock as well as the imported SPF stock. The complexity of the definition of SPF was discussed and opted to adopt the definition given by Dr. Lightner *i.e.* 'the stock of interest is free from one or more specific pathogens'. The OIE listed shrimp pathogens may also be adopted for declaring SPF status which is followed globally. The committee also discussed issues such as diseases of concern, standards for biosecurity for the facilities, process, genetic base, genetic selection and breeding programme, etc., as well as diagnostic protocols for screening of pathogens besides OIE listed pathogens of shrimp.

Meeting of the Expert Committee in progress

(v) Meeting on issue of supply of SPF broodstock of shrimp in the context of shrimp diseases reported in South East Asian countries

A meeting was convened in CAA at Chennai on 14th December, 2012 under the Chairmanship of Dr. R. Paul Raj, Member Secretary, CAA to discuss the issues relating to import of SPF broodstock of shrimp especially *L. vannamei* from the South East Asian countries in the context of a new disease *viz.* Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) spreading in these countries as the disease has caused significant losses to shrimp

Meeting on issue of supply of SPF broodstock in progress

farmers in China, Vietnam, Malaysia and Thailand. The meeting attains significance as the issue is of serious nature in view of the shrimp culture sector in India due to the continuous import of *L. vannamei* broodstock which may be carriers of the new emerging diseases in the South East Asian countries to India.

It was observed that though the etiology is not known, possible etiologies advocated include biotic or abiotic toxins, bacteria and viruses. In view of the reported risks involved and as the quarantine is not equipped to screen the AHPNS in the absence of correct information on etiology/diagnostic kits, members in general agreed to the suggestion to have a temporary ban on the import of broodstock from the South East Asian countries until such time the etiology of this disease is known and diagnostic kits developed.

(vi) International Participation

- Member Secretary CAA participated in the 32nd Session of the Asia-Pacific Fishery Commission (APFIC) of FAO held at Da Nang, Vietnam during 20th to 22nd September, 2012 as a nominee of Government of India (Vice-Chair) deputed by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture. There were 50 participants from 21 member countries, FAO and APFIC Secretariat. India was unanimously elected as Chair Country to host the 33rd Session of APFIC during 2014.
- Director (Tech.), CAA was deputed to attend the Asia Pacific Emergency Regional Consultation on the Emerging shrimp disease: Early Mortality Syndrome (EMS) / Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) organized by Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) and Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Government of Australia at Bangkok, Thailand during 9th to 10th August 2012.

(vii) Participation of CAA members / officers in meetings / seminars / symposia organized by other organizations

- Member Secretary CAA participated in the Inaugural Function of the Office Complex of the National Fisheries Development Board, Hyderabad on 20.04.2012.
- Member Secretary CAA attended the Sub-Committee Meeting on Moana Jump Start Programme convened by NFDB at Hyderabad on 01.06.2012.
- Member Secretary CAA attended the 21st Executive Committee Meeting of National Fisheries Development Board held at Krishi Bhavan, New Delhi on 20.07.2012.
- Member Secretary CAA participated in the Brain Storming Session on "Setting National Biodiversity Targets" conducted by National Biodiversity Authority held at National Agricultural Science Complex, Pusa, New Delhi on 30.07.2012.

- Member Secretary CAA participated in the Brain Storming Session on Development of Fisheries and Aquaculture held by DAHD&F on 3rd August, 2012 at National Agricultural Science Complex, Pusa, New Delhi on 03.08.2012.
- Member Secretary CAA inaugurated the Summer School organised by CIBA at Channai and delivered key note address on 22.08.2012
- Member Secretary CAA participated in the National Consultation on 'Alien Fish Species in Aquaculture and Aquarium Trade' held at National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow on 6th and 7th September, 2012. Presided over the Inaugural Session of the National Consultation.
- Member Secretary CAA attended the 38th Meeting of CAA held at Krishi Bhavan, New Delhi on 26.09.2012.
- Member Secretary CAA participated in the Expert Consultation on managing transboundary diseases of Agriculture importance in Asia-Pacific – as a panellist for the Technical Session - VII at National Agricultural Science Complex, Pusa, New Delhi on 11.10.2012.
- Member Secretary CAA participated in the Video Conferencing of Indian officials with Canadian Food Inspection Agency for import of aquatic animals at Krishi Bhavan, New Delhi on 22.10.2012.
- Member Secretary CAA attended the 22nd Executive Committee Meeting of NFDB at Hyderabad on 16.11.2012.
- Member Secretary CAA attended the 39th Meeting of CAA at Krishi Bhavan, New Delhi on 04.12.2012.
- Member Secretary made a presentation on SPF *L.vannamei* farming to Bangaladesh delegation at BOBP, Chennai on 11.12.2012
- Member Secretary CAA attended the 1st Meeting of the Committee to finalise Software Requirement Specifications for fisheries sector at Krishi Bhavan, New Delhi on 17.01.2013.
- Member Secretary CAA attended the 23rd Executive Committee Meeting of NFDB at Krishi Bhavan, New Delhi on 18.01.2013.
- Member Secretary CAA participated in the International Symposium on "Genomics in Aquaculture" held at CIFA Bhubaneswar on 23.01.2013

- Member Secretary CAA attended the Research Advisory Committee Meeting of CIFA at Bhubaneswar on 24.01.2013
- Member Secretary CAA attended the 18th Research Advisory Committee Meeting of CIBA at Kakdwip on 13 & 14.02.2013.
- Member Secretary CAA facilitated the Search cum Selection Committee Meeting to the post of Chairman, CAA at New Delhi on 09.02.2013.
- Member Secretary CAA attended the 24th Executive Committee Meeting of NFDB at Krishi Bhawan, New Delhi on 25.03.2013.
- Director (Tech.), CAA participated in the Workshop on "Results Dissemination of CIBA - NACA International Aquaclimate Project" held at Chennai on 18th July 2012.
- Director (Tech.), CAA participated in the "National Consultation of Stakeholders for working out the modalities of aquaculture crop insurance" organized by NFDB on 27.09.2012.
- Director (Tech.), CAA participated in the "Workshop on Cobia Culture" organized by Fisheries College and Research Institute, Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University, Thoothukudi during 2nd to 3rd February, 2013.
- Director (Tech.), Asst. Director (Tech.), Consultant and Two Senior Technical Assistants, CAA participated in the "Workshop on Biofloc Technology" organized by the Society of Aquaculture Professionals (SAP) held at Chennai during 28th to 29th July, 2012.
- CAA officials participated in the "Global Symposium on Aquatic Resources for eradicating hunger and malnutrition Opportunities and Challenges" organized by Asian Fisheries Society Indian Branch and College of Fisheries, Mangalore during 4th to 6th December, 2012.
- CAA officials participated in the "Aqua Aquaria 2013" organized by the Marine Products Export Development Authority held at Vijayawada during 8th to 10th February, 2013.

III B. Activities likely to be taken up during 2013-14

(i) Registration :

Registration and renewal of coastal aquaculture farms and hatcheries is a continuous processes. It is expected that more coastal aquaculture farms and hatcheries of the country would be registered during the period between April 2013 and March 2014.

ii) Approval for *L. vannamei* culture :

About 2,000 ha of additional farm area is proposed to be brought under *L. vannamei* culture.

iii) Inspection and Monitoring :

Periodic monitoring of the facilities, especially the quality of wastewater discharged from shrimp farms and hatcheries are to be taken up to ensure meeting of the standards prescribed by the Authority.

iv) Awareness Programmes :

Awareness programmes relating to environment protection, sustainable development of coastal aquaculture activities and good aquaculture practices (GAqPs) are to be organised.

v) Advertisement and Publication :

Public notices are to be issued on the important matters to caution stakeholders and for taking precautionary measures.

vi) Preparation of Manuals / Brochures :

The compendium on Coastal Aquaculture Authority Act, Rules, Guidelines would be updated incorporating all the Regulations, Guidelines and notifications issued by the Ministry.

vii) Workshops and Meetings :

Stakeholders meetings would be organised for combating the problems encountered in the coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects, would also be shared.

CAA would be representing in workshops, exhibitions, seafood fairs and aqua shows organised by other agencies on coastal aquaculture activities, whenever possible.

viii) Capacity building :

Training and study visits would be organised for technical and administrative staff for the effective implementation of regulatory measures as well as for improving the knowledge in their sphere of work.

IV. FINANCE

Summary of actual financial results and activities during the financial year 2012-2013

The Accounts pertaining to the financial year 2012-13 was audited under the section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 by the Principal Accountant General (Civil Audit), Tamil Nadu & Pondicherry, Chennai and its report is presented in ANNEXURE.

As per Section 16 and 17 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the grant-in-aid based on budget estimation made by the CAA, was provided in four installments, under the budgetary provisions of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, New Delhi. Administrative Ministry has sanctioned budget estimation only ₹325 lakhs for the financial year 2012-13 vide its letter No.3-22/2011-Budget (ADF) dated 09th January, 2012. Ministry has admitted Revised Estimate for ₹300 lakhs vide its letter No. 3-28/2012-Budget (ADF) dated 09.01.2013. However, this office claimed only ₹253 lakhs and incurred expenditure for the same.

Budget Estimates / Revised Estimates and Expenditure for the financial year 2012-2013 are as follows:

Major head 2405 Sub Head - 090031 Grant-in-Aid

(₹ in Lakhs)

BE admitted by the Ministry	RE admitted by the Ministry	Amount received	Amount spent	Unspent balance
325	300	253	253	0.00

(₹ in Lakhs)

Sl. No	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2013-14
1	Coastal Aquaculture Authority	090031 Grant-in-Aid	324

V. Staff and existing organizational structure of the Authority

At present, CAA has got sanctioned strength of 21 posts and the staff in position during the financial year 2012-2013 is as follows:

Sl. No.	Group	Post	Sanctioned Strength	Number of staff at the beginning	Number of staff repatriated during the financial year	Number of new staff during the financial year	Staff at the end of the financial year
1	A	Director	1	1	1	-	-
		Asst. Director	1	1	-	-	1
		Sr. Admn. Officer	1	1	1	-	-
2	B	Superintendent	1	1	-	-	1
		Private Secretary	2	2	-	-	2
		Accountant	1	1	-	-	1
		Sr. Technical Assistant	2	2	-	-	2
		Steno. Gr. 'C'	2	-	-	1	1
3	C	Sr. Clerk	2	1	1	1	1
		Jr. Clerk	2	1	-	-	1
		Steno. Gr. 'D'	1	1	-	-	1
		Car Driver	1	1	-	-	1
4	D	MTS	4	4	-	-	4
		Total	**21**	**17**	**3**	**2**	**16**

On contract through a Manpower Agency:

Sl. No.	Description	Number of persons at the beginning	Number of persons left during the financial year	Number of new persons during the financial year	Number of persons at the end of the financial year
1	Field-cum-Lab Technician	2	-	-	2
2	Clerical Staff	3	2	1	2
3	Supporting staff	2	2	1	1
	Total	**7**	**4**	**2**	**5**

VI. Retirement / Repatriation:

- Dr. Baskaran Manimaran, Director (Tech.) repatriated to his parent office on his selection as the first Vice Chancellor of the Fisheries University of Tamil Nadu on 19.03.2013.
- Shri Anil Kumar, Senior Administrative Officer of the Authority moved on 14.05.2013 on selection as Accounts Officer in the Desert Medicine Research Centre, Jodhpur.
- Shri Suresh Kumar, Senior Clerk who was on deputation to CAA repatriated to his parent office on his request.

VII. Right to Information Act

Totally seven applications were received under RTI Act during the year 2012-13. Requested information was furnished.

ANNEXURE

Annual Accounts and Separate Audit Report of the CAG for the year 2012-13

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILIITIES			
Corpus/Capital Fund	1	174,43,147	140,01,809
Reserves and Surplus	2	0	0
Earmarked/Endowment Funds	3	72,15,433	65,70,922
Secured Loans and Borrowings	4	0	0
Unsecured Loans and Borrowings	5	0	0
Deferred Credit Liabilities	6	0	0
Current Liabilities and Provisions	7	7,48,030	4,91,134
Total		**254,06,610**	**210,63,865**
ASSETS			
Fixed Assets	8	109,90,247	126,63,631
Investments - From Earmarked / Endowment Funds	9	17,28,379	17,28,379
Investments - Others	10	0	0
Current Assets, Loans, Advances etc.	11	126,87,984	66,71,855
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		—	—
Total		**254,06,610**	**210,63,865**
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Sd/-
Superintendent

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
A. INCOME			
Income from Sales/Services	12	0	0
Grants/Subsidies	13	253,00,000	250,00,000
Fees/Subscriptions	14	4,530	3,550
Income from Investments (Income on Investment from earmarked / endowment funds transferred to Funds)	15	0	0
Income from Royalty, Publication etc.	16	0	0
Interest Earned	17	4,00,393	3,32,016
Other Income	18	768	10,000
Increase/(decrease) in stock of finished goods and works-in-progress	19	0	0
Total (A)		**257,05,691**	**253,45,566**
B. EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	94,92,762	98,25,946
Other Administrative Expenses etc.	21	103,78,282	96,38,265
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	12,823	30,174
Interest	23	0	0
Depreciation (Net Total at the year-end corresponding to Schedule 8)		23,80,487	29,68,750
Total (B)		**222,64,354**	**224,63,135**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		34,41,338	28,82,431
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
Balance Being Surplus / (Deficit) Carried to Corpus/Capital Fund			
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Sd/-
Superintendent

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUA

GOVERNMENT OF INDIA,
2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe,

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR

(Amount ₹)

Receipts	Current Year	Previous Year
1. Opening Balances		
a) Cash in hand	0	0
b) Bank Balances		
i) In Current accounts	0	0
ii) In Deposit accounts		
iii) In Savings accounts	60,26,034	40,91,011
2. Grants Received		
a) From Government of India	253,00,000	250,00,000
b) From State Government		
c) From Other Sources (Grants for Capital & Revenue expenses to be shown separately)		
3. Income on Investments from		
a) Earmarked/Endowment Funds (FDR Interest)	1,69,004	1,17,017
b) Own Funds (Other Investment)		
4. Interest Received		
a) On Bank deposits	2,31,389	3,32,016
b) Loans, Advances etc.	69,527	0
5. Other Income		
Examination fees	0	0
Tender fees	4,500	3,500
Miscellaneous Income	768	10,000
RTI fees	30	50
6. Amount Borrowed		
7. Any other receipts		
Earnest Money Deposit	9,67,500	3,60,104
Computer Advance Recovery	0	0
Stamps in Hand	2,04,838	28,625
Letter of Credit	0	0
Endowment Fund (Farm Registration Fees)	18,01,123	27,10,755
Total	**347,74,712**	**326,53,078**

Sd/-
Superintendent

CULTURE AUTHORITY

MINISTRY OF AGRICULTURE

26 Haddows Road, Chennai-600006

THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

(Amount ₹)

Payments	Current Year	Previous Year
1. Expenses		
a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20)	94,92,762	98,04,346.00
b) Administrative Expenses (corresponding to schedule 21)	103,88,482	96,09,169.00
2. Payments made against funds for various projects (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)		
3. Investments and deposits made		
a) Out of Earmarked / Endowment Funds (FDR in IOB)	0	1,17,017.00
b) Out of Own Funds		
4. Expenditure on Fixed Assets & Capital work-in-Progress		
a) Purchase of Fixed Assets	7,07,103	51,37,677.00
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	47,53,720	0
5. Refund of surplus money / loans		
a) To the Government of India		
b) To the State Government		
c) To other providers of funds		
6. Finance Charges (Interest)		
7. Other Payments (Specify)		
a) Pre Payments (Infintybook.com)	0	3,81,491.00
b) Performance Security Deposit Refund	7,13,227	1,40,500.00
c) Festival Advance	41,250	29,250.00
d) Staff Deduction & Remittance	0	0
e) Expenditure out of Earmarked fund	11,56,612	12,47,125.00
f) Medical Advance	0	0
g) Unspent Grant in aid refund	0	30,174.00
h) Post Master	24,000	50,000.00
f) Postal stamps in Hand	1,50,000	80,295.50
8. Closing Balances		
a) Cash in hand	0	0
b) Bank Balances		
i) In Current accounts	0	0
ii) In Deposit accounts	0	0
iii) In Savings accounts	73,47,557	60,26,033.50
Total	**347,74,712**	**326,53,078.00**

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

SCHEDULE 1 - CORPUS / CAPITAL FUND

(Amount - ₹)

	Current Year		Previous Year	
Cost of Assets as on 1.04.2010				
Less : Depreciation up to 31.03.2010				
Stamps in Hand				
Balance at the Begning of the year 1.4.2012		140,01,809		111,19,378
Add : Contributions towards Corpus / Capital Fund				
		140,01,809		111,19,378
Less /(Deduct) : Expenditure over income / transferred from the Income and Expenditure Account				
Add : Excess of Income over Expenditure Transfered from Income & Expenditure A/c		34,41,338		28,82,431
Balance as at the Year-End		**174,43,147**		**140,01,809**

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

	Current Year		Previous Year	
1. Capital Reserve				
As per last Account				
Addition during the year				
Less : Deductions during the year				
2. General Reserve				
As per last Account				
Addition during the year				
Less : Deductions during the year				
Total		**0**		**0**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY, CHENNAI

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS (Amount - ₹)

	Fund-wise Break up				Totals	
	Farm Registration Fees	Processing Fees for *L.vannamei* Farms	Processing Fees for *L.vannamei* Hatchery	Fund ZZ	Current year	Previous year
a) **Opening balance of the funds**	27,11,443	28,62,229	9,97,250		65,70,922	49,90,275
b) **Addition to the Funds**						
i) Donations / grants						
ii) Income from Investment made on account of Earmarked funds	0				0	1,17,017
iii) Fees	3,35,787	5,98,075	8,40,000		17,73,862	27,10,755
Total (a+b)	**30,47,230**	**34,60,304**	**18,37,250**		**83,44,784**	**78,18,047**
c) **Utilisation / Expenditure towards objectives of funds**						
i) Capital Expenditure						
– Fixed Assets						
– Others						
Total						
ii) Revenue Expenditure						
– Salaries, Wages, Allowances etc.						
– Travelling Expenses on Inspection of Farms etc.	11,29,351				11,29,351	8,49,742
– JIFSAN Training Expenses	0				0	2,89,383
– Seminar/conference etc. Expenses	0				0	1,08,000
Total (c)	**11,29,351**	**0**	**0**		**11,29,351**	**12,47,125**
Net Balance as at the Year-End (a+b-c)	**19,17,879**	**34,60,304**	**18,37,250**		**72,15,433**	**65,70,922**

Notes :

1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
2) Plan Funds received from the Central / State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
a) Term Loans		
b) Interest accrued and due		
4. Banks:		
a) Term Loans		
– Interest accrued and due		
b) Other Loans (Specify)		
– Interest accrued and due		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Others (Specify)		
Total	**0**	**0**

Note : Amounts due within one year

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government 2. State Government (Specify) 3. Financial Institutions 4. Banks a) Term Loans b) Other Loans (Specify) 5. Other Institutions and Agencies 6. Debentures and Bonds 7. Fixed Deposits 8. Other (Specify)		
Total	**0**	**0**

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES

	Current Year	Previous Year
1. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets 2. Others		
Total	**0**	**0**

Note : Amounts due within one year

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount - ₹)

	Current Year		Previous Year	
A. Current Liabilities				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors				
a) For Goods				
b) Others				
3. Performance Security Deposit		62,000		62,000
a) M/s. Akshaya Sales, Chennai	0		0	
b) M/s. Foss India (P) Ltd., Mumbai	57,000		57,000	
c) M/s. Rands Instruments Company, Chennai	0		0	
d) M/s. Sincere Traders, Chennai	5,000		5,000	
e) M/s. Smart Labtech Pvt. Ltd., Hyderabad	0		0	
f) M/s. Systronics, Chennai	0		0	
4. Earnest Money Deposit		6,86,030		4,29,134
a) M/s. Merit Enterprises	20,280		20,280	
b) M/s. Orbit Technologies	44,250		44,250	
c) M/s. Sartorius Metchatronics India Pvt. Ltd.	4,500		4,500	
d) METC	20,000		0	
e) M/s. Agilent Technologies	1,75,000		1,75,000	
f) M/s. Blue Star Ltd. Chennai	0		22,500	
g) M/s. B.V.N. Instruments Pvt. Ltd.	0		1,00,000	
h) M/s. Day N Day Services (P) Ltd.	25,000		25,000	
i) M/s. Protean Management Consultancy	0		10,604	

(Contd.)

SCHEDULE 7
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS *(Contd.)*

(Amount - ₹)

	Current Year		Previous Year	
j) M/s. The Host	27,000		27,000	
k) M/s. Surabi papers suppliers	50,000		0	
l) M/s. Compulinks, Mumbai	50,000		0	
m) EMD	2,50,000		0	
n) Ex. Servicemen, Vellore	20,000		0	
5. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loans / borrowings				
b) Unsecured Loans / borrowings				
6. Statutory Liabilities :				
a) New Pension Scheme (Employee Contribution)		0		0
7. Other current Liabilities		0		0
Total (A)		**7,48,030**		**4,91,134**
B. Provisions		0		0
1. For Taxation				
2. Gratuity				
3. Superannuation / Pension				
4. Accumulated Leave Encashment				
5. For Depreciation				
Total (B)		**0**		**0**
TOTAL (A+B)		**7,48,030**		**4,91,134**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS

(Amount - ₹)

Item	Rate of Dep.	Gross Block					Depreciation				Net Block	
		Cost / Valuation as at beginning of the year	Addition during the year		Deduc-tion during the year	Cost Valuation at the year end	As at the beginning of the year	On Addition during the year	On Deduc-tion during the year	Total up to the year end	As at the Current year end	As at the Previous year end
			Up to 30.09.12	After 30.09.12								
Land	—	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Plant & Machinery	15%	107,63,511	0	0		107,63,511	18,65,175	13,34,750		31,99,925	75,63,586	88,98,336
Office Equipment	15%	20,56,691	0	0		20,56,691	11,37,620	1,37,861		12,75,481	7,81,210	9,19,071
Car	15%	3,30,860	0	0		3,30,860	2,91,760	5,865		2,97,625	33,235	39,100
Furniture & Fixtures	10%	31,49,425	0	56,470		32,05,895	11,44,332	2,03,333		13,47,665	18,58,230	20,05,093
Computers & Peripherals	60%	24,53,307	70,482	87,755		26,11,544	19,94,520	3,43,888		23,38,408	2,73,136	4,58,787
Library Books	60%	13,90,264	3,750	4,88,646		18,82,660	10,47,020	3,54,790		14,01,810	4,80,850	3,43,244
A. Total of Current Year		**201,44,058**	**74,232**	**6,32,871**		**208,51,161**	**74,80,427**	**23,80,487**		**98,60,914**	**109,90,247**	**126,63,631**
Previous Year												
B. Capital Work-in-Progress												
TOTAL											**109,90,247**	**126,63,631**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Fixed Deposit Receipts (IOB)	17,28,379	17,28,379
Total	**17,28,379**	**17,28,379**

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
Total	**0**	**0**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS		
1. Inventories	0	0
a) Stores and Spares		
b) Tools		
c) Stock-in-trade		
- Finished Goods		
- Work-in-Progress		
- Raw Materials		
2. Sundry Debtors		
a) Debts outstanding for a period exceeding six months		
b) Others		
3. Cash balances in hand (including cheques / drafts and imprest)	0	0
4. Bank Balances		
a) With Scheduled Banks		
- On Current Accounts (IOB)		0
- Letter of Credit (includes margin money)		0
- On Savings Accounts	73,47,556.50	60,26,033.50
b) With non-Scheduled Banks		
- On Current Accounts		
- On Deposit Accounts		
- On Savings Accounts		
5. Post Office - Savings Accounts		
6. Stamps in Hand		
a) Stamps (Franking Machine)	25,458.00	72,809.50
b) Stamps (Postal)	47,598.00	7,486.00
Total (A)	**74,20,612.50**	**61,06,329.00**

(Contd.)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans		
a) Staff		
b) Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity		
c) Other (specify)		
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
a) Prepayments (Annexure-1)	47,53,720	5,36,276
b) Staff Festival Advance (Annexure-1)	27,375	29,250
c) Hypertrix (P) Ltd.	1,04,785	0
d) Infinitybook.com	3,81,491	0
3. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked / Endowment Funds		
b) On Investments - Others		
c) On Loans and Advances		
d) Others (includes income due unrealised - ₹…….)		
4. Claims Receivable		
Total (B)	**52,67,371**	**5,65,526**
Total (A + B)	**126,87,984**	**66,71,855**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES / SERVICES

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Income from Sales a) Sale of Finished Goods b) Sale of Raw Material c) Sale of Scraps 2. Income from Services a) Labour and Processing Charges b) Professional / Consultancy Services c) Agency Commission and Brokerage d) Maintenance Services (Equipment / Property) e) Others (Specify)		
Total	**0**	**0**

SCHEDULE 13 - GRANTS / SUBSIDIES

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government	253,00,000	250,00,000
2. State Government(s)		
3. Government Agencies		
4. Institutions / Welfare Bodies		
5. International Organisations		
6. Others (Specify)		
Total	**253,00,000**	**250,00,000**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Entrance Fees		
2. Annual Fees Subscription		
3. Seminar / Programme Fees		
4. Consultancy Fees		
5. Examination Fees		
6. Tender Fees	4,500	3,500
7. RTI Fees	30	50
Total	**4,530**	**3,550**

Note - Accounting Policies towards each item are not to be disclosed

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Investments from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)

	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
1. Interest:				
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds / Debentures				
2. Dividends:				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3. Rents				
4. Indian Overseas Bank FDR	1,69,004	1,17,017		
Total	1,69,004	1,17,017		
Transferred to Earmarked/ Endowment Funds	**1,69,004**	**1,17,017**		

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC (Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Income from Royalty 2. Income from Publications 3. Others (specify)		
Total	**0**	**0**

SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED

	Current Year	Previous Year
1. On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks	1,69,004	0
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
2. On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	2,31,389	3,32,016
b) With Non-Scheduled Banks		
c) Post Office Savings Accounts		
d) Others		
3. On Loans		
a) Employees / Staff		
b) Others		
4. Interest on Debtors and other Receivables		
Total	**4,00,393**	**3,32,016**

Note - Tax deducted at source to be indicated

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Profit on sale disposal of assets:		
a) Owned assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2. Export Incentives realized		
3. Fees for Miscellaneous Services		
4. Miscellaneous Income (Sale of Waste Paper)	768	0
5. Income from EMD forfeit	0	10,000
Total	**768**	**10,000**

SCHEDULE 19 - INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS

	Current Year	Previous Year
a) Closing Stock:	0	0
- Finished goods		
- Work-in-progress		
b) Less: Opening Stock:	0	0
- Finished goods		
- Work-in-progress		
Net Increase / (Decrease) {a-b}	**0**	**0**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES (Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
a) Salaries and Wages	94,92,762	98,25,946
b) Allowances and Bonus		
c) Contribution to Provident Fund		
d) Contribution to Other Fund (specify)		
e) Staff Welfare Expenses		
f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits		
g) Others (specify)		
Total	**94,92,762**	**98,25,946**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINSTRATIVE EXPENSES ETC (Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Advertisement and Publicity	6,95,393	5,02,078.00
2. Publication	6,05,759	2,93,540.00
3. Domestic Travelling Expenses	14,55,494	22,26,142.00
4. Medical Expenses	1,09,997	1,22,696.00
5. Supply & Materials	1,36,538	1,275.00
6. **Office Expenditure**		
- Repairs and maintenance (Vehicle)	1,08,835	63,385.00
- Electricity and Power	1,48,278	1,37,670.00
- Rent, Rates, and Taxes	16,25,863	15,60,884.00
- Photostate Expenses	4,000	0
- Postage, Telegram	2,19,637	1,83,287.50
- Printing, Stationary and Consumables	7,91,274	3,51,375.00
- Water Charges	30,100	24,329.00
- Library Expenses (Periodicals & Journals)	0	10,054.00
- Liveries (Uniform)	0	0
- Telephone Expenses	2,13,636	1,83,403.00
- Professional Charges	9,81,838	5,37,560.00
- Vehicle Hire Charges	11,96,576	14,59,081.00
- Meeting Expenses	84,457	53,942.00
- Telephone and Mobile Reimbursement Expenses	60,408	41,785.00
- Miscellaneous Expenses	3,29,120	2,20,595.00
- Seminar / Workshops / Training Expenses	1,35,790	1,76,000.00
- Other Contractual Service	9,78,917	12,77,879.00
- Website Maintenance Charges	2,66,830	31,987.00
- AMC Expenses (A.C., Computers, Office Equipment etc.)	1,32,291	1,48,358.00
- Annual PRA Maintenance Charges (NSDL)	2,623	3,819.00
- Bank Charges	64,628	27,140.50
Total	**103,78,282**	**96,38,265.00**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2013

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Grants given to Institutions / Organisations (Refund of Unspent Balance to MOA) 2. Subsidies given to Institutions / Organisations	12,823	30,174
Total	**12,823**	**30,174**

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants / Subsidies are to be disclosed

SCHEDULE 23 - INTEREST

	Current Year	Previous Year
1. On Fixed Loans 2. On Other Loans (Including Bank Charges) 3. Others (specify)		
Total	**0**	**0**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULE - 24

ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention

The Financial Statements are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Coastal Aquaculture Authority follows Cash Basis method of accounting in respect of all items of expenditure and income except where otherwise stated.

2. Fixed Assets

a) Fixed Assets are accounted for after these are taken on charge duly inspected.

b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition / construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.

c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of ₹1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.

d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of ₹1/-

e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid are accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the Income and Expenditure Account.

f) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the Income and Expenditure Account.

3. Depreciation

a) Depreciation is provided on Written Down Value method as per rate Specified in Income Tax Act, 1961

b) In respect of additions / deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.

c) Each item of fixed assets costing ₹ 5,000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.

4. Lease / Rent

Lease / Rent rentals are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease.

5. Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure Statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized or recoverable amount.

6. Government Grants / Subsidies

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to "Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account". Excess of grant over the expenses is transferred to Capital Fund Account at the end of the year.

7. Retirement Benefits

a) Coastal Aquaculture Authority's contribution paid / payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.

b) The liabilities in respect of Gratuity, which is ascertained annually on actuarial valuation at the year and, will be provided and funded separately.

c) The liability for the leave enhancement to employees are ascertained annually on accrual basis based on actuarial valuation at the year end and provide for.

8. Taxation

The Coastal Aquaculture Authority is not liable to pay to Union / State in respect of wealth tax, income tax, service tax, CST or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

10. Income and Expenses

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts:

(a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors of omissions in making provision / creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under "Prior period Adjustment" account.

(b) If actual expenditure or income exceeds the liability created / provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.

(c) Expenditure / Income accruing to the Coastal Aquaculture Authority on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extra-ordinary items if any, having retrospective effect, is accounted for on cash basis.

(d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and / or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid / prior period items up to ₹ 1,000/- in each case are accounted for to the natural heads of account on cash basis.

11. Revenue Recognition

a) Coastal Aquaculture Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that the Authority is collecting Processing Fees for registering *Litopenaeus vannamei* farms and hatcheries. As per the existing policy of the Authority, fee is accounted as Earmarked / Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.

b) Interest income is recognized on a Cash basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

12. Separate Disclosure

Separate disclosers are made in the Income and Expenditure Account in respect of:

a) "Prior period" items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or expressions which arise in the current period as a result or errors of omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.

b) "Extra-ordinary" items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and, therefore, are not expected to recur frequently or regularly.

c) Any item under the head 'Miscellaneous Income' which exceeds ₹ 50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

d) Any item under the head 'Miscellaneous Expenses' which exceeds ₹ 50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Sd/-
Superintendent

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULE – 25

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

Contingent liabilities

As on 31st March 2013, there does not appear to be any case of contingent liability.

Fixed Assets

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value unknown assets, notional value of ₹ 1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2012-13 to Income and Expenditure Account.

Current Assets, Loans and Advances

The Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lumpsum amount. In addition, the Authority purchase postal stamps from Post Office, the amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31st March 2013 the stamps in hand amounted to ₹ 2,687.

An imprest of ₹ 3,000/- has been sanctioned to DDO for meeting day-to-day routine expenses.

Current Liabilities

Security deposits of ₹ 4,29,134/- received as performance guarantee is retained till completion of its warranty period.

Taxation

The Authority is not liable to pay Wealth Tax, Income Tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred Income Tax.

Government Grants / Fees Collected

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to "Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account". Excess of grant over the expenses is transferred to "Capital Fund Account" at the end of the year as at 31st March 2013.

The Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC / SLC shared in the ratio of 70:30 between DLC / SLC and CAA. In addition to that Authority is collecting Processing Fees for *Litopenaeus vannamei* Farms and Hatcheries. As per the exiting policy of the Authority, fee is accounted as Earmarked / Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.

Out of the yearmarked fund, a sum of ₹ 11,56,612/- was utlized towards Workshop / Training etc., and expenses on inspection of farms and hatcheries in connection with registration of forms etc.

Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment account along with various schedules attached thereto.

Sd/-	Sd/-
Superintendent	Member Secretary

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year ended 31st March 2013

We have audited the attached Balance Sheet of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as on 31st March 2013, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comtroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the Authority's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comtroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc,. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

   i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

   ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account and Reeipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

   iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the rules and regulations of the Authority, in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

A General

1. Provision for Gratuity, Superannuation pension, Accumulated Leave Encashment, etc., were not made in the accounts.
2. Festival advance recovered from staff has been exhibited under "IV Interest Received – (b) Loans and Advances" in the Receipts and Paymetns statement. Festival advance is a non-interest bearing advance. Hence disclosure of the recovered amount of festival advance under "IV Interest Received – (b) Loans and Advances" in the R & P statement is incorrect and the same have to be disclosed separately.

B Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

C Grants-in-aid

Out of the grants-in-aid of ₹ 2.53 crores (Non-Plan) received during the year, internal receipts of ₹ 0.22 crore and unspent balance of ₹ 0.66 crore (total ₹ 3.41 crore), the authority could utilise a sum of ₹ 2.64 crore, leaving a balance of ₹ 0.77 crore as on 31st March 2013.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31st March 2013; and

b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Director General of Audit (Central)
Chennai

Place : Chennai
Date : 31.10.2013

Annexure I

1 Adequacy of Internal Audit System:

The Authority does not have an internal audit systems.

2 Adequacy of Internal Control System:

The internal control system is inadequate. The Authority has accounted for only 30% share of registration fee pertaining to it, that too on cash basis. The same has to be accounted on accrual basis. 70% share pertaining to District Level and State Level Committees has not been accounted for in the accounts of the Authority. It has to be shown as receipts as well as payments.

3 Physical verification of Fixed Assets:

The Register of fixed assets was maintained properly. Physical verification of fixed assets was conducted.

4 System of Physical Verification of Inventory

The Physical Verification of Inventory was conducted.

5 Regularity in payment of statutory dues:

The Authority was regular in payment of statutory dues.

Deputy Director / CE

सत्यमेव जयते

R.S. Rangarajan

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Diary No 2668
Date 1-11-13
CHENNAI-600 006.

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)
चेन्नै
लेखापरीक्षा भवन
361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

1/11/2013

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)
Chennai
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN"
361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

अ. स. नं. / D.O. No. : CAB/ V/ 28-76/ 2013-14/ 97
दिनांक / Date : 31.10.213

Dear Shri Paulraj,

Please refer to the Separate Audit Report on the audit of Annual Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2012-13 issued on 31.10.2013.

I wish to bring to you notice the following issue:

Understatement of liability – non accounting of income from investment on Earmared/ Endowment Fund Rs. 1,69,004

As per Schedule 15 - Income from Investment (IOB FDR), an amount of Rs. 1,69,004 was shown as 'Income on Investment transferred to Earmarked/Endowment fund'. However, the same was merged with interest earned on savings account in Schedule 17 instead of accounting it separately under 'Schedule 3- Earmared/Endowment fund as (b) addition to the funds (ii) income from investment made on account of Earmarked funds'. This had resulted in understatement of Earmarked fund and corresponding overstatement of the capital fund to the tune of Rs. 1,69,004 during the year 2012-13. Correct accounting procedure may abe adopted in future.

Regards,

Yours sincerely,

Shri R. Paulraj
Member Secretary
Coastal Aquaculture Authority
Shastri Bhavan Annexe
26, Haddows Road
Chennai - 600 006.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
MINISTRY OF AGRICULTURE CHENNAI

Reply to the Separate Audit Report for the year 2012-13

Observation	Reply
A. General Provisions for Gratuity, Superannuation Pension, Accumulated Leave Encashment etc., were not made in the accounts.	Noted for future compliance.
Festival advance recovered from staff has been exhibited under "IV Interest Received–(b) Loans and Advances" in the Receipts and Payments statement. Festival advance is a non-interest bearing advance. Hence disclosure of recovered amount of festival advance under "IV Interest Received – (b) Loans and Advances" in the R&P statement is incorrect and the same have to be disclosed separately.	Noted for future compliance
B. Management Letter Understatement of liability - non accounting of income from investment on Earmarked / Endownment Fund ₹ 1,69,004/-. As per schedule 15 – income from Investment (IOB FDR), an amount of ₹ 1,69,004/- was shown as 'Income on Investment transferred to Earmarked / Endowment Fund". However, the same was merged with interest earned on savings account in Schedule 17 instead of accounting it separately under Schedule-3 Earmarked / Endowment Fund as (b) additions to the funds (ii) 'Income from investment made on account of Earmarked Funds'. This had resulted in understatement of Earmarked fund and corresponding overstatement of the capital fund to the tune of ₹ 1,69,004/- during the year 2012-13. Correct accounting procedure may be adopted in future.	Noted for future compliance.

Annexure of Reply to the Separate Audit Report for the year 2012-2013.

Observation	Reply
Adequacy of Internal Audit System The Authority does not have an internal audit system.	Authority has appointed Internal Auditors to audit the accounts of CAA and DLCs w.e.f. the financial year 2013-14.
Adequacy of Internal Control System The internal control system is inadequate. The Authority has accounted for only 30% share of registration fee pertaining to it, that too on cash basis. The same has to be accounted on accrual basis. 70% share pertaining to District level and State Level Committees has not been accounted for in the accounts of the Authority. It has to be shown as receipts as well as payments.	Fees for registration of Coastal Aquaculture farms are directly received by DLCs Since the details are not furnished by all the DLCs, the information could not be furnished to the Audit. Hence, CAA as decided in its 40th Meeting, has appointed the Internal Auditors for inspecting the books of accounts of DLCs w.e.f FY 2013-14 in order to depict the accurate Income / Expenditure earned / incurred by them, in the books of accounts of CAA as per accounting standards. Therefore, noted for future compliance